पंचम माला, खंड 23, अंक 7 | मंगलवार, 27 फरवरी, 1973/8 फाल्गुन, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIII, No. 7 | Tuesday, February 27, 1973/Phalguna 8, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये | *Price :* Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7 मंगलवार, 27 फरवरी, 1973/8 फाल्गुन, 189 (शक)
No. 7 Tuesday, February 27, 1973/Phalguna 8, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	*ORAL ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
101. भारत और बंगला देश द्वारा संयुक्त बिजली बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Joint Power Board by India and Bangladesh ..	1-3
102. बंगलौर और दिल्ली के बीच सीधा रेल सम्पर्क	Direct Railway Link between Bangalore and Delhi. ..	3-4
103. कन्टेनर सेवा की लोकप्रियता और इसका विस्तार	Popularity of Container Service and its Expansion. ..	4-5
104. कोंकण रेल लाइन का मंगलौर तक विस्तार	Extension of Konkan Rail line upto Mangalore.	6
105. आप्टा से दादगांव तक वेस्ट कोस्ट रेलवे	West Coast Railway from Apta to Dadgaon.	6-8
107. भाखड़ा परियोजना से बिजली की सप्लाई में कमी किया जाना	Cut in Supply of Power from Bhakra Project.	9-11
108. बिजली संकट को दूर करने के लिये एक समिति का गठन	Setting up of a Committee to remove power crisis.	11-14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
106. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डबल डैकर माल डिब्बे बनाना और माल डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि	Manufacture of Double Decker Wagons and increase in Wagon Production during Fifth Five Year Plan.	14-15
109. भूतपूर्व सैनिकों और लड़ाई में मारे गये सैनिकों के परिवारों के सदस्यों को पेट्रोल पम्पों और गैस की एजेन्सियों का दिया जाना	Allotment of Petrol Pumps and Gas Agencies to Ex-Servicemen and Members of Families of the Soldiers killed in Action ..	15
110. नागौर (राजस्थान) में उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Plant at Nagpur (Rajasthan) ..	15-16
111. तामिलनाडू में बिजली की कमी	Power Shortage in Tamil Nadu ..	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
112.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन	Amendment of the Hindu Marriage Act, 1955. ..	16
113.	पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन डालना	Laying of Pipelines to move Petroleum Products. ..	16-17
114.	अधूरे पड़े रासायनिक कारखाने	Chemical Plants lying Incomplete ..	17
115.	तेल के अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में विकासशील देशों को सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध	Request to U.N. for Assisting the Developing Countries in Oil Exploration and Technology ..	17-18
116.	उत्तर रेलवे के मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ सैक्शनों पर अपराध की घटनाएं	Crimes on Moradabad, Saharanpur and Meerut Sections of the Northern Railway. ..	18
117.	नई रेलवे लाइन बिछाने के बारे में योजना आयोग का निर्देश	Planning Commission's Directive for laying New Railway Track. ..	18
118.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वैगन खरीदने का कार्यक्रम	Programme to buy Wagons during Fourth Plan Period.	19
119.	बिहार में पनबिजली संयंत्र की मंजूरी	Sanction of a Hydel Plant in Bihar.	19
120.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की मांग	Demand of the Employees of O.&N.G.C.	19-20
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1001.	कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सिद्ध दोष सिद्धि	Conviction under Companies Act..	20
1002.	रेल वैगनों की अनुपलब्धता के कारण कोयला खानों के मुहानों पर कोयला जमा हो जाना	Accumulation of Coal at Pit Heads Due to Non-Availability of Railway Wagons. ..	20
1003.	लद्दाख जिले में बिजली उत्पादन योजनाएं	Schemes for Generation of Power in Ladakh District. ..	20
1004.	भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने में एकत्रित हो गये उर्वरकों की ढुलाई के लिये वैगन	Rail Wagons for Movement of Fertilizers Piled up in Sindri Unit of F.I.C. ..	21
1005.	सुधरा हुआ चार पहिये वाला ढका हुआ रेल वैगन	Improved Four-Wheeler Covered Railway Wagons. ..	21
1006.	पाइप लाइन जांच आयोग का प्रतिवेदन	Pipelines Enquiry Commission's Report.	21
1007.	राजस्थान को खाद्यान्न तथा चारे की सप्लाई के लिए वैगन उपलब्ध करना	Wagons for Supply of Foodgrain and Fodder to Rajasthan.	22
1008.	जयन्ती जनता एक्सप्रैस गाड़ी चलाना	Introduction of Jayanti Janta Express Train.	22
1009.	गुना-मक्सी ब्राड गेज लाइन को शिवपुरी तक बढ़ाना	Extension of Guna-Maksi Broad Gauge Line to Shivpuri	22
1010.	मध्य प्रदेश में राजहरा से बस्तर तक नई रेल लाइन	New Railway Line from Rajhara to Bastar in Madhya Pradesh ..	22-23

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1011.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी रूप से खपाना	Permanent Absorption of Casual Labour in Northest Frontier Railway.	23
1012.	मैसूर उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र	Resignation by the Additional Judge of Mysore High Court. ..	23
1013.	लक्सर रेलवे स्टेशन को पुरकात्री हरिद्वार सड़क से जोड़ना	Joining the Laksar Railway Station Road with Purkatri-Haridwar Road.	24
1014.	नजीबाबाद रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर दिए गए ठेके	Contracts given at Najibabad Railway Station, (Northern Railway).	24
1015.	भू-अधिग्रहण कार्य के लिये ब्यास बांध परियोजना पर राजस्व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	Deputation of Revenue Staff to the Beas Dam Project for Land Acquisition Work.	24-25
1016.	मानव निर्मित फाइबर के सम्बन्ध में अनुसंधान	Research in Man-Made Fibres.	25
1017.	गत दो वर्षों में संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के लिए दिए गए लाइसेंस	Issue of Licence for manufacture of Synthetic Fibre during the last two years.	25
1018.	संयुक्त क्षेत्र में 'आंध्र प्रदेश फाईबर्ज लिमिटेड' नामक कम्पनी की स्थापना	Setting up a Company in the Joint Sector called 'Andhra Pradesh Fibre Limited'.	26
1019.	पी०वी०सी० पाइपों का उत्पादन	Production of P.V.C. Pipes. ..	26-27
1020.	पांचवीं योजना में मैसूर की सिंचाई परियोजना के लिए धन	Funds for Irrigation Project in Mysore during Fifth Plan.	27
1021.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ते की अदायगी	Payment of Overtime to Assistant Station Masters of Delhi Division (Northern Railway).	27
1022.	मैसर्स साहू-जैन और मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाभों का अन्तरण	Transfer of Profits by M/s Sahu-Jain and M/s Industrial Cables (India) Pvt. Ltd.,	27
1023.	चिट फण्ड कम्पनियां	Chit Fund Companies.	28
1025.	विवियन बोस जांच आयोग	Vivian Bose Enquiry Commission ..	28
1026.	दीघा समुद्र तट के संरक्षण की योजनाएं	Schemes for protection of Digha Sea Beach.	28-29
1027.	एकाधिकार आयोग द्वारा प्रतिवेदनों का दिया जाना	Submission of Report by Monopolistic Commission.	29
1028.	कम्पनी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा का विकेन्द्रीकरण	De-Concentration of Audit by Company Auditors. ..	29
1029.	इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलायज लिमिटेड	Indian Metals and Ferro Alloys Limited. ..	29

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1030.	औषध मूल्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन	Setting up of Drug Prices Review Board. ..	30
1032.	पेटेन्ट औषधियों के विदेशी निर्माताओं द्वारा अत्यधिक लाभ कमाना	Foreign Manufactures of Patent Drugs making Enormous Profits.	30-31
1033.	फरटीलाईजर कारपोरेशन आफ इन्डिया बम्बई को 1971-72 और 1972-73 के दौरान हुआ लाभ	Profit earned by Fertilizer Corporation of India, Bombay during 1971-72 and 1972-73	31
1034.	राजस्थान नहर का कार्य	Work on Rajasthan Canal.	31
1035.	बंगलौर शहर के लिये सरकुलर रेलवे	Circular Railway for Bangalore City.	32
1036.	नई दिल्ली में पानी के स्रोतों के जलप्रवाह विज्ञान संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार	International Seminar on Hydraulics of Alluvial Streams in New Delhi. ..	32
1037.	सोमना और डांवर रेलवे स्टेशनों के बीच हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस की टक्कर	Collision of Howrah-Delhi Janta Express between Somna and Danwar Rly. Station. ..	32-33
1038.	गंगा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की योजना	Plan to control Floods in Ganga Flood Control Commission's Ganga Basin.	33
1039.	रेल/सड़क क्रासिंगों पर उपरि पुल	Overhead Bridges at Rail/Road Crossing.	33
1040.	महाराष्ट्र सरकार की बड़े तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Schemes of Maharashtra Government.	33-34
1041.	31 दिसम्बर 1972 को न्यायालय में लम्बित सिविल और दाण्डिक की अपीलें	Civil and Criminal Appeals pending with Courts as on 31st December, 1972. ..	34-35
1042.	देश में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in the Country. ..	35
1043.	रेलवे के अनुरक्षण, निर्माण एवं दूर संचार विभागों के नैमित्तिक कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Casual Labour of Maintenance, Construction and Tele-Communication Department of Railways.	36
1044.	हड़तालों और आन्दोलनों के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss to Railways due to Strikes and Agitations.	36
1045.	खाद्यान उर्वरक सीमेंट और कोयला आदि आवश्यक वस्तुओं के लिये रेल माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons for Movement of Essential Commodities like Foodgrain, Fertilizer, Cement and Coal	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1046.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में मोदी नगर के पार्सल क्लर्कों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न करना	Non-payment of Overtime Allowance to Parcel Clerks at Modinagar, Delhi Division (Northern Railway).	.. 36-37
1047.	गंगा को कावेरी से मिलाने की योजना की क्रियान्विति के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance for implementation of Scheme to link Ganga with Cauvery	37
1048.	'टिकट चेकिंग स्टाफ' का दर्जा	Status of "Ticket Checking Staff"	37
1049.	रेलों में तृतीय श्रेणी से 'टू-टायर कोचों' को समाप्त करना	Abolition of '2-tier coaches' in Third Class Compartments in Railway.	.. 37-38
1050.	भारतीय रेलवे में भेषजविज्ञों के अतिरिक्त पदों का वितरण एवं उपयोग	Distribution and Utilization of Additional Posts of Pharmacists on Indian Railways.	38
1051.	विभिन्न जोनल रेलों में भिन्न-भिन्न नामों से फार्मासिस्टों के पद और वेतनमान	Posts and Pay Scales of Pharmacists with different nomenclatures on different Zonal Railways.	.. 38
1052.	भरण-पोषण सम्बधी कानूनी उपबन्धों का दुरुपयोग	Exploitation of the provision of Law regarding maintenance.	.. 38-39
1053.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पांच वर्षीय द्रुत कार्यक्रम आरम्भ करना	Launching of a Five-year Crash Programme by Oil and Natural Gas Commission.	39
1054.	विभिन्न राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए स्वीकृत नई रेलवे लाइनों में व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था	Employment of Persons on new railway lines sanctioned for drought affectedareas in various States.	39
1055.	रेलों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये किये गये उपाय	Measures taken to improve financial position of Railways.	39-40
1056.	पंजाब द्वारा राजस्थान को बिजली सप्लाई करना	Supply of power to Rajasthan by Punjab.	40
1057.	उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच के लिये जांच समिति का गठन	Setting up of enquiry committee to enquire into the charges levelled by Engineers of U.P. Electricity Board. ..	.. 40
1058.	पंजाब में विद्युत संकट के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता	Centre's Assistance for power crisis in Punjab. ..	.. 40-41
1059.	लाल फीताशाही के कारण राजधानी में तीसरे रेल टर्मिनिस सम्बन्धी योजना में गतिरोध	Red Tape Stalling Capital's Third Rail Terminus Plan. ..	41
1060.	राजस्थान से पंजाब को बिजली की सप्लाई का रोका जाना	Suspension of Power supply to Punjab from Rajasthan	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1061.	बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सोना नदी के जल का विभाजन	Sharing of waters of Sona River by Bihar, Madhya Pradesh and U.P.	.. 41-42
1062.	दामोदर घाटी निगम के विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों की जांच के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुरोध	Request by West Bengal Govt. to enquire into certain allegations against D.V.C. ..	42
1063.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा "नियमानुसार कार्य" आन्दोलन	'Work-to-rule' Agitation by workers of O. & N.G.C.	42
1064.	गंगा-कावेरी लिंक के बारे में विशेषज्ञों की राय	Experts comments' on Ganga-Cauvery Link.	.. 42-43
1065.	केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा उड़ीसा में बड़ी तथा बीच के स्तर की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देना	Clearance of Major and Medium Irrigation Projects in Orissa by C.W.P.C. ..	43
1066.	गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता	Free Legal Aid to the Poor.	.. 43-44
1067.	चुनाव नियमों में संशोधन करने सम्बन्धी सुझावों पर सरकार का निर्णय	Decision by Government on Suggestions made for amendment in Election Rules. ..	44
1068.	पूर्वोत्तर रेलवे में महादेवपुर घाट स्टेशन	Mahadeopur Ghat Station North Eastern Railway. ..	44
1069.	पूर्वोत्तर रेलवे में भागलपुर से बरारीघाट के बीच गाड़ी का बन्द किया जाना	Termination of train services between Bhagalpur and Barari-Ghat, North Eastern Railway.	.. 44-45
1070.	इन्दौर (मध्य प्रदेश) के लोकमान्य नगर में फलैग रेलवे स्टेशन का निर्माण	Construction of a Flag Railway Station at Lokmanya Nagar of Indore (MP). ..	45
1071.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा ग्रामीण जन-समुदाय को दोषरहित जल की पूर्ति के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के सेमिनार में प्रतिवेदन	Report by C.W.P.C. to U.N. Seminar on Safe Water Supply to Rural Population.	45
1072.	नर्मदा नदी जल-विवाद	Narmada River Water Dispute	.. 45-46
1073.	राज्यों में ग्राम्य विद्युतीकरण	Rural Electrification in States.	.. 46-47
1074.	दुमंजिले रेल डिब्बों का प्रयोग	Introduction of Doubles Decker Coaches.	47
1075.	पश्चिम दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल) में बलूरघाट तथा रायगंज के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Balurghat and Raiganj in West Dinajpur 'West Bengal'. ..	47
1076.	जयन्ती एक्सप्रैस में तिरुचिरापल्ली जाने वाले सीधे थर्ड क्लास स्लीपर कोच	Direct Third Class Sleeper Coach to Jayanti Express for Tiruchirapali. ..	47
1077.	पैट्रोलियम का आयात	Import of Petroleum ..	48

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1078.	संयुक्त राष्ट्र के जल संसाधन अनुभाग (यू० एम० वाटर रिसोर्सिज सैक्शन) के प्रमुख द्वारा जल के अपव्यय को रोकने सम्बन्धी चेतावनी	Warning by Chief of Un. Water Resources to Stop Uneconomics Utilisation of Water.	48
1079.	हड़ताल में हिस्सा लेने के कारण दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही	Penal Action Against Loco Running Staff of Southern and South Central Railways for participating in Strike. ..	48-49
1080.	गोल्डन रोक वर्कशाप में दक्षिण रेलवे एम्पलाइज यूनियन द्वारा भूख हड़ताल	Hunger strike by Dakshin Railway Employees' Union at Golden Rock Workshop. ..	49
1081.	पैट्रोल पम्प और कुकिंग गैस की एजेंसियां देना	Allotment of Petrol Pump and Cooking Gas Agencies.	49
1082.	चलती रेलगाड़ियों के डिब्बों में हत्या	Murder in Compartments in Running Trains.	49-50
1083.	'एशिया-72' मेले में रेलवे के पंडाल पर हुआ व्यय	Expenditure on Railway Pavilion in Asia '72 Fair.	50
1084.	गन्तव्य स्थान पर जाते हुए माल डिब्बों में से वस्तुओं का चुराया जाना	Removal of Goods from Wagons on way to Destination. ..	51
1085.	रेलवे द्वारा खाद्यान्न व्यापारियों को दी गई रियायत	Concession to Foodgrains Traders given by Railways.	51
1086.	सहारनपुर दिल्ली सैक्शन (उत्तर रेलवे) के रेलवे स्टेशनों पर पानी पिलाने के लिये अपंग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना	Disabled persons appointed as Water Men at Stations on Saharanpur-Delhi Sections (Northern Railway). ..	51
1087.	खान आलमपुर स्टेशन, सहारनपुर पर रेलवे बैगनों से माल की चोरी	Goods Stolen from Railway Wagons at Khan Alampura Station, Saharanpur. ..	52
1088.	अन्तर्राज्यीय नदी परियोजनाओं के बारे में केरल सरकार के सुझाव	Kerala Government's suggestions regarding Inter-State River Projects. ..	52
1089.	जयन्ती जनता एक्सप्रैस रेलगाड़ी को तेल्लिचेरी स्टेशन पर रोकना	Stoppage of Jayanti Janta Express Train at Tellicherry.	52-53
1090.	दक्षिण रेलवे तथा दक्षिण मध्य रेलवे से आय	Income from Southern Railway and South Central Railway.	53
1091	उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पारेषण लाइनों का लगाया जाना	Installation of Transmission lines in Orissa, Rajasthan, U.P. and West Bengal. ..	54
1092.	मंगलौर और एर्नाकुलम के लिये जयन्ती जनता गाड़ियों का चलाना	Introduction of Jayanti Janta Train for Mangalore and Ernakulam. ..	54
1093.	मेरठ शहर के पार्सल क्लर्कों का अन्य स्टेशनों को स्थानान्तरण	Transfer of Parcel Clerks of Meerut City to other States.	54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1094.	रेलगाड़ियों से दूसरे दर्जे को समाप्त करना	Abolition of Second Class from Trains.	.. 54-55
1096.	आन्दोलनों के दौरान नष्ट हुए और क्षतिग्रस्त रेलवे स्टेशनों की मरम्मत न करना	Railway Stations damaged or Destroyed during Agitations. ..	55
1097.	बम्बई और मंगलौर को आपस में जोड़ने वाली पश्चिम तट रेलवे	West Coast Railway Connecting Bombay with Mangalore.	55
1098.	केरल में वैगन बनाने का कारखाना	Wagon Building Plant in Kerala ..	55
1099.	पांचवीं योजना के लिए केरल की पनबिजली परियोजनाएं	Keralas' Hydro-electric Projects for Fifth Plan. ..	55-56
1100.	विश्व की तेल स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिये संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध	Request to U.N. to Intervene in World Oil Situation. ..	56
1101.	पांचवीं योजना के दौरान रेलवे के विद्युतीकरण पर पुनर्विचार	Rethinking on Electrification of Railway during Fifth Plan period ..	57
1102.	गोआ में तेल-शोधनशाला की स्थापना	Setting up of an Oil Refinery at Goa.	57
1103.	लियन वाले रेलवे विद्युतीकरण स्टाफ का खपाया जाना	Absorption of Railway Electrification Staff holding Lien. ..	57-58
1104.	वैस्टर्न रेलवे लेबर यूनियन की विशिष्ट मांगें	Specific demands for Western Railway Labour Union. ..	58
1105.	उत्तर-प्रदेश में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	Electrification of Harijan Bastis in U.P.	58
1106.	दिल्ली-बम्बई मार्ग पर अतिरिक्त एक्सप्रैस गाड़ी चलाना	Introduction of Additional Express Train on Delhi-Bombay Route.	58
1107.	झांसी-बीना सैक्शन (मध्य रेलवे) की रेल पथ क्षमता को बढ़ाना	Increase in Line capacity of Jhansi-Bina Section (Central Railway).	59
1108.	मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना	Electrification of Railway Stations in Jhansi-Division of Central Railway.	59
1109.	भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों की बिक्री के लिये अमरीकी व्यापारिक मिशन का दौरा	U.S. Trade Mission visit for sale of Equipments for Modernising Indian Railways.	59
1110.	हल्दिया तेल-शोधक कारखाने के निर्माण में धीमी प्रगति के कारण	Reasons for slow progress in construction of Haldia Refinery.	60
1111.	रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के नियम	Rules for recruitment of Class IV Staff in Railways.	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1112.	मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना	Setting up of Bench of Allahabad High Court at Meerut. ..	60–61
1113.	सियालदी डिवीजन (पूर्व रेलवे) पर विशेष गाड़ियों के चलाने से आय	Earnings by running Special Trains on Sealdah Division (Eastern Railway).	61
1114.	एन्टीबायोटिक्स प्लांट, वीरभद्र, ऋषिकेश के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करना	Improvement in the Service condition of Employees of Antibiotics Plant Virbhadra, Rishikesh.	61
1115.	पंजाब में बिजली की कमी	Power shortage in Punjab ..	61–62
1116.	आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन द्वारा असहयोग आन्दोलन	Non-cooperation Movement by All India Station Masters' Association.	62–63
1117.	उत्तर बंगाल की पहाड़ी नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलना	Change of courses by Hill Rivers of North Bengal ..	63
1118.	खारची (मारवाड़ जंक्शन) पर उपरि पुल का निर्माण	Construction of Over-Bridge at Kharchi (Marwar Junction). ..	63–64
1119.	अधिक खपत वाली 12 अन्य औषधियों को नियंत्रण में लेना	Control over 12 more Essential Bulk Drugs.	64
1120.	न्यायालयों में गवाहों के बयानों को उनकी अपनी भाषा में लिखवाने संबंधी विधान	Legislation requiring recording of Statements of Witnesses in Courts in their own Language ..	64
1121.	रूस के तेल विशेषज्ञों की भारत यात्रा	Visit by Soviet Oil Experts.	64
1122.	समुद्र द्वारा भूमि-कटाव रोकने की परियोजना के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistant for Anti-Sea Erosion Project	65
1123.	इद्धिकी परियोजना का पूरा होना	Completion of Idikhi Project.	65
1124.	मीठापुर स्थित टाटा उर्वरक परियोजना	Tata's Fertilizers Project at Mithapur.	66
1125.	इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा मद्रास तेल-शोधनशाला को कुकिंग गैस के सिलेन्डरों की आपूर्ति	Supply of Cylinders for cooking Gas to Madras Refiner by IOC ..	66
1126.	उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या कम करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों की विफलता	Failure of Measures taken by the Government to reduce the number of Pending cases in High Courts.	66–67
1127.	पश्चिम बंगाल में तेल की खोज	Oil Exploration in West Bengal	67
1128.	उत्तर कनारा जिले में सोडा ऐश संयंत्र के लिये भूमि के अधिग्रहण करने के बारे में शिकायतें	Complaint regarding Land Acquisition for Soda Ash Plant in North Kanara District.	67

अता प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1129.	रेल और सड़क परिवहन द्वारा वस्तुओं की ढुलाई के बारे में तुलनात्मक लागत अध्ययन	Comparative Cost Studies of Haulage of Goods by Road and Rail.	67–68
1130.	गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल की क्षति	Loss of Water by Ganga and Brahmaputra Rivers.	68
1131.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन	Amendment of the Representation of Peoples' Act, 1951. ..	68
1132.	भारतीय उर्वरक निगम के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	Submission of Report by Technical Experts of F.C.I.	68–69
1133.	व्यास-सतलज लिंक परियोजना के बारे में इंजीनियरों के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Charges Levelled Against Engineers on Beas-Sutlaj Link Project.	69
1134.	पोंग बांध से रेल की पटरी डूब जाने के कारण कांगड़ा घाटी रेलवे में यातायात ठप्प न होने देने के लिये उपाय	Steps to Avoid Dislocation of Train on Kangra Valley Rly. as a result of submerging of the track by Pong-Dam. ..	69
1135.	जम्मू तक गाड़ियों को चलाने के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तर पंजाब के लोगों को कठिनाइयां	Difficulties caused to the people of Himachal Pradesh and Northern Punjab due to Extension of Trains upto Jammu.	69
1136.	गाड़ियों में सुविधाओं की कमियों के बारे में संसद सदस्यों द्वारा शिकायतें	Complaints by M.Ps regarding lack of facilities in trains.	70
1137.	बिजली उत्पादन के लिये गैर-सरकारी उद्यमकर्त्ताओं को लाइसेंस जारी करना	Issue of licences to private enterprises for generation of power. ..	70
1138.	इंजन गैस की डीलरशिप का युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को आवंटन	Allotment of dealership of Indane Gas to Widows of War Heroes ..	70
1139.	दूसरी श्रेणी को समाप्त करने से रेलवे को हुई हानि	Loss to Railways due to abolition of Second Class. ..	70–71
1140.	उच्च न्यायालयों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति	Appointment of Government Counsels to High Courts.	71
1141.	जम्मू और काश्मीर में प्राकृतिक साधनों द्वारा पन-बिजली का उत्पादन	Generation of Hydel Power through Natural resources in Jammu and Kashmir. ..	71–72
1142.	न्यायालय में दायर किये गये रेलवे के भूतपूर्व विद्युतीकरण कर्मचारियों के मामलों को हल करने के लिये किये गये प्रयास	Efforts made to settle the cases of Ex-Railway Electrification staff field in Court of Law.	72–73
1143.	वैगन उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही	Steps taken to increase wagon production. ..	73
1145.	जल-संसाधनों का उपयोग	Utilisation of Water Resources	73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1146.	बिहार में खिरोई नदी पर जल-फाटक एवं पुलों का निर्माण	Construction of sluice Gate-cum-Bridges on river Khiroi in Bihar ..	73
1147.	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ, की मांगों की क्रियान्विति	Implementation of Demands of North Eastern Railway Mazdoor Union. ..	74
1148.	समस्तीपुर, बनारस और इज्जतनगर के कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान और समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य के घंटे	Payment of Night Duty Allowance to Employees of Samastipur, Banaras and Izatnagar and Duty Hours of ASMs. Samastipur Division (North Eastern Railway).	74
1149.	राष्ट्रीय जल नीति बनाने में अन्तर्ग्रस्त कानूनी पहलू	Legal Consideration involved in National Water Policy.	74
1150.	दक्षिण मध्य रेलवे के मीराज जंक्शन पर कोल साइडिंग प्लैटफार्म की बुरी हालत	Bad State of Coal siding platforms at Miraj Junction, South Central Railway. ..	74–75
1151.	विधि आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Law Commission.	75–77
1152.	स्वयंसेवी सहायता समिति द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन	Assessment of work done by Voluntary Help Committee.	77
1153.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को दी गई रियायतें	Concessions given to the Employees of O & N.G.C.	78
1154.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्ज लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया मांग पत्र	Charter of Demands submitteed by Employees of I.D.P.L., Rishikesh.	78
1155.	अलाभकर रेलवे लाइनों को लाभर बनाने की योजना	Scheme to Convert Uneconomic Railway Lines into Profitable One.	78–79
1156.	भारतीय तेल निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात को ऊंची दरों पर प्राकृतिक तथा अवशिष्ट ईंधन की सप्लाई	Supply of Natural and Residual Fuel to Gujarat at a Higher Price by I.O.C. and O.&N.G.C.	79
1157.	गत तीन वर्षों में ढुलाई के दौरान माल की चोरी अथवा उसके क्षतिग्रस्त होने की घटनायें	Cases of Theft or Damage to Goods in Transit during last three years. ..	80
1158.	गुजरात मिल और उद्योग महासंघ द्वारा राज्य में कोयले की कमी को दूर करने की मांग	Demand by Federation of Guajrat Mills and Industries for removal of Shortage of Coal in Gujarat.	80
1159.	गुजरात सरकार द्वारा हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड, भोपाल से टर्बाइनों और ट्रांसफार्मरों की खरीद	Purchase of Turbines and Transformers by Gujarat Govt. from Heavy Electricals, Ltd., Bhopal ..	80
1160.	राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने की स्थापना ..	Setting up of a Public Sector Fertilizers Unit in Rajasthan ..	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1162.	थीन बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Resettlement of Oustees of Thein Dam.	81
1163.	किसी रेलवे लाइन को अलाभकर मानने का माप-दण्ड	Criteria by which Uneconomic Aspect of a Line is determined ..	81–82
1164.	बम्बई में गहरे समुद्र में तटदूर छिद्रण कार्य में विलम्ब	Delay in Off-shore Drilling in Bombay High delayed.	82
1166.	पश्चिम बंगाल की डेल्टा सुन्दरबन परियोजना	Delta Sunddarbans Project of West Bengal	82–83
1167.	जामनगर-बेदी रेल लाइन पर दुर्घटनाएं	Accidents on Jamnagar-Bedi Rail Line.	83
1168.	गुजरात तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Gujarat Refinery ..	83–84
1169.	साबुन उद्योग में प्रयोग के लिये डिटरजैन्ट एल्काइ-लेट का निर्माण	Manufacture of Detergent Alky-late for use in soap Industry ..	84
1170.	धनबाद रेलवे स्टेशन से पाटलीपुत्र एक्सप्रैस के छूटने के समय में परिवर्तन	Change in Departure time of Pati-liputra Express from Dhanbad Railway Station.	84–85
1171.	रेल वैगनों की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Railway Wagons.	85
1172.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये त्रिपुरा को बिजली की आवश्यकता	Power Requirements of Tripura for Fifth Plan. ..	86
1173.	त्रिपुरा में छिद्रण कार्य	Drilling in Tripura. ..	86
1174.	डीजल कर्मचारियों द्वारा मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Diesal Staff to Chief Mechanical Engi-neer Northeast Frontier Rail-way.	86
1175.	रूसी विशेषज्ञों के परामर्श के पश्चात् बारामरा (त्रिपुरा) में छिद्रण कार्य पुनः आरम्भ किया जाना	Resumption of Drilling in Baram-pura (Tripura) after Russian Experts' Advice. ..	87
1176.	मध्य प्रदेश में वृहत् एवं मध्यम अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनायें	Major and Medium inter-State Irrigation Projects in M.P. ..	87
1177.	राजस्थान में गेहूं और मक्का लाने-ले जाने के लिये माल डिब्बों की सप्लाई में कमी किया जाना	Reduction in supplying of Wagons Transportation of Wheat and Maize in Rajasthan.	87–88
1178.	राजस्थान में कोटा जंक्शन और चित्तौड़गढ़ जंक्शन के बीच बूंदी जिला होकर रेल सम्पर्क	Railway Link between Kota Junc-tion and Chittaurgarh Junction via Bundi District in Rajasthan. ..	88
1179.	चेतक एक्सप्रेस का सराय रोहिल्ला से छूटना	Starting of Chetak Express from Sarai Rohilla	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1180.	हुबली और मारवाड़ के बीच ब्राड गेज लाइन	Broad Gauge Line between Hubli and Marwar. ..	88
1181.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के पुल स्टेशनों पर भर्ती सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों को टिकट कलक्टरों के रूप में नियुक्त करना	Posting of empannelled hands as Ticket Collectors at certain stations of Delhi Division (Northern Railway).	88-89
1182.	किसी खण्ड पर एक नयी शटल गाड़ी चलाने के लिये अपनाया जाने वाला मानदण्ड	Criteria adopted in introducing a Shuttle Train on a Section.	89
1183.	अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद	Authenticated Hindi Translation of Acts.	89
1184.	सज्यों में रेल परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए शर्त लगाना	Imposition of condition for taking up Rail Projection in States. ..	89-90
1185.	देश में उपकरण निर्माताओं द्वारा विद्युत परियोजनाओं को उपकरणों की सप्लाई	Supply of Equipment by Indigenous Manufacturers to Power Projects.	90
1186.	उड़ीसा में रेंगाली बाढ़ नियंत्रण परियोजना	Rengali Flood Control Project in Orissa.	90-91
1187.	उड़ीसा में भीमकुण्ड परियोजना	Bhimkund Project in Orissa.	91
1188.	उड़ीसा में ताल्चर उर्वरक परियोजना का निर्माण	Construction of Talcher Fertilizer Project in Orissa. ..	91-92
1189.	नंगल उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of the Nangal Fertilizer Plant.	92
1190.	उत्तर प्रदेश में बिड़ला बन्धुओं को वाणिज्यिक दरों पर बिजली की सप्लाई	Supply of power to Berlas in U.P. at Commercial Rates. ..	92-93
1191.	विदेशी फार्मेम्यूटिकल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Pharmaceutical Companies.	93
1192.	भारतीय औषध उद्योग में विदेशी प्रौद्योगिकी	Foreign Technology in Indian Pharmaceutical Industry. ..	93-94
1193.	पश्चिम बंगाल में बिजली सप्लाई के गैर-सरकारी लाइसेंसों को समाप्त करना	Elimination of Private Licences of Electric Supply in West Bengal.	94
1194.	पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्थित रेलवे लोको रिपेयरिंग शाप में बेकार पड़े संयंत्र और मशीनें	Plants and Machinery lying idle in Railway Loco repairing shop at New Jalpaiguri in West Bengal.	94
1195.	बड़ौदा के निकट पेट्रो रसायन कारखाना-समूह	Petro-chemical complex near Baroda.	94-95
1196.	पटना में गंगा-पुल का निर्माण	Construction of Ganga Bridge at Patna.	95-96
1197.	रेलवे की ढुलाई क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposals to increase movement capacity of Railways. ..	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1198.	दिल्ली में पेट्रोल की कमी	Scarcity of Petrol in Delhi.	96
1199.	अधिक सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिये राष्ट्रीय परियोजना का चयन	Selection of National Project for creation of more irrigation potential. ..	96–97
1200.	राजस्थान नहर परियोजना के लिये धन का नियतन	Allocation for Rajasthan Canal Project.	97
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	97
	आन्ध्र प्रदेश के सूर्यपेट नगर में विषैली शराब पीने के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार	Reported death of several persons in Survyapet town in Andhra Pradesh due to liquor poisoning.	97
	श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	97
	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant ..	98
	दिल्ली में हरियाणा के अध्यापकों की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of Haryana Teachers in Delhi.	100
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	102
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	103
	24वां प्रतिवेदन	Twenty-fourth Report ..	103
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	103
	67वां प्रतिवेदन	Sixty Seventh Report	103
	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address ..	103
	श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	103
	श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	104
	श्री ए० पी० शर्मा	Shri A.P. Sharma ..	104
	श्री सी०टी० दण्डपाणि	Shri C.T. Dhandapani	105
	श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda	106
	श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun ..	106
	श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	106
	श्री राम सिंह भाई वर्मा	Shri Ram Singh Bhai Verma	107
	श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	107
	श्री वी० शंकर गिरि	Shri V. Shankar Giri	108
	श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra	109
	श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani ..	109
	श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	109
	श्री पी० एम० सईद	Shri P.M. Sayeed ..	110
	श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	111
	श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga ..	111
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	112

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 27 फरवरी, 1973/8 फाल्गुन, 1894 (शक)
Tuesday, February 27, 1973/Phalguna 8, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत और बंगला देश द्वारा संयुक्त बिजली बोर्ड की स्थापना

+

***101. श्री के० बालदण्डायुतम :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश ने संयुक्त बिजली बोर्ड की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड को क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं; और

(ग) क्या बोर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जी हां ।

पारस्परिक लाभ के लिये विद्युत प्रणालियों और ऊर्जा संसाधनों से लाभों को अधिकतम करने के लिय सर्वाधिक प्रभावी संयुक्त प्रयासों को सुनिश्चित करने के निमित्त दोनों देशों के मध्य संपर्क स्थापित करना बोर्ड के मुख्य कार्य हैं । यह क्षेत्रों में विद्युत ग्रिडों को मिलाने के लिए दीर्घ-कालीन परियोजनाएं भी तैयार करेगा और दोनों देशों को प्रभावित करने वाली विद्युत विकास समस्याओं पर समन्वित तकनीकी अध्ययन करेगी ।

आशा है कि बोर्ड शीघ्र ही काम करना प्रारंभ कर देगा ।

श्री के० बालदण्डायुतम : विवरण में मंत्री महोदय ने बताया है कि क्षेत्रों में विद्युत ग्रिडों के मिलाने के लिए दीर्घकालीन परियोजनाएं तैयार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय ग्रिड के बिना यह कैसे संभव होगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव): योजना उलकोला को बंगला देश के ठाकुरगांव और अशोक नगर को जैसोर से मिलाने की है और कुछ पुर्वी क्षेत्रों को त्रिपुरा और मिजोरम से मिलाने की है। केवल 10–15 एम०जी० विद्युत का विनिमय प्रस्तावित है। हमारा इसे तुरन्त लागू करने का विचार है। दीर्घावधि योजनाएं बाद में बनेंगी। विचार यह है कि संयुक्त बिजली बोर्ड दोनों देशों के सर्वाधिक लाभ के लिये बिजली का आदान प्रदान करेगा।

श्री के० बालदण्डायुतम : विवरण में बताया गया है कि यह बोर्ड तुरन्त कार्य करने लगेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितना समय लगेगा ?

डा० के० एल० राव : बोर्ड की पहली बैठक मार्च के अन्त में होने की आशा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदार : पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी है। क्या भारत सरकार ने इस संयुक्त बोर्ड से राज्य को बिजली देने का अनुरोध किया है ?

डा० के० एल० राव : राज्य के पश्चिमी भाग में बिजली की कमी है। हमें यदि बंगला देश से बिजली मिलेगी भी तो वह पूर्वी भाग के लिए मिलेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदार : पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षेत्र में है।

डा० के० एल० राव : मैं बंगला देश के बारे में कह रहा था। उसके पूर्वी भाग में बिजली फालतू है जो त्रिपुरा और मिजोरम की ओर है जबकि पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाले भाग में उनके पास हमें देने के लिए बिजली नहीं हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह संयुक्त बोर्ड प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए बनाया गया है या दोनों ओर फालतू बिजली मिलने की क्षमता का उपयोग करने के लिये बनाया गया है और वह यह पता लगाएगा किसके पास कितनी फालतू बिजली है और किसे उससे कितना लाभ होगा ?

डा० के० एल० राव : हमें दोनों देशों की बिजली की स्थिति का पता है। जैसा मैंने कहा बंगला देश के पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस है और वहां कर्णफूली जलाशय भी है जिनसे बिजली त्रिपुरा और मिजोरम के लिए हमें मिल सकती है। बंगला देश के पश्चिम में पश्चिम बंगाल की ओर प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं है और उन्हें कोयले पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न यह है कि यदि हम उन्हें कोयला दें और वह बिजली घर बनायें और हमें बिजली दें और पश्चिम बंगाल में अधिक बिजली मिलने पर संथाल बिजली घर से हम उन्हें बिजली दें—इन सभी मामलों पर यह संयुक्त बिजली बोर्ड विचार करेगा।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि बिजली पूर्वी क्षेत्र को मिलेगी, तो क्या असम के कुछ भाग को भी जो बंगला देश के पूर्व में है यह बिजली मिल सकेगी ?

डा० के०एल० राव : मैंने यह कहा था कि बंगला देश पूर्वी छोर के लिये कुछ बिजली दे सकता है और कचार को भी उस ओर से बिजली मिल सकती है। परन्तु इन सभी पहलुओं पर अभी विचार किया जाना है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister just now mentioned the names of some cities for survey. May I know whether Bangla Desh would also contribute towards expenditure thereon?

We were also told that the Board would start functioning shortly. I want to know whether it would have representatives of both the side and if so, how many for each side and when it will start its work?

डा० के० एल० राव : सामान्य परम्परा के अनुसार दोनों देशों में लाइनें बिछाने का काम प्रत्येक देश द्वारा स्वयं पूरा किया जाता है अर्थात भारत में लाइनें भारत सरकार बिछाएगी और बंगला देश में वहां की सरकार यह काम पूरा करेगी।

संयुक्त बोर्ड की सदस्यता के बारे में दोनों देशों के दो-दो प्रतिनिधि होंगें अर्थात कुल चार प्रतिनिधि होंगें।

Shri Hukam Chand Kachwai: What about the expenditure involved?

डा० के० एल० राव : किसी अतिरिक्त व्यय का तो प्रश्न ही नहीं है । हम उनके लिए कोई विशेष लाइन नहीं बनाएंगे। निकटतम लाइनों को ही बढ़ाया जाएगा ।

(कुछ माननीय सदस्य उठे ।)

अध्यक्ष महोदय : अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं । 3–4 प्रश्नों की सीमा होनी चाहिए। इनसे बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिएं ।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्योंकि मंत्री महोदय के कथनानुसार यह बोर्ड तुरन्त अपना कार्य आरम्भ करने वाला हैं, तो क्या यह बोर्ड पूर्वी राज्यों और बंगला देश में नदियों के तुफान के पानी से बिजली के उत्पादन पर भी विचार करेगा। विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में नदियों में भारी ज्वार भाटा आता है इसलिए उस पानी से भी बिजली बनाना संभव है । तो क्या यह बोर्ड इस पहलू पर भी विचार करेगा क्योंकि इससे सस्ते दामों पर बिजली पैदा की जा सकती है ?

डा० के० एल० राव : तुफान के बहाव से बिजली बनाना अभी भारत में सुनिश्चित नहीं हुआ है। संसार भर में केवल फ्रांस और सोवियत संघ में ही यह संभव है और वास्तव में केवल फ्रांस में ही बिजली का इस प्रकार उत्पादन होता है जबकि सोवियत संघ में अभी जांच कार्य चल रहा है । भारत में केवल भावनगर और हुगली में ऐसा संभव है और वहां हम जांच करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता हैं । परन्तु इस मामलों पर बोर्ड विचार नहीं करेगा ।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पता लगाएगी कि बंगला देश से पश्चिम बंगाल का वर्तमान बिजली संकट दूर करने के लिए कोई फालतू बिजली मिल सकती है ?

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाले बंगला देश के क्षेत्र में कोई फालतू बिजली उपलब्ध नहीं है । वहां केवल त्रिपुरा और मिजोरम की ओर बिजली मिल सकती है ।

श्री दशरथ देव : क्या बंगला देश के साथ हुए इस करार से डम्बरू पनबिजली परियोजना रुक जाएगी जिस से असम ने त्रिपुरा को बिजली देनी है ?

डा० के० एल० राव : यह तो छोटी सी योजना है जिससे केवल 9 किलोवाट बिजली मिलेगी । हमें तो बंगला देश से इससे कहीं अधिक बिजली मिलेगी । यह परियोजना चालू रहेगी ।

बंगलौर और दिल्ली के बीच सीधा रेल सम्पर्क

***102. श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलौर और दिल्ली के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : दिल्ली से बेंगलूरू और आगे कन्याकुमारी तक एक सीधे रेल सम्पर्क की व्यवस्था के लिए विचारार्थ अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं । इन प्रस्तावों को रूप-रेखा पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने 1972-73 के अपने बजट भाषण में दी थी । इस दिशा में पहले कदम के रूप में 280.29 किलोमीटर लम्बी गुन्तकल्लू-वेंगलूरू मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू किया जा चुका हैं।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : बंगलौर गुंटाकल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए पहला कदम उठाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका कोई प्रस्ताव हैं । गुंटाकल से गुलबर्गा तक बड़ी लाइन है इसे उदगीर नाणदेद और अमरावती के रास्ते बेतूल तक बढ़ाया जा सकता हैं । यह दूरी 521 किलोमीटर की हैं और हम मद्रास के रास्ते बंगलौर से दिल्ली की 2621 किलोमीटर की दूरी में से 600 किलोमीटर की दूरी घटा सकते हैं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं बता चुका हूं कि अनेक सुझाव आए हैं जिनमें एक छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का भी हैं । एक सुझाव यह भी है कि गुंटकल को सिकंदराबाद और उसे वहेर्धा से जोड़ा जाए ।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : माननीय प्रधान मंत्री कन्याकुमारी त्रिवेन्द्रम रेलमार्ग की नींव रख चुकी हैं । त्रिवेन्द्रम से यह मार्ग तिरुनेलवेली और फिर बंगलौर जाएगा । क्या यह कार्य आरम्भ हो चुका हैं और चल रहा या नहीं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : जी हां, यह कार्य चल रहा है ।

श्री के० मालन्ना : क्वा गूंटाकल के रास्ते बंगलौर-दिल्ली लाइन आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र से हो कर जाती है और वहां रोजगार देने की क्या संभावनाऐं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो दूसरा हैं । मुख्य प्रश्न सीधे रेल मार्ग के बारे में है । मुझे खद है कि मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता ।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या प्रस्तावित रेल मार्ग बंगलौर से होकर हैं या मंगलौर से या दोनों से ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यह मार्ग बंगलौर से होकर जाता है ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौड: क्योंकि दिल्ली से बंगलौर तक की यात्रा में 50 घंटे से अधिक समय लगता है तो क्या मंत्री महोदय जी०टी० को वृबंदावन एक्सप्रेस से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ताकि न्यूनतम समय खर्च हो ?

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : विचार के लिए यह एक अच्छा प्रस्ताव है ।

कन्टेनर सेवा की लोकप्रियता और इसका विस्तार

+

***103. श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा परिचालित कन्टैनर सेवा लोकप्रिय होती जा रही है; और

(ख) यह सेवा अब तक किन-किन सैक्शनों पर शुरू की गई है तथा करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अब तक नौ सेवाएं चालू की गयी हैं तथा ग्यारह और सेवाएं चालू करने के विषय में जांच की जा रही है ।

2. जिन टर्मिनल स्टेशनों के बीच इस समय ये सेवाएं परिचालित हैं उनके नाम तथा उनके चालू करने की तारीख इस प्रकार है :—

सेवा का नाम	चालू करने की तारीख
1. बम्बई और इलाहाबाद	15-1-66
2. बम्बई और नई दिल्ली	20-11-67
3. मद्रास और वेंगलूरु	14-1-69

सेवा का नाम	चालू करने की तारीख
4. नई दिल्ली और कलकत्ता	15-3-69
5. बम्बई और मद्रास	16-4-69
6. बम्बई और सिकन्दराबाद	23-5-69
7. बम्बई और बेंगलूरू	11-11-69
8. कलकत्ता और मद्रास	3-11-70
9. बम्बई और कलकत्ता	16-4-71

3. अगले दो वर्षों के दौरान नीचें लिखे टर्मिनल स्टेशनों के बीच कंटेनर सेवा चालू करने की जांच की जा रही है :-

1. नई दिल्ली—मद्रास/बेंगलूरु
2. कोच्चिन (एर्णाकुलम)/बेंगलूरु
3. नई दिल्ली- सिकन्दराबाद
4. बम्बई—बड़ौदा/सूरत
5. बम्बई—कोटा
6. बम्बई—कानपुर
7. पुणे—मद्रास
8. पुणे—कलकत्ता
9. कलकत्ता—सिकन्दराबाद
10. सिकन्दराबाद—मद्रास
11. हवड़ा—गुवाहाटी

Shri Shrikishan Modi : In five years, nine services were started. What is the reason of not starting them earlier?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Nine services have been started and it is proposed to start eleven more.

Shri Shrikishan Modi : All the services you have referred to in your statement, are broad gauge service. May I know whether there is any proposal to start any service on meter gauge? May I also know whether there is any special problem regarding meter gauge and if so, upto what time it will be started ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Container service is always started only where, there is more traffic. Therefore, there is no proposal to start this on meter gauge.

श्री पी० एम० मेहता : वक्तव्य से यह पता चलता है कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कन्टेनर सेवाओं को चालू करने की गति धीमी रही है । इसके क्या कारण हैं ? क्या इसे लाभदायक नहीं पाया गया है? गत वर्ष इन सेवाओं के चालू करने के बाद कितना लाभ हुआ था ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि कनटेनर सेवाओं में कमी हुई है । पर तथ्य यह है कि वह बढ़ गई है। 1971–72 में कन्टेनरों की संख्या 31,934 थी जबकि 1970-71 में यह संख्या केवल 25,585 ही थी । इससे स्पष्ट है कि कन्टेनर सेवा में वृद्धि हुई है तथा इससे होने वाला लाभ वर्ष 1966-67 में 3.68 लाख रुपयों की तुलना में वर्ष 1971-72 में 143.60 लाख रुपये है ।

श्री पी० एम० मेहता : उत्तर का सम्बन्ध माल से है अथवा वजन से है। कितनी सेवाएं चालू की गई तथा इनकी प्रगति की गति धीमी क्यों हो गई है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं बता चुका हूं कि नौ सेवाएं चालू की गई हैं तथा 11 और चालू करने का विचार है ।

पांचवीं कोंकण रेल लाइन का मंगलौर तक विस्तार

*104. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोंकण रेल लाइन के मंगलौर तक विस्तार करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र): (क) और (ख) : आप्टा से मंगलूर तक नयी रेलवे लाइन के लिए टोह-इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका हैं और रिपोर्ट प्राप्त ही गयी है । सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं । आप्टा से दासगांव तक (108 किलोमीटर में) सूखा सहायता कार्य के रूप में मिट्टी सम्बंधी काम शुरू करने का निश्चय किया गया है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इसके लिए कितने धन की आवश्यकता है ?

श्री ललित नारायण मिश्र: आप पूरे सैक्शन के बारे में पूछ रहे हैं या दासगांव तक के बारे में ? पूरे सेक्शन के लिए, जो 900 कि०मी० से ज्यादा है, लागत व्यय 300 करोड़ रुपये से अधिक होगा । पर 108 कि०मी० के इस टुकड़े पर कुल 11 करोड़ रुपये की लागत आयेगी तथा मिट्टी डालने पर 50 लाख रुपये व्यय होंगे ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह कितने वर्षों में पूरा हो जायेगा ?

श्री ललित नारायण मिश्र : कल मैंने विभिन्न प्रस्तावों का हवाला देते हुए तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर सरकार के निर्णय बताते हुए एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा है । अभी तक हमने केवल दासगांव तक 108 कि०मी० की दूरी की लाइन की ही स्वीकृति दी है । कुल दूरी 900 कि०मी० है और इसमें लम्बा समय लगेगा । उसके सम्बन्ध में हमने अभी समय निश्चित नहीं किया है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : दासगांव से मंगलौर के बीच का काम कब हाथ में लिया जायेगा । इसकी दूरी कितनी है तथा तत्सम्बन्धी कार्यक्रम क्या है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : इसका पता सर्वेक्षण होने का बाद ही चल सकता है और वह अभी तक पुरा नहीं हुआ है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जब माननीय मंत्री यह कहते हैं कि आप्टा और मंगलौर के बीच का सर्वेक्षण पूरा हो गया है तब मंगलौर तक सारे कार्य को हाथ में लेने में क्या कठिनाई हैं ?

श्री ललित नारायण मिश्र : इस पर लगभग 225 करोड़ रुपया खर्च होगा । यह तो हुआ एक पहलू फिर गाड़ी के डिब्बे आदि भी होंगे और इस प्रकार 330 करोड़ रुपये खर्च आएगा । सारी परियोजना पर 330 करोड़ रुपये से अधिक रुपया खर्च होगा । यह एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी परियोजना है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे ।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रश्न को प्रश्न संख्या 105 से सम्बद्ध करने के बाद आगे प्रश्न दूछने की अमुमति दूंगा ।

आप्टा से दादगांव तक वेस्ट कोस्ट रेलवे

*105. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट कोस्ट रेलवे पर आप्टा से दादगांव तक कार्य आरंभ करने के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया है और यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस रेल लाइन पर आने वाले खर्च के एक भाग को वहन करना स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी समझौता क्या है; और

(ग) सरकार इस लाइन पर विशेष रूप से सुरंगों तथा पुलों का निर्माण करने के लिए कार्य कब आरम्भ करेगी ?

रेल मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र): (क) सूखा-सहायता उपाय के रूप में इस खण्ड में मिट्टी सम्बन्धी काम शुरू करने की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने मुफ्त भूमि की व्यवस्था करने और सूखा सहायता के अन्तर्गत मिट्टी सम्बन्धी काम का एक भाग क्रियान्वित करने के लिए पेशकश की है बशर्ते कि अन्य राज्यों में नयी लाइनें बनाने के लिए यही शर्तें लागू की जायें ।

(ग) मिट्टी सम्बन्धी काम शुरू किया जा रहा हैं और निर्माण के अन्य प्रमुख कार्य लाइन की मंजूरी मिल जाने के बाद यथा समय शुरू किये जायें ।

श्री शंकर राव सावन्त : प्रश्न के उत्तर में बहुत से परन्तुक लगाए गये हैं और ये और भी असहज हो जायेंगे यदि इस समय प्रचलित नौकरशाही को चलने दिया गया । हम पहले ही काम का एक महीना खो चुके हैं क्योंकि मिट्टी का काम 5 फरवरी को शुरू होना था और यह सब विभागीय कटुता के कारण हुआ है । इस सबको तथा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो यही शर्तें अन्य राज्यों पर भी लागू की जायेंगी ? मिट्टी का काम कब शुरू किया जायेगा ? स्वीकृति कौन देता है ? यह कब तक दी जायेगी, जिससे मुख्य कार्य को चालू किया जा सके ?

श्री ललित नारायण मिश्र: पहली बात तो यह है कि मैंने इस सब पर अपने बजट भाषण में प्रकाश डाल दिया था । दूसरे इसकी व्याख्या करते हुए मैंने कल सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा था । जहां तक महाराष्ट्र सरकार के हिस्से का सम्बंध हैं वे हमें मुफ्त भूमि देने को राजी हो गये हैं । हमने उन्हें सुझाव दिया है कि वे मिट्टी के काम का भी कुछ भार अपने ऊपर लें ले क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र सूखा राहत कार्य भी करना है । यह लाइन सूखा ग्रस्त क्षेत्र में पड़ती है । जैसा कि मैं मूल प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं यदि अन्य राज्य भी ऐसा करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा और हम अभी भी उस शर्त पर कायम हैं कि हमें जमीन मुफ्त मिलेगी और मिट्टी के काम के एक भाग का भार राज्य स्वयं वहन करेगा यदि अन्य राज्य भी इस पर सहमत हो जाते हैं । यह महाराष्ट्र सरकार की शर्त है । योजना को तैयार किया जा रहा हैं । यह कहना कठिन है कि सब कार्य और यह योजना कब तक पूरी होगी । 409 कि०मी० की योजना को पूरा करना आसान काम नहीं हैं ।

श्री शंकर राव सावन्त : मैंने यह पूछा था कि मिट्टी का काम कब शुरू हो जायेगा और क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा रखी गई शर्तें मान ली गई हैं तथा स्वीकृति कब दी जायेगी ? इन सीधे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री ललित नारायण मिश्र : मैंने कल अपने वक्तव्य में बताया था कि मिट्टी का काम तुरन्त प्रारम्भ हो जायेगा । महाराष्ट्र सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है । इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार की सहमति मिल गई है । काम की स्वीकृति दी जा चुकी है । कल मैंने एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा था ।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न पश्चिमी तट की कोंकण रेलवे लाइन के बारे में है । अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि महाराष्ट्र की अन्य दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में संसाधनों की उपलब्धता, पांचवीं योजना में यातायात के लिए आवश्यकता तथा इस प्रकार के विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । क्या हम यह मान लें कि पश्चिमी तटीय कोंकण रेलवे के सम्बन्ध में विचार और जांच की जा रही है तथा इसके काम को तुरंत चालू करने का प्रश्न ही नहीं उठता ?

श्री ललित नारायण मिश्र : जहां तक 108 कि०मी० का प्रश्न है उस पर काम शुरू हो रहा है । तथापि हमें अभी मिट्टी का काम शुरू करना है । पूरी परियोजना को स्वीकृति दी जा चुकी है । मुझे सभा से इसके लिए पैसा मांगना पड़ेगा । बजट में इसका उपबन्ध नहीं है ।

प्रो० मधु मदण्डवते : क्या जब तक कोंकण लाइनों की स्वीकृति और बजट सम्बन्धी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वे विचाराधीन ही रहेंगी ?

श्री ललित नारायण मिश्र : परियोजना तैयार पड़ी है । सर्वेक्षण हो चुका है तथा उस पर कितनी लागत आएगी इसका हमें पता है प्रश्न पैसे का है । 108 कि०मी० के टुकड़े पर काम शुरू होने वाला है तथा वह समय पर पूरी हो जायेगी । 790 कि०मी० फिर भी रह जाती है और उसके लिए हमें 325 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है । सदस्य मेरे साथ इसे अनुभव करेंगे । ..... (**व्यवधान**)

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री ने अपने कल के वक्तव्य में कहा था कि आप्टा से दसगांव तक बड़ी लाइन पर सब कुछ मिला कर कुल 225 करोड़ रुपये की लागत आएगी । क्या मंत्री महोदय अपने आंकड़ों का पुनरीक्षण कर 225 करोड़ रुपये के बजाय इतने थोड़े से समय में 325 करोड़ रुपये करना चाहते हैं । क्या कोंकण रेलवे की स्वीकृति दी जा चुकी है अथवा महाराष्ट्र में 7 जनवरी, 1973 को प्रधान मंत्री के वक्तव्य द्वारा उस स्वीकृति दी जानी है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : निःसन्देह यह निर्णय प्रधान मंत्री की पहल पर ही लिया गया है । मैं उस क्षेत्र में गया था और कुछ घोषणा की थी । सर्वेक्षण हो रहा है । 108 कि०मी० की स्वीकृति दी जा चुकी है । उस पर 325 करोड़ रुपये, मैं माननीय मंत्री से डिब्बों आदि पर आने वाले खर्चे की ओर ध्यान देने को कहूंगा, जिस पर 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा । मैं सदस्य महोदय इन आंकड़ों को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं..... (**व्यवधान**) । फिलहाल 108 कि०मी० पर काम शुरू होगा, शेष के लिए हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री धामनकर : क्या मिट्टी डालने का काम दोनों ओर से साथ साथ शुरू हो जायेगा ?

श्री ललित नारायण मिश्र : यह एक सुझाव है और इस सम्बन्ध में निर्णय लेना इंजीनियरों का काम है ।

श्री एस० बी० गिरि : माननीय मंत्री के वक्तव्य से लगता है कुछ महत्वपूर्ण कार्य नयी लाइनें/लाइनों को बदलने आदि के कार्य सरकार के विचाराधीन हैं । उनमें एक गुन्टूर-मछरेला लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और वादीकुडे से बीबीनगर तक नई रेलवे लाइन बिछाने का काम भी है । क्या दक्षिण-मध्य रेलवे ने कोई योजना भेजी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : यह लाइन महाराष्ट्र में नहीं है । मैं योजना की स्थिति प्राप्त प्रस्तावों, किए गए अथवा किए जा रहे सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में बता चुका हूं । यदि माननीय सदस्य मेरे बजट भाषण के पैरा 41 और 42 को देखें तो उन्हें पता चल जायेगा कि उक्त रेलवे लाइन किस स्थिति में है ।

श्री एस० बी० गिरि : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे बोर्ड को दक्षिण मध्य रेलवे से गुन्टूर-मछरेला लाइन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं कृपया मुख्य प्रश्न पर रहिये ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि इस कार्य को स्वीकृति इसलिए दी गई क्योंकि यह भाग सूखा ग्रस्त था । यह एक अच्छी नीति है कि नियमित योजना में न होते हुए भी सूखे की स्थिति तथा अन्य बातों की दृष्टि से इन कार्यों को लिया जायेगा । क्या माननीय मंत्री के ध्यान में इस प्रकार अन्य राज्यों में नए कार्य आरम्भ करने की बात है और यदि हां तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव उनके पास आया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न की सीमा से बाहर है ।

श्री राजा कुलकर्णी : यह सब धोखा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के वक्तव्य के कारण पैदा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

CUT IN SUPPLY OF POWER FROM BHAKRA PROJECT

*107. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Power supply from Bhakra Project has been curtailed;

(b) if so, the extent thereof; and

(c) whether Government propose to pay compensation to the Factories which have suffered loss due to curtailment of power supply from Bhakra.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) & (b): The Power supply form Bhakra-Nangal which was on an average 12.5 million units per day upto 10th December, 1972 has been reduced thereafter to an average of 10.26 million units per day.

(c) There is no such proposal.

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, May I know the names of the states which have been affected with the curtailment of power supply and the estimated cost of the factories and cultivation works which have affected with such a curtailment?

Shri Balgovind Verma: Punjab, Haryana, Rajasthan and DESU in Delhi have been affected by the curtailment of power supply. I cannot say any thing regarding the loss caused by it.....(*interruption*)

Shri Onkar Lal Berwa : Why not? Notices of the questions are given well in advance by one or one and a half month. I have asked the extent to which supply has been curtailed, you should tell us to what extent factories and cultivation works are suffering.

Mr. Speaker: Please ask another question.

Shri Onkar Lal Berwa: Who is responsible for this curtailment in power supply and what measures have been adopted to see that there is no shortage of power in future?

Shri Bal Govind Verma : Sir, may I submit that nature is responsible for the shortage (*interruption*) Water level in Bhakra is 1680 Feet but this year it remained 1609 Feet. It is only the nature, therefore, responsible for the shortage. Had water been available, there could have been no such shortage.....(*interruption*).

श्री मोहम्मद खुदा बख्श : क्या बिजली की सप्लाई में कमी होने के कारण उद्योगपति बिजली पैदा करने के कार्य में नहीं लगेंगे जिससे भविष्य में उद्योगों की बिजली की मांग कम हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव): हमारे यहां बिजली की कमी हो गई है । जो उद्योग अपने उपयोग के लिये बिजली उत्पादन करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा रही है ।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : देखने में तो बिजली की सप्लाई में कटौती बहुत कम जान पड़ती है परन्तु जब इस तथ्य की ओर ध्यान देते हैं कि 26 में से 24 जिलों में अकाल की गम्भीर स्थिति है यह सरकारी मूल्यांकन है मेरा अपना नहीं, तब क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इस कमी को मध्यप्रदेश की सप्लाई से पूरा किया जायेगा और बिजली की कमी के कारण पानी सप्लाई करने वाली किसी भी योजना के कार्य में कमी नहीं आयेगी ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि भाखड़ा में बिजली उत्पादन में इतनी कमी नहीं हुई है कि बिजली की सप्लाई में इतनी कटौती की जाती । परन्तु पंजाब और हरियाणा में दो वर्षों में बिजली की खपत में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इसीलिये बिजली की इतनी अधिक कमी दिखाई पड़ती है कि हमें केवल भटिंडा तथा बदरपुर परियोजनाओं को अत्यन्त शीघ्र पूरा करने के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से इस कमी को पूरा करना संभव नहीं दिखाई देता । इन

दो परियोजनाओं के पूरा हो जाने से निकट भविष्य में यह कमी पूरी हो जायेगी । सतपुड़ा से ऐसी आशा करना कठिन है क्योंकि मध्यप्रदेश में थोड़ी सी बिजली पैदा होती है और जितनी बिजली पैदा होती है वह राजस्थान के उपयोग के लिये दी जाती है । राजस्थान भी अपनी बिजली की सप्लाई में कमी करने वाला है ।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि बिजली की इस कमी से पानी सप्लाई की कोई भी योजना प्रभावित नहीं होगी ?

डा० के० एल० राव : पीने के पानी के लिए बिजली की सप्लाई में कभी भी कटौती नहीं की जाती है । समस्त देश के लिए ऐसी ही प्रक्रिया है ।

Shri Nawal Kishore Sharma : May I know from the hon. Minister whether he will take steps for early commissioning of Kota Thermal Power Station to make up the shortage of power supply from Bhakra to Rajasthan? I would like to know the date by which Kota Thermal Power Station will start functioning.

डा० के० एल० राव : यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य अतिरिक्त तापीय एकक से है तो मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है । यदि उनका तात्पर्य राणाप्रतापसागर अणुशक्ति संयंत्र से है तो इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि एक एकक अधिष्ठापित किया गया है और चालू होने वाला है । आशा की जाती है कि अगले एक या दो महीनों में बिजली की सप्लाई आरम्भ हो जाएगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has just now said that a small quantity is produced in Satpura and whatever is produced now is being supplied to Rajasthan. May I know whether the Hon. Minister is aware of the economic crisis in Satpura and the shortage of generation due to want of resources? Will he take steps to make up the shortage ?

डा० के० एल० राव : मैंने जो कुछ बताया है वह बिजली की मांग के बारे में बताया है । मांग की दृष्टि से सतपुड़ा में बहुत अधिक बिजली पैदा नहीं होती है । वास्तव में यहां 6 से 6 लाख यूनिट फालतू होती है परन्तु मांग के संदर्भ में यह उत्पादन बहुत अधिक नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I have asked whether the Centre would provide economic assistance to help the economic crisis and to make good the other resources not-available in Satpura.

Mr. Speaker : You are doing this every time.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I have said that the shortage of power is due to non-availability of funds and certain other resources.

Shri Satpal Kapur : May I know the time by which power projects requested to by the states affected Punjab, Haryana and Delhi by the curtailment of Bhakra Supply? May I know whether there is proposal under consideration of the Government to establish a Atomic Power Plant in Punjab and a Thermal power station in Haryana and if so, the time by which it will be cleared and the time by which power supply to Punjab from Satpura will be started?

डा० के० एल० राव : अणुविद्युत केन्द्र से विद्युत उत्पादन में बहुत समय लगता है । इसमें 10 वर्ष का समय लग जाता है । पंजाब, हरियाणा तथा अन्य क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने का उपाय अणुविद्युत केन्द्र की स्थापना नहीं अपितु पहले से चल रही पनबिजली तथा तापीय बिजली परियोजनाओं का शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना है । तभी बिजली की पर्याप्त सप्लाई हो सकती है । मैंने बताया है कि अणुविद्युत केन्द्र के चालू होने में बहुत समय लगता है । एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है और इस परियोजना से इन क्षेत्रों को भी बिजली की सप्लाई की जायेगी । परन्तु पता नहीं यह कब तक चालू होगा । इसमें 10 वर्ष का समय लग सकता है ।

Shri Partap Singh : May I know whether the attention of the Government has been drawn to the rapid silting of Govind Sagar lake which may cause a further cut in power generation in near future, if so whether it is proposed to provide more funds to Himachal Pradesh Government to check silting and to have a continuous supply of water in the lake so that the Catchment areas may be protected and the loss for the future may be avoided?

Mr. Speaker: The Question is regarding the supply of electricity and you are asking about the assistance to Himachal Pradesh. It is not related to the original question.

Shri Partap Singh: There will be water storage in the lake with the increase of the silt and this will result in shortage of power generation. Therefore, the catchment area should be protected and money is needed for the purpose.

डा० के० ए ल० राव : माननीय सदस्य के दिमाग में झील के भरने की बात है कि झील को भरने से वहां पानी की कमी हो जायेगी । परन्तु ऐसा कई वर्षों तक नहीं रहता है । पानी की कमी झील के भरने के कारण नहीं हुई है । यह पर्याप्त वर्षा न होने क कारण हुई है । माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत हूं कि रेत को तेजी से जमा होने से रोका जाना चाहिए । हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं । नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू-सुरक्षण का कार्य किया जा रहा है ।

बिजली संकट को दूर करने के लिए एक समिति का गठन

***108. श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली संकट से उत्पन्न हुई स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये सरकार ने एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार ने वर्तमान बिजली संकट की सीमा और उसके स्वरूप और उद्योग पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के बारे में कोई अन्य उपाय किये है; और

(ग) यदि हां तो समिति अथवा अन्य साधनों के माध्यम से किये गये मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा): (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

देश में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति को दृष्टि में रखते हुई विद्युत-प्रदाय स्थिति में शीघ्र सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देने के लिए मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है । इस दल में ये सम्मिलिति हैं :— अध्यक्ष—योजना मंत्री (योजना आयोग का उपाध्यक्ष) सदस्य—वित्त मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, इस्पात और खान मंत्री, रेलवे मंत्री और सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री ने प्रत्येक राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया और सुधार तथा पारस्परिक सहायता के लिये शीघ्र किये जाने वाले उपाय निकाले । सिंचाई और विद्युत मंत्री ने देश के प्रसिद्ध विद्युत-इंजीनियरों की एक बैठक भी की और विद्युत संकट के संबंध में उनकी सलाह का लाभ उठाया ।

आपातकालीन आधार पर पहले से ही कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान विद्युत-जनन यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने और कार्यान्वयनाधीन विद्युत केन्द्रों को पूर्ण करने में तेजी लाने के उपायों को सुझाने के लिए विद्युत के क्षेत्र में विशेषज्ञ सलाहकारों के रूप में नियुक्त किए गए हैं; और उनके सुझाव कार्यान्वित किए जा रहे हैं । कोयले तेल और फालतू पुर्जों की पर्याप्त सप्लाई का प्रबंध किया जा रहा है । विद्युतजनन स्कीमों के निर्माण में तेजी लाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो अतिरिक्त धन राशियां दी जा रही हैं । परियोजनाओं के लिए अनिवार्य निर्माण सामग्री, विशेष रूप से इस्पात और सीमेंट का प्रबंध किया जा रहा है । पहले से प्राप्त किए गए डीजल सेटों के प्रतिष्ठापन के अतिरिक्त कुछ डीजल सेटों का आयात किया जा रहा है ।

श्री समर गुह : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस समय विद्युत की कुल कमी कितनी है और इसके क्या कारण हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इस कमी को किस हद तक तथा कितने समय में पूरा कर लेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : दामोदर घाटी निगम में विद्युत की कमी के विभिन्न कारण हैं जिसमें उचित प्रकार के कोयले की सप्लाई का अपर्याप्त होना तथा कुछ मशीनों तथा उपकरणों का खराब होना है। इसमें लगभग 50 से 100 मेगावाट की कमी है। पनबिजली उत्पन्न नहीं की जा रही है क्योंकि जलाशय में इस समय पानी नहीं है दोनों कारणों से पूरी बिजली उत्पन्न नहीं की जा सकी। पहला कारण है कि उन्हें अच्छा कोयला नहीं मिल रहा है और दूसरा कारण यह है कि मशीनों की मरम्मत हो रही है। आशा है उन्हें जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा।

श्री समर गुह : उत्तर में बताया गया है कि मंत्री महोदय ने देश के विख्यात विद्युत इंजीनियरों की एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने विद्युत संकट के बारे में कुछ परामर्श दिया है।

मौजूदा बिजलीघरों की कार्यकुशलता को सुधारने तथा बैठक में दिये गये सुझावों की क्रियान्विति के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी। मैं जानना चाहता हूं विशेषज्ञों ने क्या सुझाव दिये थे और सलाहकार समिति ने क्या परामर्श दिया है। पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल में कमी को किस हद तक तथा किस प्रकार पूरा किया जा सकता है ?

डा० के० एल० राव : समूचे देश के लिए विभिन्न सुझाव दिये गये हैं। समूचे देश में कमी को पूरा करने के बारे में अनेक सुझाव दिये गये हैं। क्या माननीय सदस्य किसी विशेष परियोजना के बारे में पूछना चाहते हैं ?

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि आप को सलाहकार समिति ने क्या परामर्श अथवा सुझाव दिये हैं ?

डा० के० एल० राव : पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में तमिल नाडु को छोड़कर शेष देश में ताप बिजलीघर ठीक ही कार्य कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में बड़ी समस्या उचित कोयले की सप्लाई है। उन्हें घटिया कोयला मिलता है। इसके लिए तीन चरणों वाले कोयला साफ करने वाले कारखानों की आवश्यकता है परन्तु हमारे पास दो चरणों वाले कारखाने हैं। कोयले से ऐसी सामग्री निकलती है जो मशीनों को खराब कर देती है। सुझाव यह है कि इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाये। अल्पावधि के लिए संकट को दूर करने हेतु यह सुझाव दिया गया है कि फालतू पुर्जे तुरन्त मंगाये जायें और सन्थाल बी, दुर्गापुर तथा चन्द्रापुर बिजलीघरों को शीघ्र चालू किया जाये।

नेवेली बिजलीघर की पूरी क्षमता 600 मैगावाट है परन्तु हम लिग्नाईट के अभाव के कारण आधी बिजली भी उत्पन्न नहीं कर सके हैं। अतः यह सुझाव दिया गया है कि तेल अथवा कोयले पर आधारित, इंजन लगाये जायें।

ऐसे अनेक सुझाव दिये गये हैं। यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं इन्हें पुस्तकालय में रख दूंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं जानना चाहता हूं कि यदि सरकार बिजली की कमी को रोकने के मामले में गम्भीर है तो वह सतपुरा में जहां कि उच्च किस्म का करोड़ों टन कोयला उपलब्ध था एक हजार मैगावाट का बिजलीघर क्यों नहीं बनाती ?

डा० के० एल० राव : दुर्भाग्य से सतपुड़ा केन्द्र पर कठिनाई यह है कि वहां कोयला बहुत दूर से आता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : किन्तु कोयला जो निकाला नहीं जा रहा है आपके पास में ही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बहस न कीजिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्षमा कीजिए मैंने कोयले के उन निक्षेपों के बारे में कहा था जो भूमि की सतह पर ही हैं और जिसे निकाला नहीं जा रहा है।

डा० के० एल० राव : में इस बारे में पहले ही बता चुका हूं। यह संयम हमने इस आशा से लगाया था कि हमें पर्याप्त कोयला पास से ही मिल सकेगा किन्तु हमें कोयला वहां से न मिल सका और लगभग 150 मील दूर से कोयला मंगाना पड़ रहा है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : कोठागुदाम और रामागुंडम तापीय संयंत्रों के ठीक से कार्य न करने के कारण उस क्षेत्र के लोगों को कष्ट हो रहा है। वहां धान की फसल नष्ट हो रही है। स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

डा० के० एल० राव : आन्ध्र के सामने समस्या यह है कि वहां बिजली अधिष्ठापित क्षमता से कम है और वह इस मामले में मैसूर और उड़ीसा से मिलने वाली बिजली पर निर्भर करता है। इस वर्ष भी कोयले की कमी है। यही सबसे बड़ी कठिनाई है। कोठागुदाम और रामागुंडम स्थित संयंत्रों में जो गड़बड़ी पैदा हो गई थी उसे दूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। चूंकि पड़ोसी राज्यों के सामने भी कठिनाई थी इसलिए उनसे भी उसे बिजली नहीं मिल सकी।

श्री राम सहाय पाण्डे : बिजली का यह संकट अभूतपूर्व है। वक्तव्य में कहा गया है कि देश में आये विद्युत संकट को देखते हुए स्थिति के अध्ययन के लिये मंत्रियों की एक समिति बना दी गई है। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है; तेल और छोटेमोटे पुर्जों की व्यवस्था कर दी गई है ; विद्युत-प्रजनन योजनाओं के निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से अतिरिक्त धन जुटा दिया गया है; इस्पात और सीमेन्ट भी उपलब्ध है। प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है फिर भी समस्या हल नहीं हो पा रही है। कम वर्षा से पनबिजली पैदा करने वाले बिजलीघर बन्द पड़े हैं। क्या मंत्री महोदय ऐसे स्थानों पर जहां कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जैसे मध्य प्रदेश तापीय बिजली-घर लगाने के प्रश्न पर विचार करेंगी ? कई अभ्यावेदनों के बावजूद भी इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या मध्यप्रदेश सरकार से उन्हें अभ्यावेदन नहीं मिले हैं।

डा० के० एल० राव : हमें यह पता है कि मध्य प्रदेश में कोयले की बहुतायत है। इस प्रश्न और तापीय बिजली-घर स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी और वह इस मामले में अपेक्षित जांच-पड़ताल कर रही है। अब हमें यह देखना है कि क्या ऐसा करना छठी योजना तक सम्भव हो जायेगा।

श्री भान सिंह भौंरा : भटिंडा तापीय संयंत्र को 1972 में चालू हो जाना चाहिए था किन्तु अब वह 1973 में चालू होगा, जैसा कि वे कहते हैं। मुझे संदेह है कि वह 1974 में भी चालू हो सकेगा। सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे यह शीघ्र ही चालू हो जाये।

डा० के० एल० राव : पाकिस्तान से संघर्ष होने के कारण भटिंडा तापीय संयंत्र के चालू होने से 6 महीने का विलम्ब हुआ है। अन्यथा इस पर कार्य सामान्य गति से चल रहा है और मुझे आशा है कि यह बिजली घर इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

Shri Phool Chand Verma : It is stated that additional funds are being made available for this purpose. I would like to know the amount proposed to be given to Satpura power station in Madhya Pradesh and also the amount proposed to be given to other states, statewise.

Shri Nawal Kishore Sinha: This question pertains to the whole country while we are concentrating only on one state.

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस विषय पर कल के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि मेरा नाम बैलट में निश्चित रूप से आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं।

डा० के० एल० राव : मंत्रियों का जो दल गठित किया गया है वह आगामी चार-छः महीनों के दौरान बिजली की कमी के बारे में अध्ययन करेगा। यह पूरी योजना-अवधि के लिए नहीं है। जहां तक सम्भव होगा, हम आगामी छः महीनों में इस संकट को दूर करना चाहते हैं। अतः अगली योजना अथवा किसी और अवधि के लिये धन का प्रश्न ही नहीं उठता। यह दल केवल ऐसे उपाय करेगा जिनसे विद्युत संकट तत्काल हल हो जाये। सम्पूर्ण विद्युत संकट को दूर करने के लिये इसका गठन नहीं किया गया है। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका अधिकांश भाग बन चुका है और जो

थोड़ा अधिक धन दिये जाने पर शीघ्र पूरा हो सकती हैं। ऐसी परियोजनाओं को ही धन दिया जायेगा ऐसी परियोजनाओं को नहीं जो अभी शुरू की जानी हैं। मध्य प्रदेश में कोई ऐसी परियोजना नहीं है जो लगभग पूरी होने वाली हो और जिसे धन दिया जाये। सम्पूर्ण देश में ऐसी परियोजनाएं हैं और उनमें से कुछ को चुना गया है।

Shri Phool Chand Verma : I would like to know the total amount you are going to invest.

Shri Hukam Chand Kachwai : It should be told as to how much they want to invest.

डा० के० एल० राव : ये वे ही परियोजनाएं हैं जिनका अधिकांश भाग पूरा हो चुका है और जिनकी निर्माण-गति को तेज किया जाना है। उदाहरणार्थ पथरातू परियोजना है, जो लगभग पूरी हो गई है और जिसमें थोड़ा सा धन लगाने पर ही बिजली बनने लगेगी। ऐसी परियोजनाएं सारे देश में हैं। यदि कुछ परियोजनाओं को कुछ अधिक धन की भी आवश्यकता होगी तो उन्हें दिया जायेगा।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु में बिजली की सप्लाई 75 प्रतिशत कम कर दी गई है जिसका वहां के उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है क्या सरकार वहां कुछ तापीय बिजली-घर स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि बिजली का संकट तत्काल दूर हो जाये। क्या कुछ जेनेरेटरों का आयात करने का भी प्रस्ताव है

डा० के० एल० राव : बिजली के वर्तमान संकट को हल करने के लिए नये बिजली घरों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि एक नये बिजलीघर के चालू होने में पांच-छः वर्ष लग जाते हैं। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, कलपक्कम बिजलीघर को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। विद्यमान बिजलीघरों में अधिक बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। केरल से भी बिजली लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। बिजली की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए विद्यमान परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर भी छोटा ही होना चाहिए।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : चूंकि बिजली की वर्तमान कमी का प्रमुख कारण अनेक विद्युत परियोजनाओं का पूरा न होना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बड़ी विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेगी ?

डा० के० एल० राव : यह बड़ी परियोजनाओं का प्रश्न नहीं है, यह राज्य के आकार का प्रश्न है। उदाहरण के लिए मनीपुर को लीजिए मनीपुर एक छोटा राज्य है। वहां एक परियोजना अनेक लोगों की आवश्यकता पूरी करेगी। इसी प्रकार ऐसे कुछ राज्य हैं जहां कई राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय परियोजनाओं पर कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में बदरपुर परियोजना और जम्मू तथा काश्मीर में सलाल परियोजना।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Manufacture of Double Decker Wagons and Increase in Wagon Production During Fifth Five Year Plan

*106. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a Scheme to increase the production of Railway wagons and also have under consideration a Scheme to manufacture double decker wagons in the Fifth 5-year Plan; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Railways (Shri L.N. Mishra): (a) The Ministry of Railways have taken adequate steps to increase wagon production both by wagon builders and Railway Workshops. There is currently no scheme to develop or take up the manufacture of a double-decker wagon in the Fifth Five Year Plan.

(b) The following steps have been taken to increase the wagon production:—

(i) Adequate advance orders for wagons have been placed.

(ii) Shortfall in indigenous availability of steel and wheelsets is being imported by the Railways to meet the enhanced production.

(iii) Adequate supply of important wagon components like centre buffer couplers, roller bearing axle boxes, etc. is being arranged to match the production.

(iv) The targets of wagon production in the three Railway Workshops, Viz. (N. Rly), Golden Rock (S. Rly) and Samastipur (N.E. Rly) have been increased from about 2,000 to 4,000 per year in terms of four-wheelers.

Allotment of Petrol Pumps and Gas Agencies to Ex-Servicemen and Members of Families of the Soldier Killed in Action.

*109. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:—

(a) whether Government have recently given facilities for the allotment of petrol pumps and gas agencies to the ex-Servicemen and members of families of the soldiers killed in action:

(b) if so, the number of ex-servicemen and the members of the aforesaid families who have been benefitted thereby during 1972; and

(c) whether the civilians have been completely deprived of such facilities?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D.K. Borooah): (a) Yes, Sir.

(b) 22 Retail Outlets and 33 Indane Distributorships of the Indian Oil Corporation were commissioned under this scheme during 1972. The total number of beneficiaries, taking into account the award of outlets/distributorships to more than one applicant in partnership etc., amounts to 65 persons.

(c) No, Sir Priority is, however, given in allotment of agencies/distributorships etc. to the categories mentioned in (b) above.

नागौर (राजस्थान) में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

*110. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में अच्छी किस्म की जिप्सम के लगभग 20 करोड़ टन निक्षेपों का पता लगाया गया है ;

(ख) क्या सरकार नागौर में जोधपुर के निकट गंधक का एक कारखाना लगाने पर विचार कर रही है क्योंकि पलाना और बीकानेर के निकट लिग्नाइट और डीडवाना में क्लोराइड भी उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो नागौर में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के सरकार के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) राजस्थान में जिप्सम के बड़े भण्डार से सरकार अवगत है ।

(ख) जी नहीं । परन्तु कुछ सुझाव इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं । भारतीय उर्वरक निगम द्वारा लिगनाईट और नमक के साथ साथ जिप्सम की सलफर के स्रोत के रूप में आर्थिक उपयोग के लिये परीक्षण और जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु में बिजली की कमी

***111. श्री पी० ए० सामिनाथन् :**

श्री सी० टी० दण्डापाणि :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली संकट का तमिलनाडु के छोटे कारखानों पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या तमिलनाडु में बिजली संकट के स्थायी रूप से बने रहने की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य को सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी०—4288/73]

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन

***112. श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवर्तित सामाजिक परिवेश के कारण हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(IA) के अन्तर्गत तलाक मंजूर करने की अवधि दो वर्ष से घटा कर छह महीने करने की मांग की गई है ।

(ख) क्या उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत तलाक के उपरान्त पुनः विवाह करने की प्रतीक्षा अवधि 1 वर्ष से घटाकर 3 महीने करने की भी मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) सुझावों की, विधि का संशोधन करने के लिये अन्य प्रस्तावों सहित जांच की जा रही है ।

पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन डालना

***113. श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइपलाइन डालने के प्रस्ताव पर रेलवे विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो क्या इससे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे पर पड़ने वाले ढुलाई के भार को कम करने में मददलगी

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) और (ख) जी हां । योजना आयोग की सलाह से पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए ट्राम्बे से पुणे तक उत्पादन पाइपलाइन डालने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

अधूरे पड़े रासायनिक कारखाने

*114 **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में इस समय कितने रासायनिक कारखाने अधूरे पड़े है;

(ख) वे कितनी अवधि से अधूरे पड़े हैं तथा कहां कहां पर स्थित हैं; और

(ग) उनके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) से (ग) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रसायन संयंत्रों के संबंध में एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है । गैर सरकारी क्षेत्र के रसायन संयंत्रों की सूचना पूर्ण नहीं है । यह एकत्र की जा रही है । भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में भी रसायन संयंत्र हैं । उन मंत्रालयों के संयंत्रों के अपेक्षित ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं । तत्पश्चात एक संयंत्र अन्य विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जायेगा ।

[ग्रेथालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी०—4289/73]

तेल के अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध

*115. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित विकासशील देशों में पेट्रोलियम शोधन के बारे में संयुक्त राष्ट्र गोष्ठी में भाग लेते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया था कि वह व्यापक अन्वेषण और आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करके विकासशील देशों के साधनों को अधिक से अधिक बढ़ाने में संगठित प्रयास करे; और

(ख) यदि हां तो गोष्ठी में आम राय क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सेमीनार में सर्व सम्मति से व्यक्त किया गया कि संयुक्त राष्ट्र पर विकास शील देशों निम्न मामलों में सहायता देने और मार्ग दर्शन करने के लिए बल दिया जाये :—

(1) तकनीकी विषय और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शक्ति विकास कार्यक्रम का आयोजन विशेष रूप से जो तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित है को मिला करे ।

(2) तेल प्राकृतिक गैस और अन्य सम्बन्धित क्षेत्र में आर्थिक सहायता के लिये प्रस्ताव की तैयारी;

(3) तेल और गैस के लिये धन्ना अन्वेषण;

(4) शोधन शालाओं की स्थापना;

(5) पैट्रोलियम क्षेत्र के विकास के लिये समझौतों के मसौदे तैयार करना, कानूनी विषय परियोजना मूल्यांकन और सम्बन्धित क्रियाएं;

(6) विकासशील देशों में पैट्रोलियम पदार्थों के विशेष विवरण और उपयोगों को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के विचार से वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय और शैक्षिक स्तर का विकास करना, प्रयोग में कार्य कुशलता की उन्नति, शक्ति स्रोतों का संरक्षण अनुसंधान और डिजाइन क्षमताओं का विकास; और

(7) बढ़ती हुई पैट्रोलियम क्रियाओं के अवलंबन के लिये कुशल कलाकारों के प्रशिक्षण के लिये तकनीकी संस्थाओं की स्थापना ।

विचार गोष्ठी की रिपोर्ट का मसौदा अभी तक संयुक्त राष्ट्र के विचाराधीन है ।

उत्तर रेलवे के मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ सैक्शनों पर अपराध की घटनाएं

*116. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य किसी सैक्शन की अपेक्षा मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ सैक्शनों पर अधिक अपराध होते हैं; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इनको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जघन्य अपराध के मामले में मुरादाबाद मण्डल जिसमें ये खण्ड स्थित हैं उत्तर रेलवे के दूसरे मण्डलों जैसे इलाहाबाद और दिल्ली मण्डल से बदतर नहीं है ।

(ख) वर्तमान स्थिति कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई हालत के कारण है । ऐसी घटनाओं की रोक-थाम के लिए जो निवारक उपाय किये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) यथासम्भव महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के निःशस्त्र/सशस्त्र कर्मचारी चलते हैं ।

(2) मार्गरक्षी ड्यूटी की अचानक जांच/पर्यवेक्षण का काम तेज कर दिया गया है ।

(3) जो गाड़ी अनुरक्षी अपनी ड्यूटी में लापरवाह पाये जाते है उन्हें निवारक सजा दी जाती है ।

(4) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोक थाम के लिए नवम्बर 1972, में रेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों में, विशेषकर बुरी तरह प्रभावी क्षेत्रों में, सशस्त्र पहरे की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा था ताकि यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके । उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ये उपाय किये जा चुके हैं ।

(5) इस सम्बन्ध में मार्च 1973 में उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस के महानिरीक्षकों की एक बैठक बुलाने का भी रेल मंत्री का विचार है ।

नई रेलवे लाइन बिछाने के बारे में योजना आयोग का निर्देश

*117. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार योजना आयोग के इस निर्देश का पुनरीक्षण करने का है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में तब तक कोई नई रेल लाइन न बिछाई जाये जब तक उस पर लगने वाली पूंजी से 10 प्रतिशत की दर से लाभ होने की गारन्टी न हो; और

(ख) यदि हां तो इस निदेश का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र): (क) योजना आयोग से ऐसा कोई निदेश नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वैगन खरीदने का कार्यक्रम

*118. **श्री भोला मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का कार्यक्रम 81,600 वैगन खरीदने का था;

(ख) निर्माताओं से अभी तक कितने वैगन खरीद लिए गए हैं; और

(ग) इस समय रेलवे के पास कुल कितने वैगन हैं ?

रेल मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) चौथी योजना के दौरान (चौपहियों के हिसाब से) 68,776 माल डिब्बे खरीदने का प्रस्ताव था। लेकिन अभी तक कुल 81,600 माल डिब्बों का आर्डर दिया गया है ताकि माल डिब्बा निर्माण उद्योग के लिये पर्याप्त कार्यभार की व्यवस्था हो जाये और रेलें पांचवीं योजना के आरम्भ में यातायात की मांग को पूरा करने को तैयार हो जायें।

(ख) 31-1-1973 तक प्राइवेट माल डिब्बा निर्माताओं और रेल कारखानों, दोनों से कुल लगभग 43,370 चौपहिए माल डिब्बे अधिप्राप्त किये गये।

(ग) चौपहिये माल डिब्बों के हिसाब से 30-11-72 को बड़ी और मीटर लाइन के कुल 4,93,871.5 माल डिब्बे थे।

बिहार में पनबिजली संयंत्र की मंजूरी

*119. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में एक पनबिजली संयंत्र की मंजूरी देने के लिये केन्द्र को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) राज्य अधिकारियों द्वारा की गई कोयलकारों परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की गई थी और राज्य अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे सिविल और विद्युत कार्यों के लिये एक संहत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधन शामिल हों और परियोजना की लागत अद्यतन की गई हो। इसके उपरांत बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से अनुरोध किया कि वे संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करें और इसके निर्माण कार्य को हाथ में लें। परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

Demand of the Employees of O. & N. G. C.

*120. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Min ister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government had received a memorandum in December, 1971 from the Joint Action Committee of the employees of the Oil and Natural Gas Commission demanding grant of interim relief, revision of pay-scales and grant of bonus; and

(b) if so, the action since taken by Government thereon?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D.K. Borooah) : (a) & (b) A memorandum on this subject from a body called ONGC Employees Joint Action Committee was received in December, 1972. This was forwarded to the ONG Commission for consideration.

The Commission has since reported that in pursuance of a settlement reached with the representatives of the recognised Unions in January, 1973, it has been decided, *inter alia*, to pay

to the ONGC employees, the third interim Relief, to include this relief in the earnings of the employees for 1970-71 and 1971-72 for the purpose of determination of interim bonus/*ex gratia* and to pay the arrears of interim bonus/*ex gratia* for 1970-71 and 1971-72 which became due on this account. The negotiations for wage revision are still in progress between the ONGC management and its recognised Unions.

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सिद्धि, दोष सिद्धि

1001. श्री अरविन्द पटेल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों मे कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी और उसके निदेशक के विरुद्ध दोष सिद्ध किये गये; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) जुलाई 1972 से दिसम्बर 1972 की अवधि के मध्य दोषी ठहराई गई कम्पनियों और उनके निदेशकों के सम्बन्ध में सूचना संग्रहीत की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Accumulation of Coal at pitheads due to non-availability of Railway wagons

1002. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether coal has accumulated at pitheads of coalfields as a result of shortage of Railways wagons;

(b) whether coal has become unusable as a result of its continuous accumulation there; and

(c) if so, the action taken by Government to lift the coal from there?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The pithead stock in the various coalfields has come down to 7.08 million tonnes as on 31-12-72 as against 8.47 million tonnes as on 31-12-71.

(b) Some coal does deteriorate in quality but it is not possible to assess the quantum of coal which has become unusable out of the present pit head stocks.

(c) Constant efforts are being made to step up movement of coal from the different fields. A total number of 8017 wagons were loaded daily during 1972-73 (upto January) against 7747 wagons per day during the corresponding period of 1971-72, representing an increase of 270 wagons per day.

Schemes for Generation of Power in Ladakh District

1003. Shri Kushok Bakula: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the schemes for generation of power at the various places in Ladakh District; and

(b) the time by which the said schemes would be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b): The Stakna Hydro Electric Project (4800 KW) near Leh is under construction and is scheduled to be completed by the end of 1977. Besides, six small hydro projects in Ladakh such as Leh (12500 KW) Suru (Kargil) (9600 KW), Dras (3000 KW), Karu (7500 KW), Gaik (6300KW) and Tangtse (3600 KW) have been investigated and will be completed in about 5to 6 years after being taken up for execution.

भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने में एकत्रित हो गए उर्वरकों की ढुलाई के लिए रेल वैगन

1004. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों की कमी के कारण भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने में लगभग 8,000 टन उर्वरक एकत्रित हो गये हैं ;

(ख) क्या सिंदरी के प्रबन्धकों ने वैगनों की अनुपलब्धता के कारण भिन्न-भिन्न स्थानों को उर्वरक भेजने में असमर्थता प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) इस मंत्रालय को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं। पहली अक्तूबर, 1972 से 10 फरवरी, 1973 तक की अवधि में सिंदरी से उर्वरकों की ढुलाई से सम्बन्धित सभी मांगें पूरी कर दी गयी थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुधरा हुआ चार पहिये वाला ढका हुआ रेल वैगन

1005. श्री बहादुर सिंह :

श्री पी० गंगा देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने एक सुधरा हुआ चार पहिये वाला ढका हुआ रेल वैगन तैयार किया है जिसकी क्षमता पुराने अच्छे किस्म के ढके हुए वैगन से 25 प्रतिशत अधिक भार ढोने की है; और

(ख) यदि हां तो सुधरे हुए प्रकार के वैगनों के निर्माण का क्या कार्यक्रम है ?

रेल मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र): (क) जी हां।

(ख) 1972-73 के चल स्टाक कार्यक्रम में 13,536 सी०आर०टी० माल डिब्बों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया है। आशा है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात 31-3-1974 तक लगभग 6,000 माल डिब्बे बनाये जायेंगे।

पाईप लाईन जांच आयोग का प्रतिवेदन

1006. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइप लाइन जांच आयोग द्वारा की जा रही जांच पूरी हो गई है और सरकार को प्रतिवेदन दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य-मुख्य बात क्या हैं; और यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। आशा की जाती है कि आयोग की रिपोर्ट 31 अगस्त, 1973 तक सरकार को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राजस्थान को खाद्यान्न तथा चारे की सप्लाई के लिए वैगन उपलब्ध करना

1007. श्री विश्वनाथा झुंझुनवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में खाद्यान्न और चारे की कमी इस कारण बढ़ गई है कि अन्य राज्यों से इन वस्तुओं को लाने के लिये पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कोई शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये गए हैं कि रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान को खाद्यान्न तथा चारे की सप्लाई न रुके ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी नहीं।

(ख) परिवहन की सभी अड़चनों को दूर करने के लिये राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

(ग) खाद्य मंत्रालय द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान के लिये पूरे खाद्यान्न की ढुलाई की जा चुकी है । मांग के अनुसार चारे की ढुलाई भी संतोषजनक रही ।

Introduction of Jayanti Janta Express Train

1008. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a new train Jayanti Janta Express has been introduced recently;

(b) if so, the names of the stations between which it runs; and

(c) the total kilometres of journey this train would cover on one side?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) New Delhi on the one hand and Mangalore and Ernakulam on the other, the train being formed/bifurcated at Shoranur.

(c) The distance covered by this train between New Delhi and Mangalore is 3036 Kms. and between New Delhi and Ernakulam is 2836 Kms.

Extension of Guna-Maksi Broad Gauge Line to Shivpuri

1009. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R.V. Badde :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the District Advisory Committee in Gwalior Division demanding extension of Guna-Maksi broad gauge line to Shivpuri and laying of a new Railway line from Shivpuri to Jhansi; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the steps proposed to be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Mohd. Shafi Qureshi: (a) Yes.

(b) Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, it will be difficult to consider the extension of the Guna-Maksi line under construction to Shivpuri and Jhansi.

New Railway Line from Rajhara to Bastar in Madhya Pradesh

1010. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R.V. Badde :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to construct a new Railway line from Rajhara to Bastar in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) A traffic Survey for a B.G. line from Dhalli-Rajhara to Dantewara/Jagdalpur in Baster area has recently been completed & the report is at present under examination of the Railway Board. Meanwhile Final Location Survey for this line has also been taken up. Further consideration to this proposal will be given after the results of this survey become known.

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी रूप से खपाना

1011. श्री रोबिन ककोटी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्वोत्तर सीमांत रेलवे के ऐसे नैमित्तिक मजदूरों की कुल संख्या क्या है जो तीन वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं पर जिन्हें स्थायी रूप से नहीं खपाया गया है ;

(ख) पुर्वोत्तर सीमांत्त रेलवे में एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे नैमित्तिक मजदूरों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) इन नैमित्तिक मजदूरों को कब तक स्थायी बनाया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) 31-3-1972 को 1049

(ख) 31-3-1972 को 2440

(ग) जांच समितियों द्वारा उपयुक्त पाये जाने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को श्रेणी IV के नियमित पदों पर नियुक्त किया जाता है । एक बार नियमित पदों पर नियुक्त हो जाने के बाद उन्हें उनकी वरिष्ठता के क्रम में स्थायी कर दिया जाता है ।

मैसूर उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र

1012. श्री धर्मराव अफजल पुरकर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश श्री एच०बी० दातार ने त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो त्यागपत्र देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एन० आर० गोखले): (क) जी हां ।

(ख) न्यायाधीश ने निम्नलिखित कारण दिये थे :—

(1) जब उन्हें उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था तब उच्च न्यायालय में बहुत अधिक कार्य था । वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति के नेतृत्व में लम्बित मामलों में काफ़ी कमी हो गई और उनकी राय में उच्च न्यायालय को उनकी सेवाओं की आगे आवश्यकता नहीं है ।

(2) उनके उच्च न्यायालय मे नियुक्त किये जाने के विरुद्ध राज्य की विधान सभा में कुछ निराधार आलोचना की गई थी और राज्य प्राधिकारियों ने सदन में दिये गये गलत कथनों को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया । उनके विचार में यदि वे लोग जो न्यायाधीशों को सहायता और संरक्षण देने की स्थिति में हों ऐसा नहीं करते तो न्यायाधीश असहाय स्थिति में रहते हैं, उन्हें ऐसी अवस्था में रहना अच्छा नहीं लगा और इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 217(1) के परन्तुक (क) के अनुसार कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा । त्याग पत्र के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने की कोई बात संविधान में नहीं है । इस प्रकार यह मामला पूर्णतः न्यायाधीश के विवेकाधीन है और इस पर सरकार की किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं हैं । तथापि राज्य की विधानसभा में उनके उच्च न्यायालय में नियुक्त किये जाने के विरुद्ध लगाये गए आरोप सही नहीं है ।

Joining the Laksar Railway Station Road with Purkatri-Haridwar Road

1013. Shri Mulki Raj Saini: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a metalled road has been constructed on the South of Laksar Railway Station along the Railway line;

(b) the reasons for not joining this road with the Purkatri-Haridwar metalled road;

(c) whether some persons are in illegal occupation of the land meant for the road; and

(d) when Government propose to complete the road?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) The metalled road along the railway lines serves the railway colony, and it is not considered essential from the Railway's point of view to connect it with Purkatri-Haridwar Road.

(c) There is no railway land earmarked for the road. However, encroachements measuring 537 sq. ft. at the back of East Cabin at Laksar have been noticed recently.

(d) Does not arise.

Contracts given at Najibabad Railway Station (Northern Railway)

1014. Shri Mulki Raj Saini : Will be the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of persons to whom contracts have been given for the sale of food, tea, fruit, betel leaf and cigarettes on monthly or yearly basis and the amount of contract to each of them at Najibabad Railway Station (Northern Railway);

(b) the number of vendors working there; and

(c) the amount charged from each of them on daily or monthly basis?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a),(b) and (c) A statement is attached:

[Placed in the Library. See No. LT—4290/73].

भू-अधिग्रहण कार्य के लिए व्यास बांध परियोजना पर राजस्व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

1015. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुनःस्थापन पुनर्वास और भू-अधिग्रहण के लिए तलवाड़ा में व्यास बांध परियोजना पर राजस्व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुनः स्थापान और पुनर्वास उप-आयुक्त से सबद्ध कर्मचारियों को विशेष वेतन और भत्ता दिया जाता है जबकि भू-अधिग्रहण विभाग के कर्मचारियों को विशेष वेतन और भत्ता नहीं दिया जाता ; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनका मामला व्यास बांध निर्माण बोर्ड नई दिल्ली के सचिव को भेजा है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और भू-अधिग्रहण विभाग के कर्मचारियों को विशेष वेतन और भत्ता देने में देरी करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) विस्थापितों के पुर्नास्थापन और पुनर्वास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त राजस्व कर्मचारी तलवाड़ा में व्यास बांध परियोजना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं । दूसरी ओर भू-अधिग्रहण कर्मचारी सीधे हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं ।

(ख) उप-आयुक्त पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारी व्यास बांध परियोजना सिब्बंदी के एक भाग के रूप में हैं और व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं । भू-अधिग्रहण कार्य में लगे कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सरकार की सूची में हैं और वही वेतन और भत्ता प्राप्त करते हैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिये स्वीकार्य है ।

(ग) इस सम्बन्ध में सचिव, व्यास निर्माण बोर्ड के पास हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । बहरहाल, व्यास निर्माण बोर्ड को स्थायी समिति ने (जिसमें हिमाचल प्रदेश को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है)

इन मामलों पर एक से अधिक बार विचार किया है और निर्णय लिया है कि :—

(1) ऐसे कर्मचारियों को विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिए जिसके वे साधारणतया हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन हकदार हैं और

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार के उन कर्मचारियों को परियोजना भत्ते और मकान किराये भत्ते की मंजूरी के संबंध में रियायत स्वीकार्य होगी जो पहली जनवरी, 1971 से भू-अधिग्रहण कार्य पर लगे हों ।

मानव निर्मित फाइबर के सम्बन्ध में अनुसंधान

1016. श्री के० लकप्पा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 80 प्रतिशत लोग मानव निर्मित फाइवर के बजाये रूई का उपयोग करते है; और

(ख) क्या सरकार मानव निर्मित फाइवर के सम्बन्ध में गहन अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण. करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सी०एस०आई० आर० द्वारा स्थापित समिति ने सिफारिश की है कि रेशा कताई अन्तिम रूप देने और रंगाई की सुविधायें सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसियेशन (सासमीरा) में स्थापित की जानी चाहिए । सासमीरा यू०एन०डी०पी० प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुसंधान कार्य के लिए एक पायलट प्लांट प्राप्त कर रहा है । सी०एस०आई० आर० की उसी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि भारतीय पैट्रोल रसायन निगम लि० के अनुसंधान व विकास कार्यक्रम के संयोग में कच्चे माल की तैयारी और पालीमरीकरण आदि का अनुसंधान और विकास कार्य बड़ौदे में किया जाये । इन अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित करने के लिये सी०एस०आई०आर० के आई०वी०सी०एल० के साथ सहयोग का एक सुझाव विचाराधीन है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यमान एककों में उनकी फैक्टरियों से अनुबद्ध कुछ अनुसंधान व विकास कार्यक्रम चल रहा है और इस समय इन अनुसंधान व विकास सुविधाओं के विस्तार के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

गत दो वर्षों में संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के लिए दिए गए लाइसेंस

1017. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में देश में राज्यवार, संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के लिये प्रतिवर्ष कितने एककों को लाइसेंस दिए गए तथा उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितनी धन राशि लगी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : सी०आई०बी० लाइसेंसों (क्योंकि इनमें नये निवेश शामिल नहीं है), के अतिरिक्त संश्लिष्ट तन्तुओं के विनिर्माण के लिये गत दो वर्षों में लाइसेंसकृत यूनिटों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	पार्टी का नाम	विनिर्माण के लिये पदार्थ का नाम तथा उस पदार्थ की वार्षिक क्षमता मीटरी टनों में	निवेश की राशि (भूमि भवन और मशीनरी पर) (अनुमान)
	महाराष्ट्र स्टेट (राज्य)	1971	(करोड़ रुपयों में)
1.	मैसर्स केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आद्ध इंडिया लि० बंबई	पोलिएस्टर स्टील फाइबर 1600 (विस्तार)	1.7
	पंजाब राज्य		
2	मैसर्स गुप्पालोन लि० लुधियाना	नयलोन यार्न—1000 (नया उपक्रम)	4.1
	तमिलनाडु	1972	
3.	मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि० दिल्ली (मैसर्स श्रीराम फाइबर्स लि०)	नायलोन टायर कार्ड— 2000 (नया उपक्रम)	6.1
	महाराष्ट्र		
4.	मैसर्स नेशनल रायन कारपोरेशन लि० बंबई	नायलोन टायर कार्ड 2200	5.5

संयुक्त क्षेत्र में 'आंध्र प्रदेश फाईबर्ज लिमिटेड' नामक कम्पनी की स्थापना

1018. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद स्थित श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, तथा आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने संयुक्त क्षेत्र में 'आंध्र प्रदेश फाईबर्ज लिमिटेड, नामक एक नई कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो उक्त परियोजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इसके निदेशक मंडल के सदस्यों के क्या नाम हैं तथा इस संयुक्त उद्यम में विभिन्न भागीदारों द्वारा कितनी कितनी शेयर पूंजी लगाई गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अपने नायलन फिलामेन्ट यार्न परियोजन के कार्यान्वयन के लिये आंध्रा औद्योगिक विकास निगम लि० ने अम्बिका मिल्स लि० के साथ सहयोग का निश्चय किया है ।

(ख) (i) निर्माण की मद नायलन फिलामेंट यार्न ।

(ii) दामला—2100 मीट्री टन प्रति वर्ष ।

(iii) अनुमानित पूंजी लागत—7.8 करोड़ रुपये ।

(iv) पूंजीवद्ध सामग्री की अनुमानित लागत—5.5 करोड़ रुपये ।

(ग) सरकार ने प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की निम्न शर्तों पर स्वीकृति की है :—

(i) 26% शेयर निगम के पास होंगे और 25% शेयर सहयोगी द्वारा दिए जायेंगे । शेष इक्विटी आम जनता में वितरण की जायेंगी या वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके ऋण समझौतों के आधार पर रखी जायेगी निगम किसी भी समय अपने शेयर सहयोगी या उससे सम्बन्धित कम्पनी पर या अन्य किसी पार्टी पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना नहीं लादेगा ।

(ii) निर्देशकों के बोर्ड के संगठन में बोर्ड की कुल संख्या का $\frac{1}{3}$ भाग निगम के पास होगा जबकि सहयोगी का एक निर्देशक कम होगा बशर्ते कि निगम और सहयोगी का इक्विटी अनुपात 26% : 25% रहता है शेष निर्देशक आर्थिक संस्थानों के जिन्होंने ऋण दिये हैं प्रतिनिधि होंगे या अंशधारियों में से चुने गये प्रतिनिधि होंगे ।

(iii) राज्य सरकार को चेयर मैन मनोनीत करने का अधिकार होगा । आर्थिक सहयोगी प्रबन्धक निर्देशक या संयुक्त प्रबन्धक के लिये नाम का सुझाव दे सकते हैं परन्तु नियुक्ति पर निर्णय बोर्ड का होगा । वित्त निर्देशक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा ।

पी० बी० सी० पाइपों का उत्पादन

1019. श्री एम० बी० कृष्णप्पा :

श्री के० मालन्ना :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी०बी०सी० पाइपों का देश में वर्तमान उत्पादन कितना है और यह देश की वर्तमान मांग को कहां तक पूरा कर पाता है ;

(ख) नई फैक्ट्रियों के निर्माण के कितने अभ्यावेदन विचाराधीन हैं और उन्हें कब तक अंतिम रूप दे दिया जाये गा; और

(ग) क्या सभी पी०बी०सी० निर्माण करने वाले कारखानों को स्थानीय कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है अथवा उनमें से किन्हीं को आयात की अनुमति दी जाती है; और यदि हां, तो उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) 1972 में, संगठित क्षेत्र में पी०बी०सी० पाइप्स, फिटिंग के 3000 टन उत्पादन का अनुमान था । अन्य अधिकांश प्लास्टिक के सामान की भांति पी०बी०सी०

पाइपों की मांग कई तथ्यों पर निर्भर है, जैसे स्पात और सीमेंट के पाइप की तुलना में मूल्यानिर्धारण, गुणों, उपभोक्ताओं की स्वीकारिता आदि। इस को ध्यान में रखते हुये, यह अनुमान लगाना कठिन है कि क्या वर्तमान मांग की देशीय उत्पादन से अधिक है। यह भी युक्त बतलाया जाता है कि पी०बी०सी० पाईपों के किसी आयात की अनुमति नहीं है।

(ख) पी०वी०सी० पाईपों के निर्माण के लिये 10 प्रार्थनापत्र विचारार्थ पड़े हुए हैं और शीघ्र ही फैसला किया जायेगा।

(ग) देश में पी०वी०सी० और उसके रेज़िन की कमी के कारण पी०वी०सी० पाईपों के निर्माताओं सहित प्लास्टिक के संसाधकों को आयात की अनुमति दी जा रही है।

पांचवीं योजना में मैसूर की सिंचाई परियोजना के लिए धन

1020. श्री एम० वी० कृष्णप्पा :
श्री के० मालन्ना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये कितना धन आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मैसूर में कौन-कौन सी मुख्य सिंचाई योजनायें चालू की जायेंगी तथा उस राज्य में प्रत्येक परियोजना को कितनी धन राशि आवंटित की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ते की अदायगी

1021. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन के कुछ सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह कब तक दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अधीन देय समयोपरि भत्ता दिल्ली मंडल के सहायक स्टेशन मास्टरों को 11-11-1972 तक की अवधि के लिए दिया जा चुका है। जहां तक 11-11-1972 के बाद की अवधि के लिए समयोपरि का सम्बन्ध हैं, कार्यवाई की जा रही है और भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

मैसर्स साहु-जैन और मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाभों का अन्तरण

1022. कुमारी कमला कुमारी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साहू-जैन और मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने इन कम्पनियों के कम लाभ दिखाने के लिए अपने लाभ अपनी अन्य कम्पनियों को अन्तरित कर दिये हैं; जबकि वास्तव में इन्होंने चालू वर्ष में गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा दुगुना लाभ कमाया हैं; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) मैसर्स साहू जैन लिमिटेड की लेखा बहियों का निरीक्षण कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत सम्पन्न किया गया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। मैसर्स इण्डस्ट्रियल केबल्स (इण्डिया) लिमिटेड की लेखा बहियों के लिए समरूप निरीक्षण आदेश दिया जा रहा है। क्या इन कम्पनियों ने अपने लाभ को कम करने के लिये किसी प्रक्रिया का आश्रय लिया है यह निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख करने की सामान्यतः आशा की जाती है।

चिट फण्ड कम्पनियां

1023. श्री वी० वी० नायक : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इस देश में रजिस्टर्ड चिट फण्ड कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कितने चिट फण्डों के बारे में धोखाधड़ी के मामले कम्पनी विधि प्रशासन के ध्यान में लाये गये हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना संग्रहीत की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

विवियन बोस जांच आयोग

1025. श्री भाल जीभाई परमार : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार ने डालमिया जैन कम्पनियों के बारे में विवियन बोस जांच आयोग की सिफारिशों पर कानूनी कार्यवाही के अतिरिक्त क्या प्रशासनिक कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : विवियन बोस जांच आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् सरकार ने साहूजैन समूह की कम्पनियों से निस्सृत हुए लाइसेंसों एवं ऋणों के आवेदन-पत्रों की बाबत विशिष्ट प्रथा संधारण की है । इस प्रथा की आवधिक रूप से समीक्षा की गई थी । सरकार ने निर्णय किया है कि साहू जैन समूह तथा कुछ अन्य समूहों से सम्बन्धित कम्पनियों के, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत आवधिक निरीक्षण किये जाने चाहिए ।

2. जांच आयोग के संस्थापन के पूर्व दिल्ली पुलिस स्थापना, ने डालमिया जैन एअरवेज लिमिटेड के विषय में जांच-पड़ताल प्रारंभ कर दी थी; जो जारी नहीं रखी जा सकी, क्योंकि इन विषयों से सम्बन्धित अभिलेख आयोग अपनी जांच के लिये थे । आयोग द्वारा जांच के पूर्ण हो जाने पर विशेष पुलिस स्थापना ने जांच-पड़ताल पुनः प्रारम्भ कर दी एवं जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली के न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया । आरोप संधारित किए जा चुके हैं एवं अतिरिक्त सैशन जज दिल्ली के न्यायालय में अभियोग साक्षियों का परीक्षा प्रारंभ हो गया है ।

दीघा समुद्र तट के संरक्षण की योजनाएं

1026. श्री समर गुह :
डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दीघा समुद्र तट के अस्थायी और स्थायी बचाव के संबन्ध में कोई योजना राज्य सरकार से मिली है ;

(ख) क्या एक केन्द्रीय दल ने दीघा का दौरा किया है; और यदि हां, तो दीघा के बचाव के संबंध में इस दल के निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) दीघा के बचाव के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत सरकार द्वारा गठित समुद्र-तट कटाव बोर्ड के विशेषज्ञों ने 28 दिसम्बर, 1972 को दीघा समुद्र-तट पर भू कटाव स्थलों का दौरा किया और 30 दिसम्बर, 1972 को कलकत्ता में हुई बोर्ड की बैठक के दौरान इस समस्या पर विस्तार से विचार-विमर्श किया । विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि कटाव के प्रभावी नियंत्रण के लिए समुद्र-तट का पोषण आवश्यक होगा और ऐसे पोषण के लिय रेत पम्पों की प्राप्ति न होने तक, कुछ चुनी गई रीजों में समुद्र-दीवारें निर्मित की जानी चाहिएं जिसके अनुपूरक के रूप में आस पास के क्षेत्रों से ट्रकों द्वारा लाई गई मोटी रेत द्वारा पोषित किया जाना चाहिए ।

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उचित कार्रवाई करें ।

(ग) भू-कटाव की समस्या को हल करने के लिय स्कीमें राज्य योजना के बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र का भाग हैं, जिसके लिए वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्रीय सहायता, उनको किसी विशेष स्कीम अथवा विकास शीर्ष के साथ जोड़े बिना, ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है । दीघा सुरक्षा के लिए विशेष रूप से केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

एकाधिकार आयोग द्वारा प्रतिवेदनों का दिया जाना

1027. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग द्वारा 1 दिसम्बर, 1972 से अब तक कुल कितने प्रतिवेदन दिये गये हैं और प्रत्येक प्रतिवेदन की विषय वस्तु क्या है ;

(ख) क्या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी यह आयोग सामान्य रूप से कार्य कर रहा है; और

(ग) पिछले अध्यक्ष के उच्चतम न्यायालय की बैंच में सदस्यता ग्रहण कर लेने के बाद से रिक्त पड़े हुए पद पर अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक किये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) 1 दिसम्बर, 1972 से एकाधिकार आयोग से केवल एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ख) हां, श्रीमान ।

(ग) अध्यक्ष की नियुक्ति विचाराधीन है ।

कम्पनी लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा का विकेन्द्रीकरण

1028. श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लेखा-परीक्षा कर रही कुछ फर्मों के एकाधिकार को समाप्त करने के प्रश्न पर सरकार ने जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1972 जो सदन में 11 अगस्त, 1972 को पुरःस्थापित किया गया था, में कुछ उपबन्ध सम्मिलित कर दिये गये हैं । विधेयक संसद की सयुक्त प्रवर समिति के पास विचारान्तर्गत है ।

इन्डियन मैटलस एण्ड फैरो अलायज लिमिटेड

1029. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने कभी इन्डियन मैटल्स फैरो अलायज लिमिटेड के लेखा खातों का निरीक्षण किया है जो उड़ीसा में कोरापुर में थिरुवेल्ली स्थित सिलिकान फैरों कारखाने को चलाती है ।

(ख) यदि हां, तो इसमें उत्पादन आरम्भ होने के समय से अब तक कितनी बार तथा कब-कब निरीक्षण किया गया;

(ग) कम्पनी के लेखा खातों में वर्ष 1969-70, 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में प्रचार तथा लोक सम्पर्क लेखे में कितनी-कितनी राशि दिखाई गई है; और राशि का अधिकतम भाग किसे प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या राजनैतिक दलों के नाम किसी भुगतान का उल्लेख किया गया है; और यदि हां तो कितना ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

औषध मूल्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन

1030. श्री कमल मिश्र मधुकर :
श्री शशि भूषण :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवैध मूल्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह बोर्ड अपना कार्य कब तक प्रारम्भ करेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के जारी किये जाने के परिणाम स्वरूप सरकार ने 28 जुलाई, 1970 को औषध मूल्य पुनरीक्षण बोर्ड की नियुक्ति की जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति हैं और यह (बोर्ड) तब से कार्य कर रहा है :–

(1) संयुक्त सचिव पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय	सदस्य
(3) संयुक्त सचिव आंतरिक व्यापार विभाग औद्योगिक विकास मंत्रालय	सदस्य
(4) औषध नियंत्रक (भारत) स्वास्थय सेवाओं का महानिदेशालय	सदस्य
(5) औद्योगिक सलाहकार तकनीकी विकास का महानिदेशालय	सदस्य
(6) मुख्य लागत लेखा अधिकारी वित्त मंत्रालय	सदस्य
(7) उप सचिव पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	सदस्य सचिव

बोर्ड के कार्य निम्न-प्रकार होंगे :—

(1) उद्योग से, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त हुई संशोधित कीमत सूचियों की जांच तथा जहां कहीं आवश्यक हो मूल्यों को पुनःनिर्धारित करने के लिए सिफारिश करना ।

(2) प्रपुंज औषधों के मूल्य निर्धारण हेतु प्राप्त हुए अभिवेदनों की जांच करना तथा उचित मूल्य निर्धारण हेतु सिफारिश करना ।

(3) मूल्य निर्धारण आदेश की व्यवस्था के अनुसार मूल्यों के बारे में प्राप्त विकल्पी योजनाओं से उत्पन्न समस्याओं पर विचार तथा उन पर रिपोर्ट देना ।

(4) सूत्रीकृत तथा मूल औषधों के मूल्यों की आमतौर से निगरानी रखना; और

(5) ऐसे मामलों पर विचार करना और रिपोर्ट देना जो कि उसे सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपे गये हों ।

पेटेन्ट औषधियों के विदेशी निर्माताओं द्वारा अत्यधिक लाभ कमाना

1032. डा० कैलाश : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेटेन्ट औषधियों के विदेशी निर्माता अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं जबकि उन्हें उन औषधियों के लिये कच्चे माल की आपूर्ति सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकलस लिमिटेड द्वारा की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी पेटेन्ट औषधियों का मूल्य उपभोक्ताओं के लिए कम करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) 5 लाख रुपये से अधिक बिक्री वाले, अधिकांश विदेशी शेअर वाले यूनिटों सहित सारे ही निर्माताओं को प्रपुंज औषधों, चाहे वे इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड से खरीदे गये हों अथवा कहीं और से प्राप्त किये गये हों, पर आधारित अपने उत्पादों के विक्रय मूल्य निश्चित करने में औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश में निर्दिष्ट उपबन्धों का पालन करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त उपरोक्त आदेश में यह उपबन्ध भी है कि कर से पहले कुल लाभ किसी भी वर्ष की बिक्री के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यदि इससे अधिक कुछ भी अर्जित किया हो तो उसे पृथक निधि में रखना होगा जिसे सरकार की पूर्वानुमति से, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जा सकता है :—

(क) अनुसन्धान और विकास पर व्यय;

(ख) भविष्य के लाभ या हानि के बारे में समायोजन; और

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजन जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

44 विदेशी कम्पनियों से लाभप्रदता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो जांचाधीन हैं । इस रिपोर्ट में बिक्री की प्रतिशतता तथा विनियोजित पूंजी के अनुसार लाभ-प्रदता में औसतन कमी दर्शाती है ।

Profit Earned by Fertilizer Corporation of India, Bombay During 1971-72 and 1972-73

1033. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the profit earned by the Fertilizer Corporation of India, Bombay during 1971-72 and 72-73;

(b) the year upto which the Corporation ran into losses; and

(c) the steps that resulted in making good the losses and earning profits?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) The operating profit earned by the Fertilizer Corporation of India, Trombay Unit during the year 1971-72 was Rs. 2.48 crores. The estimated profit for the year 1972-73 is Rs. 6.5 crores.

(b) The unit ran into losses upto the year 1969-70. However, it made a small profit of Rs. 49 lakhs in 1968-69.

(c) The plant had inherent production limitations because of design and engineering deficiencies. These are being gradually overcome through modifications and improvements. The improvement in the financial results since 1970-71 is mainly due to better performance of the plant, diversification schemes and better sales realisations resulting out of systematic removal of engineering deficiencies and improved operation and maintenance of the plants.

राजस्थान नहर का कार्य

1034. श्री के० बालादण्डायुत्तम : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्थान नहर के कार्य की गति बढ़ाने का विचार हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान सरकार की राज्य योजना का एक भाग है । बहरहाल, चूंकि संसाधनों की तंगी परियोजनाओं के द्रुत कार्यान्वयन में बाधा डाल रही थी केन्द्रीय सरकार इसकी प्रगति में तेजी लाने के लिये, यथासंभव गैर-योजना वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । अभी तक इस परियोजना के लिये निम्नलिखित गैर-योजना सहायता दी गई है/दी जा रही है ।

1968-69	3 50 करोड़ रुपये
1969-70	3 20 करोड़ रुपये
1971-72	3 00 करोड़ रुपये
1972-73	3.50 करोड़ रुपये
1973-74	1.97 करोड़ रुपये
कुल :	15.17 करोड़ रुपये

बंगलौर शहर के लिए सरकुलर रेलवे

1035. श्री धर्मराव अफजलपुरकार :
श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर शहर के लिये वृत्ताकार रेलवे लाईन के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली में पानी के स्रोतों के जलप्रवाहन विज्ञान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार

1036. श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जनवरी, 1973 को नई दिल्ली में पानी के स्रोतों के जलप्रवाह विज्ञान के बारे में एशियाई देशों की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था ।

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय तथा विदेशी विशेषज्ञों ने उसमें भाग लिया था; और

(ग) उसमें भारत ने क्या प्रस्ताव रखा था तथा उस पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जी, हां ।

(ख) 178 भारतीय और 15 विदेशी विशेषज्ञों ने इस सेमिनार में भाग लिया ।

(ग) इस सेमिनार में भारत द्वारा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखे गए । इस सेमिनार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के जरिए जलोढ़ सरिता प्रवाह से संबंधित समस्याओं को बेहतर रूप से समझाने के लिये, अन्य देशों में किए जा रहे अद्यतन अनुसंधानों से जल विज्ञान संबंधी अनुसंधान में लगे एशियाई क्षेत्र के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और अनुसंधान कर्त्ताओं को परिचित कराना था । भारतीय विशेषज्ञों ने, अन्य देशों के विशेषज्ञों की जानकारी के लिए इस देश में किए जा रहे वर्तमान अनुसंधानों संबंधी पृष्ठ भूमि लेख तैयार किए ।

सोमना और डांवर रेलवे स्टेशनों के बीच हावड़ा दिल्ली जनता एक्सप्रैस की टक्कर

1037. श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अलीगढ़ खुर्जा सैक्शन पर सोमना और डांवर स्टेशनों के बीच दिसम्बर 1972 में जब हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रैस की एक शंटिंग माल-गाड़ी से टक्कर हुई तो उसमें चार रेल कर्मचारी मारे गए थे एवं दो गंम्भीर रूप से घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त टक्कर का क्या कारण था; और

(ग) क्या उन मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) लखनऊ स्थित, उत्तर सर्किल के रेल संरक्षा के अपर आयुक्त के अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह टक्कर रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी ।

(ग) मारे गये चार रेल कर्मचारियों के आश्रितों को कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित मामलों पर तत्परता से कार्रवाई हो रही है ।

गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की योजना

1038. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की कोई समय-बद्ध व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसने भारतीय सर्वेक्षण विभाग से यह कहा है कि विस्तृत बाढ़ नियंत्रण योजनाए बनाने के लिये बेसिन के क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जाए ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) और (ख) गंगा बाढ़ नियत्रण आयोग गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना बनाने के लिये अपेक्षित आंकड़े इकट्ठे कर रहा है । योजना की रूप रेखा जून, 1973 के अन्त तक तैयार हो जाने की संभावना है । इसके बाद ब्यौरा तैयार किया जाएगा ।

(ग) जिन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया गया उनके सर्वेक्षण आयोजित करने के उद्देश्य से पहले किए गये सर्वेक्षणों का ब्यौरा पता करने के लिये गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने भारत सर्वेक्षण विभाग को लिखा है ।

रेल/सड़क क्रासिंगों पर उपरि पुल

1039. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइनों और सड़कों के क्रासिंगों उपरि पुलों का निर्माण करना किस का उत्तरदायित्व है; और

(ख) क्या इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिये कोई मशीनरी कायम की गयी है और यदि हां तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) और (ख) नीति के रूप में रेलें वर्तमान व्यस्त समपारों की जगह ऊपरी/लाइन के नीचे सड़क पुल बनाती हैं बशर्ते योजनाएं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की जायें और राज्य सरकार अथवा सड़क प्राधिकरण लागत का अपना हिस्सा वहन करने को सहमत हो । मोटे तौर पर, इस समय लागू नियमों के अधीन 24 फुट चौड़ी सड़क वाले ऊपरी-लाइने के नीचे के पुल तथा (पहुंच मार्ग के लिए जमीन की लागत को छोड़कर) पहुंच मार्गों की लागत का 50 प्रतिशत रेलें देती हैं और शेष 50 प्रतिशत तथा पहुंच मार्गों के लिये अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण की लागत सड़क प्राधिकरण देता है ।

पुल की संरचना का नक्शा और अनुमान रेलवे तैयार करती है और राज्य सरकार से उसका अनुमोदन कराती है । इसी प्रकार, पहुंच-मार्गों का नक्शा और अनुमान राज्य सरकार तैयार करके रेलवे से अनुमोदित कराती है । इन दो अनुमानों के आधार पर संयुक्त अनुमान तैयार किये जाते हैं और लागत का रेलवे तथा राज्य सरकार के बीच विनिधान कर दिया जाता है । पुल के निर्माण की जिम्मेदारी रेलवे की होती है जबकि पहुंच मार्गों पर काम राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा किया जाता है ।

महाराष्ट्र सरकार की बड़े तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं

1040. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1971-72 तथा 1972-73 वित्तीय वर्षों में महाराष्ट्र सरकार की कौन-कौन सी बड़े तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की मंजूरी दी है; और

(ख) महाराष्ट्र में लगातार चौथे वर्ष भी सूखा पड़ने के विचार से क्या केन्द्रीय सरकार उनके विचाराधीन योजनाओं में से कम से कम आधी योजनाओं के लिये तत्काल मंजूरी देना जरूरी नहीं समझती ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) 1971-72 के वर्ष के दौरान दो मध्यम सिंचाई स्कीमें नामशः हरिणवाड़ी और केलजर स्वीकृत हुई हैं ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने 15 नई बृहद तथा 43 मध्यम स्कीमें प्रस्तावित की हैं । इनमें से 12 बृहद तथा 39 मध्यम स्कीमें कृष्णा और गोदावरी बेसिनों में पड़ती है, जिन पर स्वीकृति के लिये विचार नहीं किया जाता क्योंकि इन नदी बेसिनों से संबंधित जल-विवादों पर न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय-निर्णयन के लिये विचार किया जा रहा है ।

अन्य बेसिनों में शेष 3 बृहद और 4 मध्यम स्कीमों की जांच की जा रही है पर राज्य सरकारों के साथ पत्राचार किया जा रहा है ताकि तकनीकी और अन्य पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा सके ।

31 दिसम्बर, 1972 को न्यायालय में लम्बित सिविल और दाण्डिक अपीलें

1041. श्री शंकरराव सावन्त :

श्री पीलू मोदी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में 31 दिसम्बर, 1972 को कितनी सिविल और दाण्डिक अपीलें लम्बित थीं; और

(ख) इन अपीलों के शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) 31 दिसम्बर, 1972 तक की जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है । 30 जून, 1972 तक की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

30 जून 1972 को उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में लम्बित सिविल और दाण्डिक अपीलों की संख्या.

क्र०सं०	न्यायालय का नाम	सिविल अपीलें	दाण्डिक अपीलें
	उच्चतम न्यायालय	6,967	595
	उच्च न्यायालय		
1.	इलाहाबाद	21,678	8,440
2	आन्ध्र प्रदेश	3,791	1,073
3.	बम्बई	14,402	2,120
4.	कलकत्ता	24,416	1,698
5	दिल्ली	5,481	423
6.	गोहाटी	1,489	429
7.	गुजरात	5,457	859
8.	हिमाचल प्रदेश	671	77
9.	जम्मू-कश्मीर	455	95
10.	केरल	5,839	122
11.	मध्य प्रदेश	7,624	2,891
12.	मद्रास	10,747	1,025
13.	मैसूर	4,410	404
14.	उड़ीसा	2,533	594
15.	पटना	8,726	2,359
16.	पंजाब और हरियाणा	12,363	2,131
17.	राजस्थान	3,912	1,078

(ख) राज्य-प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इस समय संस्थित किए गए, निपटाए गए तथा अनिर्णीत मुकदमों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीशों की संख्या की फिर जांच करें ।

न्यायमूर्ति जे०सी० शाह की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की एक समिति ने उच्च न्यायालयों में बकाया मुकदमों की समस्या पर एक रिपोर्ट पेश की है । समिति ने अनिर्णीत मुकदमों की संख्या कम करने और न्याय में विलम्ब कम करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं । समिति की वे सिफारिशें जो कि पूर्णतः प्रशासनिक प्रकार की हैं और जिनके लिए नियम कानून या विधि में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को क्रियान्वित करने के लिये भेज दी गई है । जिन सिफारिशों में कानून या विधि के संशोधन की अपेक्षा की गई है उनकी जांच की जा रही है और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्य सरकारों के विचार मालूम कर लिए जाने के पश्चात् उनके बारे में निश्चय किया जायेगा ।

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिविल मुकदमेबाजी में विलम्ब समाप्त करने या कम करने और उस द्वारा खर्च घटाने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ विशेष प्रकार के संशोधनों का सुझाव दिया है । सुझाव विचाराधीन हैं । पुनर्गठित विधि आयोग से भी सिविल प्रक्रिया संहिता में और संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है । हाल ही में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

विधि आयोग ने दाण्डिक मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी विधि के संशोधन के लिये भी अनेक सिफारिशें की हैं उनमें से बहुत सी सरकार द्वारा मान ली गई हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता के पुनरीक्षण के लिए एक विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात्, लोक सभा में विचाराधीन है

देश में मिट्टी के तेल की कमी

1042. श्री शंकरराव सावन्त :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मिट्टी के तेल की कम मात्रा में सप्लाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी के क्या कारण हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(ग) प्रति वर्ष कितना मिट्टी का तेल आयात किया जाता है और देश में कितना उत्पादित किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह):(क) और (ख) सब मिला कर मिट्टी के तेल की कुल उपलब्धि (अर्थात देश के उत्पादन से तथा आयात से) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अभी तक पर्याप्त रही है । मुख्यतः हड़तालों, उपद्रवों, दुर्घटनाओं तथा तोड़ फोड़ आदि के कारण उत्पन्न हुई वितरण सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण छु-पुट स्थानीय कमियां हुई हैं ।

(ग) वर्ष 1971 तथा 1972 के देशीय उत्पादन एवं आयात और 1973 के लिये पूर्वानुमानों के ब्यौरे निम्न-लिखित हैं :—

(आंकड़े 000 मीट्रिक टनों में)

मिट्टी का तेल			पूर्वानुमान
	1971	1972	1973
उत्पादन	2995	2817	3171
आयात	599	830	730

Confirmation of Casual Labour of Maintenance, Construction and Tele-Communication Department of Railways

1043. Shri Onkar Lal Berwa:
Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees in the Maintenance, Construction and Tele-Communications Departments of Railways; who have been working on daily wages for the last three years; and

(b) whether Government propose to confirm them, and if so, the time by which they are likely to be confirmed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) For work which is seasonal, intermittent, sporadic or extends over short periods, casual labour are engaged on the Railways on daily wages. Such labourers are employed on projects also. The number of casual labourers engaged for over three years on such works was about 42,000 on 31-3-72.

(b) Casual labourers as are found suitable by Screening Committees are appointed to regular Class IV posts. After such appointment they are confirmed in the order of their seniority.

Loss to Railways due to Strikes and Agitations

†**1044. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the amount of loss suffered by Railways during the last 3 years due to strikes and other agitations;

(b) the number of Railway employees killed as a result thereof; and

(c) the amount given to them as assistance by the Railways?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Supply of Wagons for Movement of Essential Commodities Like Foodgrain, Fertilizer, Cement & Coal

1045. Shri Onkar Lal Berwa:
Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3055 on the 5th December, 1972 regarding the capacity in wagon industry lying idle and state the position in regard to the supply of wagons for the movement of essential commodities like foodgrains, fertilizers, cement and coal every month during the last three years in the various Railway Zones, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): A statement showing the loading of foodgrains, fertilizers, cement and coal in wagons in each month on Zonal Railways during the last three years is attached.

(Placed in the Library: See LT. 4291/73).

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में मोदीनगर के पार्सल क्लर्कों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न करना

1046. श्री ओंकार लाल बैरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन पार्सल क्लर्कों को मार्च और अप्रैल, 1972 के महीनों के समयोपरि भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है जिन्होंने वर्ष 1972 में मोदीनगर (दिल्ली डिवीजन) में काम किया था जबकि सम्बन्धित स्टेशन मास्टर द्वारा समयोपरि भत्ता बिल समुचित रूप में सत्यापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) काफी समय से बकाया पड़े बिल का शीघ्र भुगतान करने हेतु प्रशासन क्या कदम उठा रहा है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) से (ग) 19-3-1972 से 1-4-1972 तक और 15-4-1972 से 15-4-1972 तक की अवधि में केवल एक पार्सल क्लर्क ने विधिक सीमा से अधिक घंटे काम किया था। समयोपरि बिल के सत्यापन में कुछ समय लग गया क्योंकि जिस स्टेशन मास्टर के आदेश से उसने समयोपरि काम किया था उन्हें इस बीच किसी अन्य स्टेशन पर तैनात कर दिया गया था। फिर भी अब समयोपरि के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है ।

Foreign Assistance for Implementation of Scheme to Link Ganga with Cauvery

1047. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) whether assistance of any other country in any form is being sought for the implementation of the scheme to link Ganga with Cauvery; and

(b) if so, the full particulars thereof?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) & (b) At present, it is proposed to investigate proposals for a National Water Grid, of which one of the components would be a link between Ganga and rivers like Narmada, Godavari, Krishna & Cavery. It is hoped that assistance of the United Nations may be available for obtaining some specialised equipment needed for the investigations and some expert services in some specialised fields in which adequate experience may not be forthcoming in the country.

Status of "Ticket Checking Staff"

1048. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the 'Ticket Checking Staff' has been given the status of 'Running Staff' on the Railways; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Under the rules, only such staff as are directly in charge of and responsible for the movement of trains, *viz.*, Drivers including Motormen and Rail Motor Drivers, Shunters, Firemen, including Assistant Drivers—Electric and Driver's Assistants—Diesel, Guards and Brakesmen are treated as Running Staff.

Since the Ticket Checking Staff are in no way directly connected with the movement of trains, they have not been given the status of Running Staff. Further, the demand for treating them as 'Running Staff' went up for arbitration under the Joint Consultative Machinery and the Board of Arbitration have rejected the demand. The Award is binding on Government and the Staff Side.

Abolition of 2-Tier Coaches in Third Class Compartments in Railways

1049. Shri Shanker Dayal Singh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to abolish two tier coaches in Third Class on the Railways; and

(b) if so, the gist of the proposal and when this will be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) A proposal to replace 2-tier third class sleeper coaches by 3-tier sleeper coaches is under examination.

भारतीय रेलवे में भेषजविज्ञों के अतिरिक्त पदों का वितरण एवं उपयोग

1050. श्री राजदेव सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेषजविज्ञों के अतिरिक्त पदों का 205-280 रु० के अधिकृत वेतनमान में निर्माण किया हैं जिसे भेषजविज्ञों के वेतनों और पदोन्नति के साधनों में सुधार लाने के लिये संगठित श्रमिकों एवं रेलवे बोर्ड प्रतिनिधियों द्वारा गठित उप समिति ने स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पद हैं और उनको प्रत्येक रेलवे को किस प्रकार वितरित किया गया है; और

(ग) क्या प्रत्येक रेलवे को आबंटित कोटे का उपयोग कर लिया गया है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) और (ख) प्रत्येक मंडल और नौ क्षेत्रीय रेलों के प्रत्येक सेन्ट्रल अस्पताल के लिए, 205-280 रुपये के वेतनमान में फार्मासिस्ट के एक एक पद की मंजूरी दी गई है । फार्मासिस्टों की पदोन्नति की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये, रेल प्रशासनों को यह निदेश दिया गया है कि ये पद 130-240 रुपये के वेतनमान के फार्मासिस्टों को पदोन्नति द्वारा भरे जायें ।

(ग) तीन पदों के सिवाय जिनके लिये अभी प्रवरण किया जा रहा है, सभी पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं ।

विभिन्न जोनल रेलों में भिन्न-भिन्न नामों से फार्मासिस्टों के पद और वेतनमान

1051. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित नई चिकित्सा नियमावली (मेडिकल मैनुअल) में दर्शाये गये भिन्न-भिन्न नामों से (अर्थात—हैड-क्लर्क प्रोक्योरमेंट, हास्पिटल स्टोर-कीपर-ग्रेड प्रथम तथा द्वितीय, एसिस्टेंट हास्पिटल स्टोर कीपर, हास्पिटल स्टीवार्ड-ग्रेड प्रथम तथा द्वितीय, एसिस्टेंट हास्पिटल स्टीवार्ड, पैकर तथा फार्मासिस्ट ग्रेड 'ए' तथा 'बी' फार्मासिस्टों के विभिन्न पद भारतीय रेलवे में वास्तव में विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका रेलवे-वार किस प्रकार वितरण किया गया हैं और प्रत्येक के वेतनमान क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो चिकित्सा नियमावली को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं । और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) सभी कोटियां नहीं अर्थात प्रधान क्लर्क अधिप्राप्ति अस्पताल भंडारी, अस्पताल स्टयूअर्ड, पैकर के पदों पर फार्मेसिस्ट लगे हुए हैं । प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे की चिकित्सा नियमावली में उल्लिखित सभी कोटियां में पदों का सृजन करना अनिवार्य भी नहीं है । पदों का सृजन प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भरण-पोषण सम्बन्धी कानूनी उपबन्धों का दुरुपयोग

1052. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं कि पत्नियां भरण-पोषण सम्बन्धी कानूनों के विभिन्न उपबंधों के आधार पर अपने पतियों को तंग न करें तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मामला विचाराधीन है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पांच वर्षीय द्रुत कार्यक्रम आरम्भ करना

1053. श्री पी० वेंकटासुब्बया: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल के उत्पादन को दुगुना करने के लिये एक पांच वर्षीय द्रुत कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु एक प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी हां । योजना के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और बातों के साथ साथ कच्चे तेल के पर्याप्त अतिरिक्त प्राप्य भंडार स्थापित करने की आशा करता है ताकि उस योजना के अन्त तक इस का वर्तमान उत्पादन जो 4 मिलियन मीटरी टन से थोड़ा अधिक है, बढ़कर 8 मिलियन मीटरी टन हो जाये ।

(ख) योजना जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक दल तथा रूसी विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से किये गये तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पर आधारित है, की सरकार ने जांच कर ली है और अपने प्रारंभिक विचार तेल तथा गैस आयोग को बता दिये हैं । कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले, सरकार अब उस बात-चीत, जो हाल ही में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग रूस के तेल संबंधी शिष्ट मंडल से इस योजना के कार्यान्वन में रूसी सहायता के बारे में करता रहा है, के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है ।

विभिन्न राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए स्वीकृत नई रेलवे लाईनों में व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था

1054. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए अनेक नई रेलवे लाइनों की स्वीकृति दी है;

(ख) निर्माण के दौरान तथा उसके पश्चात् राज्यवार कितने व्यक्तियों को रोजगार मिले हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये सरकार ने कितना धन आबंटित किया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए गए उपाय

1055. श्री मुख्तयार सिंह मलिक :

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में रेलों द्वारा ढोया गया माल योजना लक्ष्यों से कम रहा है; और

(ख) देश की रेलों में कार्यक्षमता बढ़ाने तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) माल यातायात में योजनाबद्ध लक्ष्य से कमी रह जाने का प्रमुख कारण, दिसम्बर 1971 में भारत पाक युद्ध के फलस्वरूप रक्षा सम्बन्धी गतिविधियों का भार और देश के विभिन्न भागों में रेल संचलन से असम्बद्ध मसलों से सम्बन्धित किन्तु रेल परिचालन को गम्भीर रूप से प्रभावित करने वाले आन्दोलनों जैसे विभिन्न बाह्य पहलू हैं । रेलों की परिचालन कुशलता में सुधार लाने की दृष्टि से निरन्तर विविध उपाय किये जा रहे हैं । इनमें से कुछ उपाय ये हैं—डीज़ल और बिजली कर्षण का अधिक प्रयोग, मीटर लाइनों को अधिक कुशल बड़ी लाइन प्रणाली में बदलना, अधिक अच्छे पर्यवेक्षण तथा कार्य-अध्ययन परिचालन अनुसंधान की आधुनिक परिकल्पनाओं को अपना कर परिसम्पत्तियों और श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना आदि ।

पंजाब द्वारा राजस्थान को बिजली सप्लाई करना

1056. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने गंगानगर क्षेत्र के लिये बिजली की सप्लाई बन्द कर दी है जिसके फलस्वरूप राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण कार्य बन्द हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार पंजाब राज्य सरकार को उस क्षेत्र के लिए शीघ्र बिजली देना शुरू करने के बारे में तत्पर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):(क) और(ख) मुक्तसर-गंगा नगर पारेषण लाइन के खराब होने के परिणामस्वरूप जनवरी, 1973 के अन्तिम सप्ताह के दौरान राजस्थान नहर को बिजली की सप्लाई बंद रही । बिजली की सप्लाई लगभग एक सप्ताह के पश्चात् दुबारा आरंभ की गई ।

उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए जाच समिति का गठन

1057. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा बिजली की कमी संबंधी लगाए गए आरोपों की जांच के लिये केन्द्रीय सरकार ने जांच समिति का गठन किया है और यदि हां, तो इंजीनियरों ने किस प्रकार के आरोप लगाए हैं;

(ख) समिति के सदस्यों के नाम क्या है और समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी; और

(ग) यदि रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में विद्युत संकट के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता

1058. श्री भोला मांझी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में भारी विद्युत संकट को हल करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के अनुरोध क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) जी हां ।

(ख) पंजाब सरकार ने राज्य में गंभीर विद्युत संकट को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित निवेदन किया है :–

(क) नंगल उर्वरक को बंद कर दिया जाए ।

(ख) राजस्थान पारेषण प्रणाली के जरिये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा विद्युत केन्द्र से पंजाब के लिये सहायता का प्रबंध किया जाये ।

(ग) राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्रों से उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के भाग पर फैसला किया जाए

(ग) नंगल उर्वरक कारखाने का भार 10-2-1973 से कम करके 98 मैगावाट से 60 मैगावाट कर दिया गया है जहां तक सतपुड़ा से सहायता का संबंध है राजस्थान के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे पंजाब को राजस्थान प्रणाली से सहायता देने की इजारजत दे दें । अब तक स्थांतरित विद्युत काफी नहीं हैं । राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र से विभिन्न राज्यों के हिस्से को अंतिम रूप दे दिया गया है ।

लाल फीताशाही के कारण राजधानी में तीसरे रेल टर्मिनस सम्बन्धी योजना में गतिरोध

1059. श्री भोला मांझी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'रेडटेप स्टालिंग कैपिटल्स थर्ड रेल टर्मिनस प्लान (लाल फीताशाही के कारण राजधानी में तीसरे रेल टर्मिनस संबन्धी योजना के कार्य में गतिरोध) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है और उसके मिलने पर ही निर्णय किया जा सकेगा ।

राजस्थान से पंजाब को बिजली की सप्लाई का रोका जाना

1060. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सतपुड़ा से पंजाब को जाने वाली बिजली सप्लाई जनवरी 1973 के दौरान रोक दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) सतपुड़ा से पंजाब की बिजली की सप्लाई जनवरी 1973 में काफी कम कर दी गई थी ।

(ख) सतपुड़ा से पंजाब को बिजली की सप्लाई राजस्थान और मध्य प्रदेश की आवश्यकता में वृद्धि के कारण कम की गई थी । केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने राजस्थान के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया है कि सतपुड़ा से फालतू बिजली पंजाब को दे दी जाये ।

बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सोना नदी के जल का विभाजन

1061. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सोना नदी के जल के विभाजन के बारे में मतभेद दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया सूत्र बिहार राज्य के काश्तकारों को स्वीकार्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार उक्त सूत्र पर पुनः विचार करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) तीनों राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है तथा उन सभी को स्वीकार्य प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रयत्न किए जा हैं। उम्मीद है कि निकट भविष्य में राज्यों के बीच समझौता हो जायेगा।

दामोदर घाटी निगम के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुरोध

1062. श्री राम भगत पसवान: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम के विरुद्ध लगाए गए प्रशासनिक अदक्षता तथा नौकर शाही गोल-माल संबंधी आरोप की जांच करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा "नियमानुसार कार्य" आन्दोलन

1063. श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री प्रिय रंजम दास मुंशी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों ने जनवरी, 1973 में नियमानुसार कार्य करने के संबंध में आन्दोलन किया था और एक दिन की हड़ताल की थी, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के गुजरात में पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान में जैसलमेर परियोजना (जोधपुर) के कुछ कर्मचारियों ने 'नियम के अनुसार कार्य करना शुरू किया और उन्होंने जनवरी, 1973 में एक दिन की संकेतिक हड़ताल भी की।

(ख) यह आयोग के कर्मचारियों के वेतन संशोधन, तीसरे अंतरिम सहायता के भुगतान और उस पर बोनस की मांगों को प्रस्तुत करने के लिये था।

गंगा-कावेरी लिंक के बारे में विशेषज्ञों की राय

1064. श्री यमुना प्रसाद मण्डल:
श्री समर मुखर्जी:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने कहा है कि गंगा कावेरी लिंक के अलाभकर, अनावश्यक तथा पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक होगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) और (ख) देश के कुछ इंजीनियरों ने कहा है कि हो सकता है कि गंगा कावेरी लिंक मितव्ययी न हो, कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये जल महानदी और

गोदावरी जैसी नदियों अथवा केरल में पश्चिम प्रवाही सरिताओं से प्राप्त किया जा सकता है; कि फालतू पानी दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाने की बजाये निकटस्थ क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है; कि वर्तमान समुपयोजन में बचत की गुंजाइश और भूगत जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मूल तथा ग्राम्य स्थलों की प्रक्षिप्त भावी आवश्यकताओं तथा उपलब्ध जल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए; और कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में वैकल्पिक, औद्योगिक तथा अन्य विकासों तथा लागत के मुकाबले सम्पर्क के आर्थिक लाभों का मूल्यांकन किया जाए ।

बहरहाल, बहुत से अन्य इंजीनियरों ने केवल गंगा कावेरी लिंक के विकास की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जल विकासों के निर्माणकर्त्ता अन्य लिंकों की भी पुष्टि की है ।

राष्ट्रीय जल ग्रिड के निर्माण से संबंधित कोई फैसले लेने से पहले ग्रिड के विभिन्न पहलूओं से संबंधित अनुसंधान तथा अध्ययन करना आवश्यक है । कार्यान्वयन से संबधित और फैसला सम्भाव्यता अध्ययनों के पूर्ण होने तथा उपलब्ध होने के पश्चात् ही किया जायेगा ।

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा उड़ीसा में बड़ी तथा बीच के स्तर की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देना

1065. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की बहुत सी बड़ी तथा बीच के स्तर की सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) बांध और अभिकुण्ड बृहद परियोजनाओं तथा खरखाई और निसा मध्यम परियोजनाओं पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों पर राज्य के इंजीनियरों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । सलाहकार समिति द्वारा, जैसे कि उन्होंने इच्छा प्रकट की थी, रेंगाली बृहद परियोजना पर विचार किया गया था । इस परियोजना की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग और जांच कर रहा है । राज्य द्वारा प्रस्तावित अपर कोलाब बृहद परियोजना गोदावरी बेसिन में पड़ती हैं जिससे संबंधित विवाद न्यायनिर्णयनाधीन हैं । दाह मध्यमपरियोजना निकट भविष्य में सलाहकार समिति को प्रस्तुत की जाएगी । राज्य द्वारा कुछ सप्ताह पूर्व भेजी गई रामैला मध्यम परियोजना तथा बघालती और रामा नदी चरण-एक मध्य परियोजनाओं पर टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तरों की जांच की जा रही है ।

Free legal aid to the poor

1066. Shri G.P. Yadav :
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) when the scheme to provide free legal aid to the poor was considered for the first time; and.

(b) the progress made on the scheme so far and the action proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) The matter has engaged the attention of the Government of India ever since 1945 when the report of the Rushliffe Committee appointed by the Government of the United Kingdom was brought to their notice. A model scheme for legal aid to the poor was, however, prepared by the Ministry of Law for guidance of State Governments and circulated to them because legal aid to the poor is the responsibility of State Governments.

(b) A model Scheme of legal aid has been drawn up and circulated to State Government and others. Certain provisions with regard to legal aid have been made in the Advocate (Amendment) Bill, 1973. The Bill which authorises the Bar Council to establish legal aid funds and to

give legal aid in the prescribed manner was passed by the Rajya Sabha on the 20th February, 1973. The Code of Criminal Procedure Bill, 1972 passed by that House also contains in clause 304, a provision for the grant of legal aid to indigent persons in cases triable by the Court of Session and also empowers the State Governments to extend the scope of this aid to other category of cases also. Government has also appointed an expert Committee on legal aid. Further action would be taken on the receipt of the report of the Committee.

Decision by Government on suggestions made for amendment in Election Rules

1067. Shri G.P. Yadav: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether a final decision has been taken on the recommendations of the Parliamentary Committee set up for suggesting amendments in the election rules; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) and (b) The recommendations of the Joint Committee on amendments to election law are under active consideration of the Government.

Mahadeopur Ghat Station North Eastern Railway

1068. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the site for Mahadeopur Ghat Station of North Eastern Railway is changed four-five times in a year at the time of floods;

(b) whether Government have received complaints regarding mis-appropriation of funds against the officers responsible for building Ghat station every year;

(c) if so, whether Government propose to conduct an enquiry into the matter; and

(d) the expenditure incurred on the construction of the said station during 1970-71 and 1971-72?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways: (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No. Mahadeopur Ghat Station is normally shifted once in a year to high level ghat during high floods and to low level ghat when the river level is low.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) The expenditure on the construction and maintenance of Mahadeopur Ghat Station for all shifts was Rs. 3,85,000 and 3,64,000 during 1970-71 and 1971-72 respectively.

Termination of train services between Bhagalpur and Barari Ghat, North-Eastern Railway

1069. Shri G.P. Yadav: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a Senior Officer of the North-Eastern Railway has requested the Government of Bihar in his letter to make arrangements for running State transport buses between Bhagalpur and Barari Ghat on the North-Eastern Railway as the Raliway intends to discontinue train services between the aforesaid places; and

(b) if so, the reasons for making this request?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, North Eastern Railway Administration had written to the Government of Bihar for concurrence to closure of ferry service for passenger traffic between Mahadeopur Ghat and Barari Ghat. In this context, they were also requested to consider appointing an agent for handling the passenger traffic across the river and also by road between Barari Ghat and Bhagalpur or to take over the

services themselves. The Railway Administration also communicated their willingness to continue to work passenger services on Bhagalpur-Barari Ghat section during the period which the State Government might take in arranging suitable bus services. A meeting between the State Government and Railway Officers to discuss this issue was also proposed. But no such meeting has been held so far.

(b) The above mentioned request was made to obviate heavy losses which the Railway is suffering in operating these services. A private ferry service under the licence granted by the Government of Bihar is already operating between Mahadeopur Ghat and Barari Ghat.

Construction of a Flag Railway Station at Lokmanya Nagar of Indore (MP)

1070. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether approval has been given by Government for the construction of a flag Railway Station at Lokmanya Nagar of Indore (Madhya Pradesh); and

(b) if so, the progress made so far and the time by which the work thereon would be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) The detailed plans for the work are under finalisation. The work will be taken in hand as soon as the estimates are finalised. The work is expected to be completed by 30th June, 1973.

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा ग्रामीण जन-समुदाय को दोषरहित जल की पूर्ति के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के सेमिनार में प्रतिवेदन

1071. श्री भान सिंह भौरा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्दीय जल और विद्युत आयोग ने भारत के ग्रामीण जन-समुदाय को दोष रहित जल की न्यूनतम पूर्ति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सेमिनार में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) स्वास्थय मंत्रालय के सार्वजनिक स्वास्थय इंजीनियरी के सलाहकार ने एक स्मारिका में "भारत में समुदाय जल सप्लाई की प्रगति" के शीर्षक से एक लेखा दिया था; यह स्मारिका हाल ही में जल संसाधन प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा निकाली गयी थी ।

लेखक ने अनुमान लगाया है कि न्यूनतम सुरक्षित जल सप्लाई करके सम्पूर्ण ग्राम्य-भारत के लिये 1800 करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है; और समस्त शहरी जनसंख्या के लिये इष्टतम स्तर तक जल सप्लाई और जल-निकास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है ।

नर्मदा नदी जल-विवाद

1072. श्री के० एस० चावड़ा :
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी जल विवाद इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) इस मामले को कब तक अंतिम रूप से तय किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):(क) और (ख) गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों के बीच नर्मदा जल के संबंध में विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु अक्तूबर, 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया गया था । जबकि न्यायनिर्णयन से संबंधित कार्यवाही प्रगति पर थी, जुलाई, 1972 में चार राज्यों के मुख्य मंत्री आपस में मिले थे और उन्होंने यह महसूस किया कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय इष्टतम हितों के लिए नर्मदा का विकास करने में और देरी नहीं की जानी चाहिए और इस बात पर सहमत हो गए कि इस नदी से संबंधित विवादों को आपसी बातचीत द्वारा और भारत के प्रधान मंत्री की सहायता से हल कर लिया जाए । मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत हो गए कि अपने-अपने क्षेत्रों में समुपयोजन के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र क्रमशः 0.5 और 0.25 मिलियन एकड़ फुट नर्मदा का जल लेंगे और शेष जल के मध्यप्रदेश और गुजरात के बीच आबंटन

के संबंध में और गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित नवगाम बांध की ऊंचाई के बारे में प्रधान मंत्री के निर्णय को मानेंगे।

प्रधान मंत्री के पंचाट को शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। उसके पश्चात् मुख्य मंत्री फिर मिलेंगे और विद्युत उत्पादन और उसके वितरण की व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे।

राज्यों में ग्राम्य विद्युतीकरण

1073. श्री के० एस० चावड़ा :
श्री डी० के० पण्डा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ग्राम्य विद्युतीकरण की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) एक गांव को विद्युतीकृत समझे जाने के लिये क्या माप दंड है और क्या इस माप दंड के अनुसार कोई ऐसा राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) जानकारी नीचे दी जाती है :–

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31-12-72 को विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (1961 की जनगणना के अनुसार)		ऊर्जित पम्पों/नलकूपों की सं० जो स्थिति 31-12-72 को थी		अभ्युक्ति
1	आंध्र प्रदेश	9,481	(ग)	2,23,616	(ग)	
2.	असम	677	(ख)	105	(ङ)	
3.	बिहार	8,717		82,844		
4.	गुजरात	5,097		88,406		
5.	हरियाणा	6,669		1,14,547		
6.	हिमाचल प्रदेश	3,490	(घ)	703	(घ)	
7.	जम्मू और काश्मीर	740	(क)	325		
8.	केरल	1,321	(घ)	31,513		
9.	मध्य प्रदेश	9,273	(घ)	1,02,716	(घ)	
10.	महाराष्ट्र	14,397		2,71,749		
11.	मणिपुर	192		—		
12	मेघालय	71		—		
13.	मैसूर	10,916		1,61,015		
14.	नागालैण्ड	89		1		
15.	उड़ीसा	4,995*		1,399		*31-1-73 तक
16.	पंजाब	6,534		1,06,719		
17	राजस्थान	4,519		60,802		
18.	तमिलनाडु	13 628		6,35,134		
19.	त्रिपुरा	93		33		
20.	उत्तर प्रदेश	25,898		1,87,300		
21.	पश्चिम बंगाल	4,656		1,656		
	कुल (राज्य)	1,31,453		20,70,583		
	संघ राज्य क्षेत्र	966		12,044		
	कुल योग	1,32,419		20,82,627		

(क) जो स्थिति 31-5-1972 को थी।
(ख) जो स्थिति 31-8-72 को थी।
(ग) जो स्थिति 31-10-1972 को थी।
(घ) जो स्थिति 30-11-72 को थी।
(ङ) जो स्थिति 30-6-1972 को थी।

(ख) किसी भी ग्राम के विद्युतीकृत के रूप में वर्गीकरण करने के लिए सामान्य मानदण्ड यह है कि उस ग्राम के राजस्व क्षेत्र में विद्युत का किसी भी उद्देश्य के लिये, जैसे कि उद्योग अथवा कृषि पम्प को चलाना अथवा घरों का विद्युतीकरण, वास्तविक रूप से उपभोग किया जाता हो। हरियाणा राज्य और चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों ने शत प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत कर दिए हैं।

दुमंज़िले रेल डिब्बों का प्रयोग

1074. श्री सी० टी० दण्डपाणि :
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुमंजिले रेल डिब्बों का प्रयोग आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दुमंजिले रेल डिब्बे मेल तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में लगाये जायेंगे; और

(ग) क्या रेल गाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिये लम्बी रेल गाड़ियां चलाने का भी रेलवे का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी हां, लेकिन केवल परीक्षण के रूप में।

(ख) शुरू में सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर को बड़ी लाइन के तीसरे दर्जे के डबल डैकर सवारी डिब्बों के 3 प्रोटोटाइप के आर्डर दिये गये हैं और इन्हें दक्कन क्वीन और ताज एक्सप्रेस जैसी अत्यधिक उपयोग में आ रही थोड़ी दूरी की कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाने का प्रस्ताव हैं। इनकी उपयुक्तता और इनके प्रति यात्रियों की प्रतिक्रिया को देखने के बाद ही ऐसे और डिब्बे चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ग) गाड़ी की वहन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर भाप रेल इंजनों के बदले उत्तरोत्तर डीजल रेल इंजन चलाये जा रहे हैं।

पश्चिम दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल) में बलूरघाट तथा रायगंज के बीच रेल सम्पर्क

1075. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल) में बलूरघाट तथा रायगंज के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) और (ख) बेलूरघाट और रायगंज के बीच सीधे रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन पुराने माल्दा से गजल होकर बेलूरघाट तक एक बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है।

जयन्ती एक्सप्रेस में तिरुचिरापल्लि जाने वाले सीधे थर्ड क्लास स्लीपर कोच

1076. श्री आर० पी० उलगनम्बी :
श्री एम० बी० कृष्णप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है कि जयन्ती एक्सप्रेस में बरास्ता इरोड तिरुचिरापल्लि जाने वाले यात्रियों के लिये थर्ड क्लास स्लीपर कोच लगाया जाये जिससे ऐसे यात्रियों को असुविधा न हो जिन्हें अपनी आगे की यात्रा के लिये मीटर गेज गाड़ी पकड़ने के लिये एगमोर जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण परिणाम निकला ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोलियम का आयात

1077. श्री अम्बेश : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैट्रोलियम का उत्पादन कितनी मात्रा में होता है; और

(ख) देश में कितनी मात्रा में पैट्रोलियम का आयात किया जाता है और उन देशों के नाम क्या हैं जो हमें इसकी सप्लाई करते हैं और इनमें से प्रत्येक ने पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में सप्लाई की ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) अशोधित तेल की स्वदेशी उत्पादन और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके ईरान साउदी अरब ईराक और कुवेत से आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	देशीय उत्पादन	आयात
		(मात्रा मिलियन टनों में)
1970	6.8	11.7
1971	7.2	12 7
1972	7.4	12.3

संयुक्त राष्ट्र के जल-संसाधन अनुभाग (यू०एन०वाटर रिसोर्सिज सैक्शन) के प्रमुख द्वारा जल के अपव्यय को रोकने संबंधी चेतावनी

1078. श्री बी० के० दासचौधरी :
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के जलसंसाधन अनुभाग (यू०एन० वाटर रिसोर्सिज सैक्शन) के प्रमुख ड० अलगप्पन ने नई दिल्ली में 1 फरवरी, 1973 को विकासशील देशों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने जल अपव्यय को नहीं रोका तो उनके सामने जल की गंभीर कमी पैदा हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जी हां ।

(ख) नई परियोजनाओं के आयोजन करने में समुपयोजन की कुशलता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा हैं । जहां तक संसाधन उपलब्ध हों, वर्तमान निर्माण कार्यों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिये भी कावर्याही की जा रही है ।

हड़ताल में हिस्सा लेने के कारण दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई

1079. श्री समर मुखर्जी : क्या **रेल** मंत्री दक्षिण में लोको स्टाफ द्वारा हड़ताल के संबंध में 14 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्व संख्या 224 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे के उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है जिन्होंने अगस्त 1/सितम्बर, 1972 की हड़ताल में भाग लिया था और यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या दण्डात्मक कार्यवाही के विरूद्ध कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं और यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) और (ख) यद्यपि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गयी है फिर भी दक्षिण रेलवे के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने भारत रक्षा नियम और फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम का उल्लंघन किया था, अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं ।

मुकदमे वापस लेने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं । अपराधों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार किया जा रहा हैं ।

गोल्डन राक वर्कशाप में दक्षिण रेलवे एम्पलाइज यूनियन द्वारा भूख हड़ताल

1080. श्री दशरथ देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे एम्पलाइज़ यूनियन ने 3–5 अक्तूबर, 1972 को गोल्डन राक वर्कशाप में भूख हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) इन्हें पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी हां ।

(ख) उनकी मांगें ये थीं :—

(1) वेतन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र प्रकाशित करना;

(2) रेल कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ देना;

(3) आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकना;

(4) रेल कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी के अवसर प्रदान करना; और

(5) पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले खलासियों की पदोन्नति ।

(ग) ऐसे मुद्दे मान्यता प्राप्त श्रमसंगठनों द्वारा समय-समय पर उठाये जाते हैं और ये वार्तातंत्र और संयुक्त परामर्शतंत्र की विभिन्न स्तरों पर होने वाली बैठकों में विचार विमर्श करके तय कर लिये जाते हैं ।

पैट्रोल पम्प और कुकिंग गैस की एजेन्सियां देना

1081. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि उसी व्यापार में लगे अनेक लोग पैट्रोल पम्प और कुकिंग गैस की एजेंसियां ले रहे हैं जब कि बेरोजगार लोगों को शायद ही कभी वरीयता दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) नवम्बर, 1969 से भारतीय तेल निगम अपनी एजेंसियां अधिमान्य रूप से कम आय वर्ग के परिवारों से बेरोजगार स्नातकों को देने की नीति अपना रहा है । दिसम्बर 1971 के युद्ध के शीघ्र बाद यह परियोजना आस्थागित की गई और सरकार की अनुमति से भारतीय तेल निगम ने एक परियोजना चलाई है जिसके अनुसार उसकी एजेंसियां अधिमान्य रूप से अंग हीन सैनिकों/उनके निर्भर लोगों और भूत पूर्व सैनिकों को प्रदान की जाती है । परन्तु अराजकीय तेल कम्पनियां इस विषय पर अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रही है और सरकार का इस सम्बन्ध में उनकी नीतियों पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

चलती रेलगाड़ियों के डिब्बों में हत्या

1082. श्री प्रबोध चन्द्र: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धक श्री सानन की, जो लगभग एक वर्ष पूर्व पहले दर्जे के डिब्बे में लखनऊ से अमृतसर तक की यात्रा कर रहे थे, हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्ति को पकड़ने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या रेल डिब्बों में हत्या की गयी घटनाएं हुई हैं और दिसम्बर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में बरेली से दिल्ली की यात्रा करते हुए पहले दर्जे के डिब्बे में एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो दोशी व्यक्ति को पकड़ने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी हां ।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस, जालंधर सिटी ने 25-1-72 को जांच पड़ताल के लिये एक मामला दर्ज किया और 13.8.1972 को उसे 'अपराधी का पता नहीं चला' मामले के रूप में बन्द कर दिया ।

(ग) (1) जी हां, रेल के डिब्बों में हत्या की कुछ घटनायें हुई हैं ।

(2) 30/31.12.1972 की रात को श्री के०सी० बालसुब्रमनियम, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस के सहायक इंजीनियर का गाड़ी नम्बर 375 अप (बरेली-दिल्ली सवारी गाड़ी) के पहले दर्ज के डिब्बे में खून हुआ पाया गया ।

(घ) सरकारी रेलवे पुलिस मुरादाबाद ने मुरादाबाद, रेलवे मुख्यालय के एक डिब्बा परिचर अमर सिंह को गिरफतार किया है और एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति राम सिंह जो रेल सुरक्षा दल का भूतपूर्व रक्षक है फरार है। उसे गिरफतार करने के लिये जोरदार कोशिश की जा रही है । ये दोनों संदिग्ध व्यक्ति नं० 375 अप गाड़ी के उक्त सवारी डिब्बे नं० 721 में यात्रा कर रहे थे ।

रेलों पर इस तरह की घटनाओं की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित निरोधक उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) जहां तक संभव हो, महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के हथियारबंद/हथियार रहित पहरेदार चलते हैं ।

(2) पहरे की ड्यूटी की अचानक जांच पर्यवेक्षण को और तीव्र कर दिया गया है ।

(3) ड्यूटी में लापरवाह पाये जाने वाले पहरेदारों को निवारक सजाएं दी जाती हैं ।

(4) गाड़ियों और रेल परिसरों में इस तरह के अपराधों की बढ़ती हुई संख्या से चिन्तित होकर रेल मंत्री ने नवम्बर, 1972 और 16-2-1973 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखे हैं । इन पत्रों में उन्होंने मुख्य मंत्री से महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में, विशेषकर बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में हथियारबन्द रक्षकों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ताकि यात्री जनता को अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके । रेलवे बोर्ड ने भी गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकारों को अत्यधिक बदनाम क्षेत्रों में इस तरह के अपराधों का सामना करने के लिये, राज्य सरकार पुलिस आरक्षियों में से राज्य रेलवे पुलिस के लिए कुमुक भेजकर उनका बल बढ़ाने की संभावना का सुझाव दें ।

'एशिया 72' मेले में रेलवें के पंडाल पर हुआ व्यय

1083 श्री प्रबोध चन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एशिया–72' मेले में रेलवे पंडाल के निर्माण पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या मेले के दौरान जब दिल्ली में वर्षा हुई थी तब यह पंडाल गिर गया था; और

(ग) इस तथ्य के बावजूद कि पंडाल के निर्माण पर भारी राशि व्यय की गई थी पंडाल के गिर जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) लगभग 26 लाख रुपये, जिसमें रेलवे साइडिंग का खर्च भी शामिल है ।

(ख) जी नहीं । 26 नवम्बर, 1972 को अप्रत्याशित भारी वर्षा के कारण प्लाईवुड तथा प्लास्टिक-चद्दरों की छत को मामूली क्षति पहुंची । मण्डप दो दिनों तक बन्द रहा ।

(ग) यह आशा नहीं की गयी थी कि प्लाईवुड और प्लास्टिक-चद्दर की बनी छत को अभूतपूर्व वर्षा के वेग का सामना करना पड़ेगा । फिर भी क्षति बहुत मामूली किस्म की थी जिसकी मरम्मत तुरन्त कर दी गयी ।

गन्तव्य स्थान पर जाते हुए माल डिब्बों में से वस्तुओं का चुराया जाना

1084. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि रेल द्वारा भेजी गयी वस्तुओं के गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं तथा विलम्ब के कारण मार्ग में वस्तुएं चुरा ली जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप भारी मुआवजा देना पड़ता है ;

(ख) क्या वस्तुओं को माल डिब्बों में एक बार लादने के बाद मार्ग में निकाल लिया जाता है और रास्ते में एक ओर रख दिया जाता है ; और

(ग) इस प्रकार की शरारत करने के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) (i) माल डिब्बों के संचलन में अत्यधिक विलम्ब होने के सम्बन्ध में समय-समय पर कुछ शिकायतें मिलती हैं । इस प्रकार की शिकायतें मिलने पर उन माल डिब्बों के संचलन में तेजी लाने और उनके रुके रहने के कारणों का पता लगाने तथा उनके निराकरण के लिये निवारक कार्रवाई की जाती है । माल डिब्बों का शीघ्र संचलन सुनिश्चित करने के लिये रेलों पर इस समय जो सामान्य व्यवस्था विद्यमान है यह कार्रवाई उसके अलावा है ।

(ii) कुछ मामलों में जब माल के परिवहन में विलम्ब होता है, तो चोरियां हो जाती हैं ।

(ख) जी नहीं, सिवाय उस स्थिति में जब माल डिब्बा खराब घोषित कर दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे द्वारा खाद्यान्न व्यापारियों को दी गई रियायत

1085. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यदि भारी मात्रा में अनाज लाया ले जाया जाता है तो व्यापारियों को कोई रियायत दी जाती है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Disabled persons appointed as Water-Men at Stations on Saharanpur-Delhi Section (Northern Railways)

1086. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether disabled persons have been recruited as Watermen on Railway Stations on Saharanpur-Delhi Section;

(b) if so, the names of the Stations; and

(c) whether they are required to issue Railway Tokens also in addition to supplying water?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No. 15 disabled persons who were declared medically unfit for their original posts have been absorbed in alternative category of watermen and posted at Delhi Jn., Meerut City, Meerut Cantt. and Saharanpur stations.

(c) The watermen posted at Meerut City and Meerut Cantt. have also to deliver tokens to stopping trains.

खान आलमपुर स्टेशन, सहारनपुर पर रेलवे वैगनों से माल की चोरी

1087. श्री मुल्की राज सैनी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशा के समाचार मिले हैं कि खान आलमपुर स्टेशन सहारनपुर पर यार्ड में खड़े माल डिब्बों में से वस्तुएं चुरा ली जाती हैं;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में ऐसे कितने मामलों का पता चला था;

(ग) चुराई गई वस्तुओं का अनुमानित मूल्य कितना था; और

(घ) उपरोक्त स्टेशन पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) खान आलमपुरा यार्ड में खड़े माल डिब्बों से चोरियों की कुछ घटनाएं हुई हैं ।

(ख) वर्ष	मामलों की संख्या
1971-72	7
1972-73	3
जोड़	10

(ग) 6,820 रुपये ।

(घ) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :-

(1) दिन और रात के समय रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा यार्ड में गश्त लगाये जाते हैं ।

(2) ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का पर्यवेक्षण बार बार और आकस्मिक पर किया जाता है ।

(3) यार्ड में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की जांच की जाती है ।

(4) यथा संभव ज्ञात संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाती है ।

अंतर्राज्यीय नदी परियोजनाओं के बारे में केरल सरकार के सुझाव

1088. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अंतर्राज्यीय नदी परियोजनाओं की स्वीकृति देने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु की नेल्ली थुरई परियोजना सहित मन्नाउथोडी और केरल भवानी योजनाओं के संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) कावेरी बेसिन में मनौथोड़ी, केरल भवानी और नेलिथोराये जल विद्युत परियोजनाओं की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में संबंधित राज्य सरकारों के साथ सलाह करके जांच की जा रही है । संबंधित राज्य योजनाओं में शामिल करने के लिए स्वीकृत होने से पूर्व इन परियोजनाओं में निहित अंतर्राज्यीय पहलुओं को तय करना होगा ।

जयन्ती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तेल्लिचेरी स्टेशन पर रोकना

1089. श्री सी०के० चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जयन्ती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तेल्लिचेरी रेलवे स्टेशन पर रोकने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग के पक्ष में क्या कारण दिये गये हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) तेल्लिचेरी का महत्व ।

(ग) 131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रैस गाड़ी को तेल्लिचेरी पर ठहराने का विचार नहीं है ।

दक्षिण रेलवे तथा दक्षिण मध्य रेलवे से आय

1090. श्री सी०के० चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में दक्षिण रेलवे और दक्षिणमध्य रेलवे से कुल कितनी आय हुई;

(ख) इस आय में केवल तमिलनाडू तथा मैसूर राज्यों की रेलवे लाइनों का अनुपात क्या है; और

(ग) दक्षिण रेलवे तथा दक्षिण-मध्य रेलवे की कौन-कौन सी लाइनें घाटे में चल रही हैं और यह घाटा कौन-कौन सी लाइनों को हो रहा है और कितना-कितना ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 1971-72 में दक्षिण रेलवे और दक्षिणमध्य रेलवे की कुल आमदनी क्रमशः 100,81 और 94,89 लाख रुपये थी ।

(ख) यह सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवे-वार संकलित की जाती है ।

(ग) 1971-72 में दक्षिण रेलवे की 14 अलाभकर शाखा लाइनों पर हुई अनुमानित हानि (लाभांशको छोड़कर)

दक्षिण रेलवे (हजार रुपयों में)

क्रम सं०	लाइनों के नाम	हानि
1.	शेरुवण्णार—निलम्बूर	806
2.	सेलम—मेटूरडैम	387
3.	वालजा रोड—राम्रोपेट्टै	521
4.	मेट्टुपालयम—उदकमंडलम	3163
5.	मायूरम—तरंगमबाड़ी	408
6	निडामंगलम—मन्नारगुडि	203
7.	परेलम—कारैकाल	299
8.	विष्णुपुरम—पुदुच्चेरी	589
9.	मदुरै—वोदिनाथकान्नूर	731
10.	तिरुनेलवेलि—तिरुचेंदूर	506
11.	चिक्कजाजरु—चित्रदुर्ग	470
12.	नंजमगूड—चामराजनगर	280
13.	सागरा—तालगुप्पा	281
14.	बंगरिपेटै—बेंगलूरू सिटी	1454
	जोड़	10098

दक्षिण मध्य रेलवे

—कुछ नहीं—

Installation of Transmission lines in Orissa, Rajasthan, U.P. and West Bengal

1091. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) whether the Rural Electrification Corporation has formulated six schemes for the installation of transmission lines in Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal; and

(b) if so, the names of the Districts in Uttar Pradesh to be benefited thereby and the time by which this work is likely to be completed?

The Deputy Minister of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma): (a) The Schemes for the installation of transmission lines are formulated by the State Electricity Boards and submitted to the Rural Electrification Corporation for loan assistance. The Corporation has so far sanctioned nine such schemes in the States of Orissa (4), Rajasthan (1), Uttar Pradesh (2) and West Bengal (2).

(b) The Schemes will cover Lucknow, Rae Bareli, Pratapgarh and Sultanpur Districts in Uttar Pradesh. These are phased to be completed in a period of three years.

Introduction of Jayanti Janta Train for Mangalore and Ernakulam

1092. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a Jayanti Janta Train has been introduced from New Delhi to Mangalore and Ernakulam; and

(b) if so, the total expenditure incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) Expenditure incurred on Jayanti Janta Express is not recorded separately in the accounts.

मेरठ शहर के पार्सल क्लर्कों का अन्य स्टेशनों को स्थानान्तरण

1093. श्री महादीपक सिंह शाक्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता विभाग ने हाल ही में मेरठ शहर स्टेशन पर काम कर रहे कुछ पार्सल क्लर्कों को कही दूर के महत्वहीन स्टेशनों पर स्थानान्तरित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) केवल एक पार्सलक्लर्क के स्थानान्तरण की सिफारिश की गयी है ।

(ख) इस स्थानान्तरण का आदेश उपयुक्त रिक्ति का पता लगाने के बाद दिया गया है ।

रेल गाड़ियों से दूसरे दर्जे को समाप्त करना

1094. श्री डी० के० पण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ियों से दूसरे दर्जे को समाप्त करने के बारे में लिये गये निर्णय के क्या कारण हैं; और

(ख) वातानुकूलित और प्रथम दर्जे के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) मुख्यत: गाड़ियों में यात्रा के दर्जों की संख्या घटाने और तीसरे दर्जे में अधिक स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है ।

(ख) ये दर्जे जारी रहेंगे ।

आन्दोलनों के दौरान नष्ट हुए और अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों की मरम्मत न करना

1096. श्री सी० जनार्दनन :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में यह वक्तव्य दिया था कि आन्दोलनकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट की गई रेलवे सम्पत्ति की कुछ वर्षों तक मरम्मत नहीं की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सोच विचार कर ऐसा निर्णय किया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) जी हां ।

बम्बई और मंगलौर को आपस में जोड़ने वाली पश्चिमी तट रेलवे

1097. श्री सी० जनार्दनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंबई को मंगलौर से जोड़ने वाली पश्चिम तट रेलवे पर कार्य कब प्रारम्भ होगा;

(ख) कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा;

(ग) निर्माण के विभिन्न चरणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक चरण में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) आप्टा से मेंगलूर तक नयी लाइन के लिये टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और रिपोर्टें प्राप्त हो गयी हैं । अब इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) से (घ) : फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में वैगन बनाने का कारखाना

1098. श्री सी० जनार्दनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष 4000 वैगन बनाने के लिये एक नया कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इसे केरल में लगाने के सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के लिए केरल की पनबिजली परियोजनाएं

1099. श्री सी० जनार्दनन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए कुछ प्रमुख पनबिजली योजनाओं का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के तकनीकी अनुमोदन और मंजूरी किस स्थिति में है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है ।

विवरण

परियोजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति आदि के संबंध में वर्तमान स्थिति
1. सायलेंट घाटी	योजना आयोग द्वारा 15-2-1973 की स्वीकृत
2. इदामलायार	केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।
3. साबरीगिरी विस्तार स्कीम	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत
4. नियो पालोवसल	यह वर्तमान बहुत पुराने पालोवासल विद्युत केन्द्र के लिए एक प्रतिस्थापन स्कीम है । स्कीम रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।
5. चोलातिपुझा	यह केरल और तमिलनाडु सरकारों का एक संयुक्त उपकेन्द्र है । तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है ।
6. निम्नचेरियार चरण-एक	परियोजना स्पिोर्ट अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।
7. इदिदकी चरण-दो	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा यह परियोजना स्वीकार्य समझी गई है । योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।
8. इदिदकी चरण-तीन (आवर्द्धन स्कीम)	स्कीम-रिपोर्ट की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है ।
9. कुट्टयाडि आवर्द्धन स्कीम	इस स्कीम का अभी राज्य सरकार अनुसंधान कर रही है ।

विश्व की तेल स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध

1100. श्री एम०एस० संजीवीराव :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से विश्व की तेल स्थिति में प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप करने के लिए लिखा था ताकि संसाधनों के 'पूर्वक्रय' उत्पादक संघ बनाने और प्रोद्योगिकी एकाधिकार को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय निकाय की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में विकासशील देशों में पैट्रोलियम शोधन पर नई दिल्ली में हुए हाल ही के अन्तर्देशीय सेमिनार के दौरान विश्व में तेल की परिस्थिति पर कुछ विचार व्यक्त किये गये थे । इन विचारों पर आधारित कुछ अनौपचारिक विचार-विमर्श हुए हैं । तथापि इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई औपचारिक बात-चीत नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के दौरान रेलवे क विद्युतीकरण पर पुनर्विचार

1101. श्री एम०एस० संजीवीराव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के दौरान रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के सामने क्या नए प्रस्ताव हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी हां ।

(ख) इसके पहले कि बिजलीकरण परियोजनाएं निष्पादन के लिए स्वीकार की जायें बिजली सप्लाई के परिप्रेक्ष्य में उनकी सावधानीपूर्वक जांच की जाती है । निष्पादन के लिए केवल उन्हीं परियोजनाओं को हाथ में लिया जाता है जिनके लिए सम्बन्धित राज्य-बिजली बोर्ड की ओर से यह आश्वासन मिल जाता है कि बिजली कर्षण के लिए बिजली की निरंतर सप्लाई मिलती रहेगी । रेलवे के अपने निजी ताप-जनित्र-स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं की भी जांच की जा रही है ।

गोआ में तेल-शोधनशाला की स्थापना

1102. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में एक तेल-शोधनशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आएगी और इसकी क्षमता क्या होगी; और

(ग) क्या इसके लिए कोई विदेशी सहायता ली जायेगी और यदि हां तो, किस प्रकार की ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):(क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिये, योजना आयोग द्वारा तेल शोधन पर नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने और बातों के साथ साथ पश्चिमी तट के किसी उपयुक्त स्थान पर प्रतिवर्ष 4 मिलियन मीटरी टन की क्षमता की एक शोधनशाला स्थापित करने की सिफारिश की है । प्रस्तावित शोधनशाला के लिये गोआ उन स्थानों में से है जिन पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) लागत अनुमान तथा अन्य ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं । एक संभाव्य रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

"लियन" वाले रेलवे विद्युतीकरण स्टाफ का खपाया जाना

1103. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि जहां तक संभव हो रेलवे विद्युतीकरण के भूतपूर्व स्टाफ को, जिनका पूर्व, दक्षिण-पूर्व, उत्तर सीमा रेलवे और उन्हें चितरंजन लोको वर्कस में धारणाधिकार (लियन) है उन्हें महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता में खपाया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि कुछ हद तक और विशेष मामलों में कर्मचारियों को अन्य रेलवे जोनों से महानगरीय परिवहन परियोजना कलकत्ता में लाया जा सकता है;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को लिखा था कि रेलवे जोनों से कर्मचारियों को मंगाकर महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता द्वारा रेलवे बोर्ड की हिदायतों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है और महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता में रेलवे विद्युतीकरण के कितने भूतपूर्व कर्मचारी और रेलवे जोनों के कितने कर्मचारी अब तक खपाये जा चुके हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी हां ।

(ख) जी हां, आवश्यक समझे जाने पर विशेष मामलों में, अन्य रेलों से कर्मचारी लिये जा सकते हैं ।

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक अन्य संदर्भ में टिप्पणी करते हुए प्रसंगवश यह उल्लेख किया था कि महानगर परिवहन परियोजना कलकत्ता, हिदायतों का पालन कड़ाई से नहीं कर रही है क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय रेलों से अनेक कर्मचारी ले लिये हैं ।

(घ) महानगर परिवहन परियोजना कलकत्ता ने सूचित किया है कि कर्मचारियों को साथ की रेलों से लेना पड़ा क्योंकि तकनीकी तथा अन्य कोटियों के कर्मचारियों की आवश्यकताएं भूतपूर्व रेल बिजली योजना कर्मचारियों से पूर्णत: पूरी नहीं की जा सकी । महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता में काम करने के लिए अब तक भूतपूर्व, रेल बिजली योजना से 274 कर्मचारी, जिनमें नैमित्तिक कर्मचारी भी शामिल हैं, और साथ की रेलों से 397 कर्मचारी लिये गये हैं ।

वैस्टर्न रेलवे लेबर यूनियन की विशिष्ट मांगें

1104. श्री मोहम्मद इस्माइल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अप्रैल, 1972 को वैस्टर्न रेलवे लेबर यूनियन सम्मेलन के खुले अधिवेशन में रखी गई मांगें उनके मंत्रालय तक पहुंचा दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Electrification of Harijan Bastis in U.P.

1105. Dr. Govind Das Richharia: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of Districts in Uttar Pradesh in which work under the electrification scheme in Harijan Bastis has been done or is in progress; and

(b) the number of villages in Jhansi Division and Jhansi District where electrification work has since been completed or is in progress?

The Deputy Minister of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma): (a) Electrification of Harijan Bastis is in progress in 54 Districts of Uttar Pradesh.

(b) Against a programme of 37 Harijan Bastis in Jhansi District and 163 Harijan Bastis in Jhansi Commissionary during 1972-73, 32 and 118 Harijan Bastis respectively have been electrified upto 31-12-1972.

Introduction of additional express train on Delhi-Bombay route

1106. Dr. Gobind Dass Richharia: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have felt the necessity of introducing an additional Express train on Delhi-Bombay route of the Central Railway in view of the increase in section on this route and

(b) if so, when this train is proposed to be introduced?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b): Introduction of an additional train between Delhi and Bombay via Central Railway route is, at present, operationally not feasible for want of line capacity on Jhansi-New Delhi section and requisite terminal facilities at Bombay VT and Delhi/New Delhi stations.

Increase in line capacity of Jhansi-Bina (Central Railway)

1107. Dr. Govind Dass Richharia : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the action taken and being taken to increase the line capacity of the Jhansi-Bina Section of the Central Railway; and

(b) the time by which this work is expepted to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) The entire 152 km. long Bina-Jhansi section is being doubled in stages to cater for the increase in traffic. Double line to the extent of 93 km. is already available and the work on the remaining portion is expected to be completed in stages by 1976-77.

Electrification of railway stations in Jhansi Division of Central Railway

1108. Shri Govind Dass Richharia : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the total number of railway stations in the Jhansi Division of the Central Railway which have not been electrified;

(b) the names of the railway stations which will be electrified during the current and the next financial years; and

(c) when Government propose to take decision in regard to electrification of the remaining railway stations?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shfii Mohd. Shafi Qureshi): (a) 117 railway stations in the Jhansi Division of Central Railway have not been electrified.

(b) Chitrakot railway station is expected to be energised in this financial year and Ghosipura, Charkhari Road, Kulpahar and Vrindaban Road railway stations are expected to be electrified during the next financial year.

(c) The electrification of the remaining 112 railway stations will depend on the availability of low tension electric supply nearby, of which there does not appear to be any possibility at present.

भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों की बिक्री के लिये अमरीकी व्यापारिक मिशन का दौरा

1109. श्री आर०एन० वर्मन :

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों की बिक्री के संबंध में, एक अमरीकी व्यापारिक मिशन अप्रैल, 1973 में भारत का दौरा करेगा; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितना व्यय आएगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के प्रकाशन "कामर्स टुडे" के 8 जनवरी, 1973 के अंक में यह कहा गया था कि आशा की जाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित एक रेल उपस्कर व्यापार शिमन भारतीय रेलों को अमेरिकी उपस्कर की बिक्री बढ़ाने के लिए अप्रैल, 1973 में भारत जाएगा। लेकिन आगे इसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है।

(ख) जब पांचवीं पंचवर्षीय योजना जोकि अभी विचारधीन है, को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, उसके बाद ही रेलों की आधुनिकीकरण योजना की स्थूल रूपरेखा और उसका अनुमानित खर्च मालूम हो सकेगा।

हल्दिया तेल-शोधक कारखाने के निर्माण में धीमी प्रगति के कारण

1110. श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
डा० रानेन सेन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाने के निर्माण की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो धीमी प्रगति के कारण क्या हैं; और

(ग) निर्माण कार्य तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न तथ्यों के कारण हल्दिया शोधनशाला के निर्माण की प्रगति बहुत अच्छी नहीं रही है। इन तथ्यों में से निम्नलिखित तथ्य अधिक महत्वपूर्ण हैं:—

(क) परियोजना में प्रोद्योगिकी, उपकरण एवं सामग्री तथा निर्माण क्षमताओं में देशीय सांझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। परियोजना के विकास के सभी चरणों में भारतीय प्रोद्योगिकी विदों और इंजीनियरिंग संगठनों की सांझेदारी के लिए प्रयत्न किये गए हैं।

(ख) मिट्टी की अवस्थाओं संचार का अभाव, निर्माण सामग्री आदि को प्राप्त करने में कठिनाइयों जैसी स्थल पर विशेष परिस्थितियां।

(ग) यूनियन के बीच प्रतिद्वन्दता के कारण हल्दिया शोधनशाला में श्रमिक स्थिति असन्तोषजनक रही है। श्रमिक अशान्ति के कारण अधिक संख्या में कार्य-घण्टें व्यर्थ गए हैं।

कच्चे माल तथा देशीय प्रदायों की निर्माण सामग्री की प्राप्ति में अधिकांश कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है। राज्य सरकार के प्राधिकारियों के हस्ताक्षेप के कारण श्रमिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। यदि कोई और बाधाएं न आई, तो शोधनशाला के इंधन खण्ड तथा लूब खण्ड के क्रमश: 1973 के अंत में और 1974 के शुरू में पूर्ण होने की आशा है।

Rules for recruitment of Class IV Staff in Railways

1111. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the procedure adopted in making recruitment of class IV employees in all the Departments of Railways;

(b) whether certain cases of disregarding Government's policy in regard to recruitment of class IV employees have come to his notice; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The present policy is that in all Departments of the Railways, except Workshops, vacancies in Class IV posts are to be filled from amongst Casual Labourers and Substitutes after screening. In Workshops there is provision for filling 40% of the vacancies from the open market including Trade Apprentices trained under the Apprentices Act.

(b) No.

(c) Does not arise.

Setting up of Bench of Allahabad High Court at Meerut

1112. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have considered any scheme for setting up a Bench of Allahabad High Court at Meerut (Uttar Pradesh); and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) and (b) Representations in this behalf were received by Government from certain Bar Associations of U.P. The question whether a High Court should have a Bench at a place other than the principal seat is primarily for the State Government concerned to consider in consultation with the High Court. There is no proposal from the Government of U.P. for setting up a Bench of the High Court at Meerut.

सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) पर विशेष गाड़ियों के चलाने से आय

1113. डा० सरदीश राय : क्या रेल मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 21 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन पर कितनी विशेष गाड़ियां चलाई गईं ;

(ख) उक्त विशेष गाड़ियों के चलाने से कितना अतिरिक्त यात्री भाड़ा प्राप्त हुआ; और

(ग) उक्त डिवीजन में इस सप्ताह हुई यात्रा भाड़े से आय उससे पूर्व सप्ताह में यात्रा भाड़े से हुई आय की तुलना में कितनी थी ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) 424

(ख) आमदनी के आंकड़े गाड़ीवार नहीं रखे जाते ।

(ग) 31.12.1972 को समाप्त होने वाली अवधि में आमदनी 20.12.72 को समाप्त होने वाला तदनुरूती अवधि की तुलना में लगभग 54 हजार रुपए अधिक थी ।

एन्टीबायोटिक्स प्लांट, वीरभद्र, ऋषिकेश के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करना

1114. डा० सरदीश राय : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एन्टीबायोटिक्स प्लांट वीरभद्र, ऋषिकेश के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सुधार और उनकी सुरक्षा संबंधी मांगों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वीरभद्र स्थित एन्टीबायोटिक्स प्लान्ट के कर्मचारियों ने 2 जनवरी, 1973 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी हां !

(ख) नहीं । 2.1.73 को कोई सांकेतिक हड़ताल नहीं थी ।

(ग) कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों पर कर्मचारी संघ और आई० डी० पी० एल० के प्रबंधकों के बीच बात चीत जारी है ।

पंजाब में बिजली की कमी

1115. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना में पंजाब में बिजली के विकास के लिए कुल कितना परिव्यय नियत किया गया है और इसमें केन्द्रीय सहायता का कितना भाग होगा;

(ख) पंजाब में बिजली की कितनी कमी है और इसे किस प्रकार पूरा करने का विचार है; और

(ग) इस बारे में पंजाब के मंत्रियों ने उनसे किस प्रकार की बातचीत की हैं और उसका क्या परिणाम निकला हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) विद्युत पर कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 1973-74 के दौरान पंजाब में विद्युत के विकास के लिए कुल परिव्यय 50.13 करोड़ रुपये है जिसमें विद्युत् जनन पर 31.03 करोड़ रुपए और पारेषण, वितरण तथा ग्राम विद्युतीकरण पर 19.10 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत-जनन स्कीम पर अग्रिम कार्रवाई के लिए 7.30 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की गई है। केन्द्रीय सहायता केवल ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में राज्यों के सम्पूर्ण योजना के प्रति, न कि विशिष्ट विद्युत परियोजना के लिए, दी जा रही है।

(ख) पंजाब में विद्युत की कमी 1.65 मि० यूनिट/प्रति दिन है। पंजाब में विद्यत की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित लघु-कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय किए गए हैं :—

(1) हिमाचल प्रदेश में बसी से फालतू बिजली पंजाब को दी जा रही है।

(2) बदरपुर और भटिंडा में विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रचालन में तेजी लाई जा रही है।

(3) बिजली बोर्डों के पास पड़े निष्क्रिय छोटे उत्पादन सेटों की मरम्मत करके उन्हें चलाया जा रहा है।

(4) निजी उद्योगों को इजाजत दी जा रही है कि वे कैपटिव विद्युत उत्पादन संयंत्र प्रतिष्ठापित कर लें।

(5) राज्य बिजली बोर्ड डीजल उत्पाद-सेट लगा रहे हैं।

(6) राजस्थान पारेषण प्रणाली के द्वारा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप केन्द्र से पंजाब को राहत विद्युत की यथासंभव सप्लाई के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दीर्घ कालीन उपाय

(1) पांचवीं योजना के दौरान भटिंडा में 220 मेगावाट और बदरपुर में 200 मेगावाट की अतिरिक्त ताप-उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित की जा रही है।

(2) भाखड़ा ब्यास काम्पलैक्स पर कुल 1098 मेगावाट की अतिरिक्त जल-विद्युत क्षमता पांचवीं योजना के दौरान प्रतिष्ठापित की जाएगी।

(3) ब्यास-सतलुज सम्पर्क के पूर्ण होने पर भाखड़ा में 148 (संतत) मेगावाट तक अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी।

(4) कुल 780 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता बैरा-सियुल, सलाल और किश्तवार में चालू की जाएगी। इन कन्द्रों से उत्तरी ग्रिड को बिजली दी जाएगी।

(5) शानन, अपर बारो दोआब नहर और अनंदपुर साहिब में 205 मेगावाट जल-विद्युत क्षमता प्रतिष्ठापित की जाएगी।

(ग) विद्युत के मुख्य स्रोत भाखड़ा से विद्युत सप्लाई में कमी के कारण पंजाब के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि नंगल उर्वरक कारखाने को कुछ महीनों के लिए अथवा उस समय तक जब तक अतिरिक्त पर्याप्त सप्लाई राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना उपलब्ध नहीं होती, बन्द कर दिया जाए। सरकार ने यह निर्णय किया है कि 10-4-1973 से नंगल उर्वरक कारखाने को विद्युत की सप्लाई 98 मैगावाट से कम करके 60 मैगावाट तक कर दी जाए।

आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन द्वारा असहयोग आन्दोलन

1116. श्री सरोज मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने "असहयोग" आन्दोलन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी):(क) इस मान्यता अप्राप्त एसोसियशन ने 16 नवम्बर 1972 से असहयोग आन्दोलन चलाने की धमकी दी है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगें और उनपर सरकार की प्रतिक्रिया दी हुई हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4292/73]**

उत्तर बंगाल की पहाड़ी नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलना

1117. श्री रेणुपद दास : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर बंगाल की सभी पहाड़ी नदियां अपना मार्ग बदल रहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर बंगाल के बड़ी संख्या में लोगों और चायबागानों के पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):(क)से(ग) यह देखा गया है कि विशेष रूप से अपनी पहुंचों में उत्तरी बंगाल में नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं । लोगों और चाय के बागों समेत कृषि भूमियों को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए गए हैं । जो कार्यवाही की गई हैं उसमें ये सम्मिलित हैं:—तटबंधों का निर्माण, कटावरोची कार्य तथा नदी नियंत्रण कार्य । इन से अब तक 16 लाख हेक्टयर क्षेत्र की सुरक्षा हुई है । और क्षेत्रों को सुरक्षा के लिए और कार्य आयोजित तथा कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत जलपाईगुड़ी में एक बाढ़ पूर्व सूचना यूनिट स्थापित किया गया है और यह 1969 से कार्य कर रहा है ।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा स्थापित उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग इस समय उत्तरी बंगाल की नदियों की विनाशकारी बाढ़ों तथा कटाव से लोगों और मूल्यवान क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने में लगा हुआ है ।

Construction of Over-Bridge at Kharchi (Marwar Junction).

1118. Shri M.C. Daga: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Kharchi (Marwar Junction) is a very big Railway junction having a net work of about 14 railway lines and if so, the arrangements existing at present for crossing these lines;

(b) whether railway staff and passengers have to go from one and to another after crossing the railway lines which is against the rules and is fraught with danger to their lives and if so. whether Government propose to construct an over bridge there and so, by what time and if not, reasons therefore; and

(c) whether the residents of Kharchi as well as railway (staff there have also made a demand for this bridge?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes. The station building and other facilities are situated on the main platform which is sandwitched between the two yards viz. the yard on Ajmer and Palanpur line and the yard where the trains are received from Jodhpur side.

The approach road to the station runs between the two yards and joins the road which has level crossings on both the lines viz. Ajmer line and Jodhpur line. The level crossing on the Ajmer line is approximatcly 1800' towards the north side from the centre line of the station building. The level crossing on Jodhpur line is about 1300' from the Centre line of the station building. A foot over-bridge connecting the main and the island platform also exists.

(b) No. The staff and passengers are required to use the approach road to the station between the two yards and the level crossings on the Ajmer and Jodhpur line. However, a pro-

posal for providing a new foot over-bidge or extending the existing foot over-bridge so as to provide a direct access from one side of the railway yard to the other at the joint cost of railway and the State Government is under consideration. No limit time for construction of the foot overbridge can be given at this stage as the State Government's share of the cost is yet to be determined and their acceptance is also to be obtained.

(c) Yes.

Control over 12 more Essential Bulk Drugs

1119. Shri M.C. Daga: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring some more essential bulk drugs under the Drug Prices Control Order; and

(b) if so, the reasons therefor, the names of the drugs and the time by which it will be done?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Dalbir Singh): (a) to (b) Yes, Sir. The report submitted by the Working Group set up under the Chairmanship of the Chairman, Bureau of Industrial Costs & Prices on the cost structure of 24 bulk drugs including empty hard gelatine capsules is under examination.

Legislation requiring recording of Statements or Witnesses in Courts in their own Language

1120. Shri M.C. Daga: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to enact some legislation for the entire country under which statements of witnesses in courts will be required to be written in their own language instead of being translated into English as at present; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) No, Sir.

(c) Does not arise.

Visit by Soviet Oil Experts

1121. Shri M.C. Daga: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Soviet Oil experts visited India in February, 1973, and if so, the purpose of their visit;

(b) whether the Oil and Natural Gas Commission was benefited by the visit of the experts; and

(c) if so, the benefits accuring from their visit?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh): (a) Yes, Sir. The purpose of their visit was to discuss the needs of the ONGC for technical assistance from the USSR, in oil exploration and production operation in the from of services of experts and supply of equipment etc.; and also to advise on deep drilling operations in the difficult areas.

(b) Yes Sir.

(c) The agreement of the USSR to provide services of experts, as required by the ONGC has been obtained. The Soviet Delegation has also agreed to make timely delivery of such of the items of equipment etc. as are in conformity with the ONGC's specifications and are also available from that country at competitive prices. The Soviet-experts have also agreed to render advice on problems of deep drilling operations in the difficult areas.

समुद्र द्वारा भूमि-कटाव रोकने की परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

1122. श्री ए० के० गोपालन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने अपनी 14वीं बैठक में सिफारिश की है कि समुद्र द्वारा भूमि- कटाव रोकने की परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने के ढांचे को बदल कर केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान कर दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को केरल सरकार से तट संरक्षण योजना को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक राशि इस समय 100 प्रतिशत ऋण के रुपए सहायता देने के स्थान पर पूरा अनुदान देने संबंधी अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) से (ग) केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने दिसम्बर, 1968 में हुई अपनी 14वीं बैठक में सिफारिश की थी कि समुद्र कटाव रोधी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता का पैटर्न केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत अनुमान होना चाहिए। केरल सरकार भी समय समय पर यह अनुरोध करती आ रही थी कि समुद्र कटाव समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना जाए और इसके लिए धन की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाए।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया था। चूंकि उस समय तक राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह निर्णय कर लिया था कि चौथी योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता का पैटर्न ब्लाक ऋण और अनुदानों के रूप में होगा, योजना आयोग इस विषय को फिर से उठाने का पक्ष में नहीं था।

बहरहाल राज्य में समुद्र कटाव रोधी उपायों का कार्यान्वयन तेजी से करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार चतुर्थ योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपए के एक कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गई है। यह सहायता राज्य योजना में किए गए 1972-73 में 1.3 करोड़ रुपए और 1973-74 में 1.5 करोड़ रुपए के प्रावधान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अवमुक्त की जाएगी ।

इद्दिकी परियोजना का पूरा होना

1123. श्री ए० के० गोपालन :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इद्दिकी परियोजना का पहला चरण 1974 में पूरा किया जाना है;

(ख) परियोजना के पहले चरण पर कुल कितना व्यय होने की आशा है; और इस चरण के पूरा करने पर क्या लाभ होंगे; और

(ग) परियोजना के दूसरे चरण के कब तक आरंभ होने की आशा है और दूसरे चरण की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) संशोधित अनुसूची के अनुसार इद्दिकी परियोजना के प्रथम चरण में परिकल्पित 130-130 मेगावाट के तीन उत्पादन सेटों में से प्रथम सेट दिसम्बर, 1974 तक चालू होना प्रत्याशित हैं। शेष दो यूनिट उसके बाद छः छः महीने की अवधि के बाद चालू किए जाएंगे।

(ख) इद्दिकी परियोजना चरण-एक यथास्वीकृत; की अनुमानित लागत 68.20 करोड़ रुपए हैं। वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि यह लागत 80 करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाएगी तथा इसमें 130-130 मेगावाट की तीन यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित हैं।

(ग) इद्दिकी जल-विद्युत परियोजना चरण-दो को जिसमें 11.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 130-130 मेगावाट की 3 अतिरिक्त उत्पादन यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित हैं, सिंचाई, विद्युत और बाढ़-निर्यंत्रण परियोजनाओं पर सलाहकार समिति ने स्वीकृति दे दी हैं। स्कीम को योजना आयोग की औपचारिक स्वीकृति मिलने के तुरन्त बाद, कार्यान्वयन के लिए हाथ में ले लिया जाएगा।

मीठापुर स्थित टाटा उर्वरक परियोजना

1124. श्री राम कंवर : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक के उत्पादन के लिए टाटा की मीठापुर परियोजना की अनुमानित लागत कितनी हैं; और

(ख) इससे आयातित उर्वरक पर देश की निर्भरता में कितनी कमी होगी और इसके परिणामस्वरूप देश द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा बचाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):(क) और (ख) मीठापुर उर्वरक परियोजना की नाईट्रोजन की वार्षिक क्षमता 160,000 मीटरी टन नियत की गई है। जब संयंत्र पूर्ण निर्धारित क्षमता से उत्पादन करने लगेगा तब इतनी ही मात्रा के उरर्वक आयात से विद्यमान कीमत के हिसाब से लगभग 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत प्रति वर्ष होगी ।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा मद्रास तेल शोधनशाला को कुकिंग गैस के सिलेन्डरों की आपूर्ति

1125. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन मद्रास तेल शोधन शाला को कुकिंग गैस के सिलेंरों की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त तेल शोधनशाला को सिलेंडरों की अपेक्षित संख्या में सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) जी नहीं । मद्रास में सिलेंडरों के प्रभावी उपयोग के कार्य में गत कुछ महीनों में कई कारणों से जैसे कि संचार व्यवस्था के भंग एवं विस्थापित होने तथा रेल सेवाओं में रुकावट आदि आने से कई अड़चनें आई हैं । अब स्थिति में सुधार हो गया हैं ।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की विपालत।

1126. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या कम करने के लिए अब तक सरकार द्वारा किये गये उपायों से अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या में पर्याप्त कमी नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले):(क) यह सही है कि कुछ उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ गई है । अधिकांश उच्च न्यायालयों में अधिक मुकदमें संस्थित किए गए हैं और उनका निपटारा उतनी तेजी से नहीं हो सका है ।

(ख) राज्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इस समय संस्थित किए गए, निपटाये गए तथा अनिर्णीत मुकदमों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की संख्या की फिर से जांच करें ।

न्यायमूर्ति जे०सी० शाह की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की एक समिति ने उच्च न्यायालयों में बकाया मुकदमों की समस्या पर एक रिपोर्ट पेश की है । समिति ने अनिर्णीत मुकदमों की संख्या कम करने और न्याय में विलम्ब कम करने के लिए अनेक सिफारिशों की हैं । समिति की वे सिफारिशें जो कि पूर्णतः प्रशासनिक प्रकार की हैं और जिनके लिए नियम कानून या विधि में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को क्रियान्वित करने के लिए भेज दी गई हैं । जिन सिफारिशों में कानून या विधि के संशोधन की अपेक्षा की गई है इनकी जांच की जा रही है और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्य सरकारों के विचार मालूम कर लिए जाने के पश्चात् उनके बारे में निश्चय किया जाएगा ।

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिविल मुकदमेंबाजी में विलम्ब समाप्त करने या कम करने और उस द्वारा खर्चे घटाने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ विशेष प्रकार के संशोधनों का सुझाव दिया हैं । सुझाव विचाराधीन है । पूनर्गठित विधि आयोग से भी सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है और हाल ही में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है ।

विधि आयोग ने दाण्डिक मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी विधि के संशोधन के लिए भी अनेक सिफारिशें की हैं । उनमें से बहुत सी सरकार द्वारा मान ली गई हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता के पुनरीक्षण के लिये एक विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात् लोक सभा में विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

1127. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल में तेल की खोज सम्बन्धी किन्हीं नई सम्भावनाओं का पता चला हैं; और

(ख) यदि हां, तो कहां ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) तत्काल व्यधन अन्वेषण कार्य हेतु कोई नई सम्भावनाए नहीं दिखाई दी हैं । तथापि आयोग द्वारा तेल अन्वेषण कार्य भूकम्पीय सर्वेक्षणों के रूप में पश्चिमी बंगाल के बकुलताला, गलसी, डाइमंड हारबर एवं बज-बज क्षेत्रों में विस्तृत ढंग से किया जा रहा है ताकि व्यधन के लिए अनुकूल संरचनाओं का पता चल सके ।

उत्तर कनारा जिले में सोडा एश संयंत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण करने के बारे में शिकायतें

1128. श्री जी०वी० नायक : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, को उत्तर कनारा, मैसूर में मैसूर/औद्योगिक विकास निगम द्वारा सोड-ऐश संयंत्र के लिये भूमि अर्जित करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं । मैसूर राज्य में अभी तक किसी भी सोडा राख संयंत्र (सोडा ऐश प्लांट) लगाने के लिए अनुमति नहीं दी गई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल और सड़क परिवहन द्वारा वस्तुओं की ढुलाई के बारे में तुलनात्मक लागत अध्ययन

1129. श्री वी०वी० नायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में रेल और सड़क परिवहन द्वारा वस्तुओं की ढुलाई के बारे में तुलनात्मक लागत अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या वस्तुओं के रेल भाड़े तुलनात्मक लागत पर आधारित हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) रेल द्वारा माल की ढुलाई की लागत के बारे में रेल मंत्रालय द्वारा अध्ययन किये गये हैं । सड़क के रास्ते माल की ढुलाई की लागत की व्यस्थित आधार-सामग्री उपलब्ध नहीं है । फिर भी विश्व बैंक अध्ययन दल द्वारा कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में तदर्थ अध्ययन किया गया था जिसमें विभिन्न व्यापारों के लिए रेल और सड़क के रास्ते प्रति टन कोयले की ढुलाई की लागत की तुलना की गयी थी । परिवहन नीति और समन्वय समिति ने भी उपलब्ध आधार सामग्री से तुलनात्मक लागत का तदर्थ अध्ययन किया था ।

(ख) और (ग) रेलें अलग अलग वस्तुओं का भाड़ा-वर्गीकरण पण्य-वस्तुओं की परिवहन सम्बन्धी विलक्षणताओं, जैसे कीमत, उपयोग, निर्माण-अवस्था, लदाई, मार्ग में जोखिम और ढुलाई लागत को ध्यान में रखते हुए निश्चित करती है ।

देश की अर्थ-व्यवस्था में रेलों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए केवल लागत के आधार पर दर निश्चित करना सम्भव नहीं है । वास्तव में बहुत बड़ी संख्या में वस्तुएं 'लागत से कम' दर पर ढोयी जाती हैं ।

गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल की क्षति

1130. श्री बी०बी० नायक : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का कितने एकड़ फुट पानी बंगाल की खाड़ी में बह जाता हैं;

(ख) क्या इसका उपयोग करने के लिये कोई परियोजना हैं; और

(ग) यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित हो जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) सिंचाई आयोग ने अनुमान लगाया हैं कि गंगा में औसतन 400 मिलियन एकड़ फुट के वार्षिक प्रवाह में से सिंचाई विकास के लिए लगभग 150 मिलियन एकड़ फुट पानी का इस्तेमाल करना सम्भव होना चाहिए और शेष जल समुद्र में प्रवाहित हो जाएगा उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि ब्रह्मपुत्र का भी 300 मिलियन एकड़ फुट पानी फालतू होगा ।

(ख) और (ग) गंगा के थोड़े से फालतू पानी का इस्तेमाल करने के लिये राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिए स्कीमों के अनुसंधान का भी प्रस्ताव है । यह उम्मीद की जाती है कि इस शताब्दी के खत्म होने पर ग्रिड का प्रचालन आरम्भ हो जाएगा । .

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन

1131. श्री एम० वी० कृष्णप्पा :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी बजट सत्र में इन परिवर्तनों के बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने के लिये कतिपय प्रस्ताव जो मुख्य रूप से निर्वाचन विधि के संशोधनों के बारे में संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आधारित हैं, विचाराधीन है ।

(ग) जी हां ।

भारतीय उर्वरक निगम के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

1132. श्री एम० वी० कृष्णप्पा :
श्री के० मालन्ना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के तकनीकी विशेषज्ञों के अध्ययन दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बीच सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह):(क) भारतीय उर्वरक निगम के तकनीकी अधिकारियों के एक दल, जिस ने 1968 में विभिन्न विदेशी देशों का दौरा किया था की रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई थी ।

(ख) से (घ) दल को इसके दौरों के दौरान गुप्त रूप से दिये गये तकनीकी ब्यौरे तथा विदेशों के विभिन्न उर्वरक संयंत्रों पर हुए विचारविमर्श का रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । अतः रिपोर्ट की प्रति अथवा सही सिफारिशों को सभा पटल पर रखना जन-हित में नहीं समझा जाता । तथापि भारतीय तेल निगम दल द्वारा एकत्र की गई सूचना एवं ब्यौरे का प्रयोग उर्वरक परियोजनाओं तथा कार्यान्वित के बारे में पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये कर रहा है ।

ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के बारे में इंजीनियरों के विरुद्ध लगाये गये आरोप

1133. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 दिसम्बर, 1972 के "मार्च आफ दि नेशन" के प्रथम पृष्ठ पर "इन्एफी-सियेन्ट इंजीनियर्स मैस अप ब्यास-सतलुज लिंक प्राजेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित विभिन्न आरोपों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): जी हां ।

(ख) इस मामले की जांच की जा चुकी है और चिन्ता का कोई कारण नहीं लगता ।

पोंग बांध से रेल की पटरी डूब जाने के कारण कांगड़ा घाटी रेलवे में यातायात ठप्प न होने देने के लिए उपाय

1134. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1972 में हिमाचल प्रदेश के संसद्-सदस्यों के एक दल को उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार पोंग बांध में पानी का स्तर ऊंचा हो जाने के कारण रेल-पटरी के कुछ भाग के जल मग्न होने से कांगड़ा घाटी रेलवे यातायात ठप्प न होने देने के लिये क्या सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):(क) और (ख) रेलवे अधिकारी स्थिति का पूर्ण रूप से विचार कर रहे हैं और सम्पूर्ण रूप से एक संतोषजनक समाधान ढूंढने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

जम्मू तक गाड़ियों के चलाने के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तर पंजाब के लोगों को कठिनाइयां

1135. श्री नारायण चन्द पाराशर: क्या **रेल** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर मेल, श्रीनगर एक्सप्रैस और सियालदह एक्सप्रैस के जम्मू तक चलाये जाने के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तर पंजाब के लोगों को पठानकोट स्टेशन पर होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी हां ।

(ख) जम्मू तवी तक जाने वाली 3 डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में से 2 डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां अर्थात् 59/60 श्रीनगर एक्सप्रैस और 33/34 काश्मीर डाक गाड़ियां हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब के लोगों की सुविधा के लिए पठानकोट के रास्ते चलायी गयी हैं । 51/52 सियालदह एक्सप्रैस गाड़ियों को भी जो पठानकोट गये बिना जम्मू तवी तक आती-जाती हैं, चक्की बैंक पर ठहराने की व्यवस्था की गयी है जो पठानकोट से, केवल 3.65 किलोमीटर दूर है ।

गाड़ियों में सुविधाओं की कमियों के बारे में संसद सदस्यों द्वारा शिकायतें

1136. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ियों में सुविधाओं की कमियों के बारे में वर्ष 1972 में संसद् सदस्यों ने कितनी शिकायतें कीं;

(ख) उक्त शिकायतें किन-किन गाड़ियों के बारे में की गईं;

(ग) सरकार ने किन-किन मामलों में कार्यवाही की; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बिजली उत्पादन के लिए गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को लाइसेंस जारी करना

1137. श्री एस० एन० मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी को दूर करने हेतु बिजली का उत्पादन करने के लिए गैर-सरकारी उद्यमकर्त्ताओं को लाइसेंस देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) और (ख) भारतीय बिजली अधिनियम 1910, तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के अंतर्गत निजी उपक्रमों द्वारा विद्युत-प्रजनन के लिए लाइसेंस राज्य सरकारों-राज्य बिजली बोर्डों द्वारा, केन्द्रीय सरकार से सलाह करके, जारी किए जाते हैं । विद्युत की कमी के कारण अनुभूत कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को स्टैण्डबाइ-आपातकालीन संयंत्रों के लिए उद्योगों को उदारतापूर्वक लाइसेंस जारी करने की सलाह दी जा रही है ।

इंडेन गैस की डीलरशिप का युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को आबंटन

1138. श्री एस० एम० मिश्र : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडेन गैस की डीलरशिप का समस्त आवंटन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को किया गया था लेकिन उन्हें डीलरशिप नहीं दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं ने इस सम्बध में विनियोजन किया और बाद में उन्हें अन्धकार में छोड़ दिया गया; और

(घ) सैनिकों की विधवाओं को हुई दुहरी हानि को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

दूसरी श्रेणी को समाप्त करने से रेलवे को हुई हानि

1139. श्री एस० एन० मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में से दूसरी श्रेणी कब तक समाप्त कर दी जाएगी;

(ख) समस्त रेलवे से दूसरी श्रेणी के डिब्बों को हटाने के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या दूसरी श्रेणी के डिब्बों को समाप्त करने से यात्रियों को कोई राहत मिलेगी ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) दूसरे दर्जे के वर्तमान सवारी डिब्बों को तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में बदला जा रहा है। इनका परिवर्तन कारखानों में तब किया जाता है जब वे निर्धारित समय पर आवधि ओवरहाल के लिए वहां भेजे जाते हैं। इस परिवर्तन कार्य के मार्च 1974 तक पूरे होने की संभावना है और तब दूसरा दर्जा नहीं रह जाएगा।

(ख) दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों की तुलना में तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में सीटों की अधिक क्षमता तथा तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों के अधिक लोगों द्वारा उपयोग के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान है कि दूसरा दर्जा समाप्त करने के कारण रेलों को कोई हानि नहीं होगी।

(ग) जी हां, दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों को तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों के रूप में बदलने के परिणामस्वरूप सवारी डिब्बों की वहन-क्षमता बढ़ेगी।

उच्च न्यायालयों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति

1140. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के काउन्सेलों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आधार पर नियुक्ति न करके गुणागुण के आधार पर सक्षम वकीलों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिये किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने स्थायी काउन्सेल नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) प्रत्येक उच्च न्यायालय में इस प्रकार नियुक्त किये गये काउन्सेलों के नाम क्या हैं, और वे कब से विधि-व्यवसाय में हैं तथा उनका अनुभव क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : (क) साधारणतया उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति से और कभी-कभी अन्य व्यक्तियों जैसे महाधिवक्ता आदि से परामर्श करने के बाद नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) (क) में दिए अनुसार।

(ग) 33।

(घ) (i) नाम उपबन्ध 'क' में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4293/73]**

(ii) इस बारे में ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं कि वे कब से विधि-व्यवसाय में हैं और उनका अनुभव क्या है।

जम्मू और काश्मीर में प्राकृतिक साधनों द्वारा पन-बिजली का उत्पादन

1141. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में पन-बिजली पैदा करने के लिये अपार प्राकृतिक साधन विद्यमान हैं;

(ख) क्या इन साधनों का पूरा उपयोग करने के लिये कोई उचित योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में अधिकतम पन-बिजली पैदा करने की दृष्टि से सभी उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करने हेतु सरकार वितृत योजनायें तैयार करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जी हां। अनुमान लगाया गया है कि जम्मू कश्मीर में मितव्ययता-पूर्ण ढंग से उपभोग्य वास्तविक जल-विद्युत क्षमता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 8.59 मिलियन किलोवाट है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित जल विद्युत स्कीमें चौथी योजना में सम्मिलित की गई है और उनका निर्माण किया जा रहा है :—

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता
1. चेनानी	23 मेगावाट
2. सम्बल चरण-एक (अपर सिंध)	22 मेगावाट
3. लोअर झेलम	105 मेगावाट
4. सलाल	345 मेगावाट
5. स्तकना	4.8 मेगावाट

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित परियोजनाओं का या तो अनुसंधान हो गया है या वे अनुसंधान की प्रौढ़ावस्था में है और उनमें से कुछ का पांचवीं योजना में अथवा छठी योजना अवधि के आरंभ में लाभों के लिये पांचवीं योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ।

1. किश्तवार चरण-एक (दुल-हस्ती)	330 मेगावाट
2. किश्तवार चरण दो (पाकल दुल)	390 मेगावाट
3. सावलकोट	400 मेगावाट
4. रट्टल	160 मेगावाट
5. कंगन	22 मेगावाट
6. गंगाबल	30 मेगावाट
7. सुरु (कार्गिल)	9.6 मेगावाट
8. लेह	12.5 मेगावाट
9. द्रास	3.0 मेगावाट
10. कारू	7.5 मेगावाट
11. गायक	6.3 मेगावाट
12. तांग्त्से	3.6 मेगावाट

न्यायालय में दायर किये गये रेलवे के भूतपूर्व विद्युतीकरण कर्मचारियों के मामलों को हल करने के लिए किये गये प्रयास

1142. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के बहुत से भूतपूर्व विद्युतीकरण कर्मचारी अपनी शिकायतों को दूर कराने हेतु न्यायालयों में गये हैं;

(ख) न्यायालय में कुल कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है; और

(घ) क्या न्यायालय से बाहर इन कर्मचारियों के साथ विवादों को हल करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क)जी हां।

(ख) 28

(ग) 5,632,20 रुपए ।

(घ) कुछ मामलों में ऐसे प्रयास किए गए हैं जहां यह व्यावहारिक था।

वैगन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही

1143. श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वैगनों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): माल डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) मालडिब्बों के लिए काफी पहले आर्डर दिये जाते हैं ।

(2) बढ़े हुए उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में उपलब्ध इस्पात और पहिये के सेटों की कमी को रेलों द्वारा आयात किया जा रहा है ।

(3) उत्पादन के अनुरूप मालडिब्बों के महत्वपूर्ण पुर्जों जैसे 'सेन्टर वफर कप्लर्स' 'रोलर वियरिंग' घूरा वर्क्स के पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है ।

(4) रेल कारखानों में माल डिब्बों के उप्पादन का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है ।

जल संसाधनों का उपयोग

1145. श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा के जल सहित कुल जल संसाधन कितने हैं;

(ख) इस समय इसके कितने प्रतिशत भाग का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) शुष्क मौसमों में कितने प्रतिशत वर्षा का पानी खेती के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है या सुरक्षित रखा जा रहा है ?

सिंचाई औरविद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) से (ग) देश में लगभग 3000 मिलियन एकड़ फुट वर्षा होती है जिसमें से अनुमानत: लगभग 1360 मिलियन एकड़ फुट जल औसतन नदियों में बह जाता हैं। इस जल का 14.7 प्रतिशत अथवा लगभग 200 मिलियन एकड़ फुट पानी चतुर्थ योजना के अन्त तक तल-सिंचाई कार्यों के लिए अनुमानत: प्रयोग में लाया जाता है। मोटे रूप से अनुकूल मौसम में इन सिंचाई जल का छटा भाग रबी के लिए और शुष्क ऋतु फसलों के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।

बिहार में खिरोई नदी पर जल-फाटक एवं पुलों का निर्माण

1146. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में खिरोई नदी पर जिसके जल के बहाव को पहले ही माप लिया गया है और अनेक बार जांच भी की जा चुकी है, जल फाटक एवं पुल बनाने की जोरदार मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उन्हें वर्ष 1973-74 में क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): स्लूइस फाटक-मय-पुलों के निर्माण की स्कीम पर बिहार सरकार पहले से ही विचार कर रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1970 से जलवैज्ञानिक-प्रेक्षण किए जाते हैं तथा स्कीम को अंतिम रूप देने से पूर्व उन्हें 1973 के दौरान भी चालू रखना पड़ेगा। इस स्कीम को बिहार की 1973-74 की वार्षिक योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ, की मांगों की क्रियान्विति

1147. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ की मांगों की क्रियान्विति के बारे में 19 दिसम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5010 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ के दिनांक 19 अप्रैल, 1972 के पत्र में उल्लिखित किन मांगों को अस्वीकृत कर दिया गया है या तुरंत क्रियान्विति योग्य नहीं समझा गया है; और

(ख) क्या मानी गई मांगों को पूरी तरह लागू कर दिया गया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और समा-पटल पर रख दी जायेगी ।

समस्तीपुर, बनारस और इज्जतनगर के कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान और समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य के घंटे

1148. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री समस्तीपुर, बनारस और इज्जतनगर के कर्मचारियों को यात्रा, समयोपरि और रात्रि ड्यूटी भत्तों की बकाया राशि का भुगतान करने और समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य के घटों के बारे में 19 दिसम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 4989 और 4990 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन कार्यालय में रात्रि ड्यूटी भत्ते के बकाया पड़े बिलों का पूरा भुगतान किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक बकाया पड़े बिलों की संख्या तथा राशि कितनी है; और

(ग) क्या समस्तीपुर डिवीजन में 8 घंटे की ड्यूटी पूरी तरह लागू कर दी गयी है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय जल नीति बनाने में अन्तर्ग्रस्त कानूनी पहलू

1149. श्री अण्णासाहेब गोटीखिड़े : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने में अन्तर्ग्रस्त कानूनी पहलुओं पर निर्णय ले लिए गये हैं; और

(ख) राष्ट्रीय जल ग्रिड की योजना को अन्तर्राज्यीय विवादों से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) और (ख) देश के जल संसाधनों के बढ़ते हुए इस्तेमाल और भविष्य में अधिक समुपयोजन के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप एक राष्ट्रीय जल नीती तैयार करने की आवश्यकता को माना गया है ताकि जल की आवश्यकताओं की लगातार जानकारी और समस्त देश के हित में विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध जल के अत्याधिक लाभकारी तथा बराबर आबंटन को सुनिश्चित किया जा सके ।

पहले कदम के रूप में संविधान के कुछ प्रावधनों में संशोधन करने आवश्यक होंगे जिससे जल को राष्ट्रीय सम्पति के रूप में समझने की धारणा प्रतिबिम्बित हो और समाधान समझौते अथवा अन्य प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय नदी विवादों को सुलझाने की व्यवस्था की जा सके । प्रस्तावित संशोधनों पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गए हैं ।

दक्षिण मध्य रेलवे के मीराज जंक्शन पर कोल साईडिंग प्लेटफार्म की बुरी हालत

1150. श्री अण्णासाहिब गोटीखिड़े: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के मीराज जंक्शन पर स्थित कोल साईडिंग प्लेटफार्म बहुत खतरे की स्थिति में है;

(ख) क्या रद्दी लोहे तथा अन्य भारी सामान लादने वाले मजदूरों के लिए वहां काम करना कठिन हो गया है और कई मजदूर माल लादते हुए जख्मी हो गये हैं; और

(ग) प्लेटफार्म का पुनः निर्माण करने के लिये क्या शीघ्र कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारी माल एक डिब्बे से उतारकर दूसरे डिब्बे में लादने के काम में लगे हुए मजदूरों को प्लेटफार्मों की सम्मुख दीवारों के कारण और लकड़ी के फर्श के बार-बार चौरी और क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कुछ कठिनाई होती है ।

(ग) जैसी और जब आवश्यकता होती है, रेल प्रशासन द्वारा मरम्मत करा दी जाती है । मिरज-लौण्डा खण्ड को मीटर लाईन से बड़ी लाइन में बदले जाने की सम्भावना है । इसे देखते हुए फिलहाल अस्थायी यानान्तरण प्लेटफार्मों की जगह पक्के प्लेटफार्म बनाने का कोई विचार नहीं है ।

विधि आयोग की सिफारिशें

1151. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग को सौंपे गये कार्य में क्या प्रगति हुई हैं;

(ख) 31 जनवरी, 1973 के अन्त तक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा कर रही हैं; और

(ग) आयोग को भविष्य के लिये क्या काम दिये जाने का विचार हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) आयोग ने अभी तक 54 रिपोर्टें पेश की हैं जिनमें से 10 वर्तमान विधि आयोग द्वारा, जो 1970 में पुनर्गठित किया गया था, पेश की गई है ।

(ख) आयोग समय समय पर विभिन्न विषयों के बारे में रिपोर्टें प्रस्तुत करता रहा है जो रिपोर्ट के विषय से संबंध मंत्रालय या विभाग को कार्यान्वयन के लिए भेजी जाती है । रिपोर्टें उपबंध 'क' में उल्लिखित की गई हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-4294/73**] निम्नलिखित विषयों पर रिपोर्टें जिनकी संख्याएं उनके नामों के पश्चात उल्लिखित की गई हैं आवश्यक विधायी या प्रशासनिक कार्रवाई करके क्रियान्वित की जा चुकी हैं:—

अपकृत्य में राज्य का दायित्व (1),
विक्रय कर सम्बन्धी संसदीय विधान (2),
परिसीमा अधिनियम, 1908 (3),
इस प्रस्थापना पर कि उच्च न्यायालय को राज्य में विभिन्न स्थानों पर न्यायपीठों के रूप में बैठना चाहिए (4),
भारत को लागू ब्रिटिश कानून (5),
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (6),
भागीदार अधिनियम, 1932 (7),
माल विक्रय अधिनियम, 1930 (8),
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 (9),
भूमि अर्जन और अधिग्रहण विधि (10),
आयकर अधिनियम, 1922 (12),
न्यायिक प्रशासन का सुधार (14),
शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 (16),
महाप्रशासक अधिनियम, 1913 (19),
भाड़ा-क्रय की विधि (20),
सामुद्रिक बीमे की विधि (21),
विदेशी विवाह की विधि (23),

जांच आयोग अधिनिमय, 1952 (24),

कूट रचित स्टाम्पों करेन्सी नोटों आदि के बारे में अधिकारियों के साक्ष्य (धारा 509 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता यथा प्रस्थपित) (25),

सिविल प्रक्रिया संहिता पर रिपोर्ट (27),

भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 (28),

भारतीय दण्ड संहिता के अधीन सामाजिक और आर्थिक अपराध (29),

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 (2) (31),

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 9 (32),

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 44 (33),

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 497, 498 और 499 (36),

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (धारा 1 से 176 तक) (37),

न्यायालयों में बंदियों की हाजिरी सम्बंधी विधि (40),

दण्ड प्रक्रिया संहिता (41),

भारतीय दण्ड संहिता 1860 (42),

सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता (44),

योग्यता-प्रमाणपत्र पर उच्चतम न्यायालय को सिविल अपीलें (45),

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक 1971 (46),

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कुछ प्रश्न विधेयक 1970 (48),

आय-कर अधिनियम 1961 के अधीन आय-कर की दर अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कुल आय में कृषि आय के सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव (49),

निम्नलिखित विषयों पर, रिपोर्टें जिनकी संख्याएं उनके नामों के पश्चात उल्लिखित की गई हैं, क्रियान्वयन के विभिन्न प्रक्रमों पर है :—

परक्राम्य लिखित अधिनियम 1882 (11),

संविदा अधिनियम 1872 (13),

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (17),

दिवाला विधियां (26),

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (34),

मृत्यु दण्ड (35),

भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 (38),

राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों पर रिपोर्ट (47),

सामाजिक और आर्थिक अपराधों का विचारण और दण्ड (47),

भारतीय दण्ड संहिता में "लोक सेवक" की परिभाषा के अन्तर्गत लोक परिक्षाओं से सम्बद्ध व्यक्तियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव (50),

"मारा और भागा" मामलों में मोटर गाड़ियों द्वारा कारित क्षति के लिए प्रतिकर (51),

मत्यु के पश्चात अर्जित समपत्ति पर सम्पदा-शुल्क (52),

लोक सेवाओं के निवृत्त सदस्यों की पेंशनों के लिए वाद चलाने के अधिकार पर पेंशन अधिनियम, 1871 का प्रभाव (53),

भारत के क्रिश्चियनों में विवाह और विवाह विच्छेद सम्बन्धी विधि पर 15वीं रिपोर्ट, संपरिवर्तित व्यक्ति विवाह विघटन अधिनियम 1866 पर 18वीं रिपोर्ट, क्रिश्चियन विवाह और विवाह विषयक वाद विधेयक 1961 पर 22वीं रिपोर्ट की बाबत कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है क्योंकि इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के विधेयकों का समय बीत गया है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 5 पर 30वीं रिपोर्ट के बारे में कोई कार्यवाही किये जाने के लिए अपेक्षित नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता पर 54वीं रिपोर्ट सरकार के समक्ष 6-2-1973 को पेश की गई थी और वह विचाराधीन है।

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने स्वतः ही इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या उच्चतर न्याय पालिका (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) की संरचना और उनकी अधिकारिता में विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अपीली अधिकारिता, ऐसे मामलों में अन्तरम रोक की मंजूरी कराधान और सेवा विषयक मामलों और श्रम विवादों से सम्बन्धित कार्यवाहियों के (उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा) विचार्थ स्वीकार किए जाने में और अन्य सम्बद्ध मामलों में किसी प्रकार के परिवर्तन आवश्यक हैं। उच्च न्यायालयों से साधारण सिविल अपीलों की सुनवाई के लिए क्षेत्रीय न्यायालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिससे उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों को कम किया जा सके।

सरकार की प्रेरणा पर, विधि आयोग ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि क्या बेनामी संव्यवहारों को पूर्णतः प्रतिसिद्ध कर दिया जाना चाहिए।

भविष्य में, केन्द्रीय अधिनियमों के पुनर्विलोकन के अतिरिक्त विधि आयोग संविधान के भाग IV में अन्तर्विष्ट राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान विधियों की जांच भी करेगा और जहां तक ये विधियां इन तत्वों से असंगत हों, उनमें संशोधनों का सुझाव देगा।

निदेशक तत्वों को कार्यन्वित करने के लिए किसी नवीन विधान की उपयुक्ता या आवश्यकता पर विचार करेगा; और

संविधान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगा और इस दृष्टि से संशोधनों का सुझाव भी देगा कि निदेशक तत्वों को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए संविधान के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों को समर्थ बनाया जा सके।

स्वयंसेवी सहायता समिति द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन

1152. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस स्वयंसेवी सहायता समिति द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन क्या है जिसे उनके मंत्रालय में हाल ही में भंग कर दिया है;

(ख) यदि इस संगठन ने प्रशंसनीय कार्य किया है तो इसे भंग करने के क्या कारण है; और

(ग) अब से इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है अथवा की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) और (ख) अनौपचारिक स्थायी स्वयंसेवी सहायता समिति जिसका गठन जुलाई, 1970 में किया गया था, जनवरी, 1973 में भंग कर दी गयी। विघटन से पूर्व इस समिति की गति विधियां बिना टिकट यात्रा तथा चोरी और उठाई गीरी की रोकथाम तक ही सीमित थी। जुलाई, 70 से जनवरी, 1973 तक की अवधि में प्राप्त अनुभव से पता चलता है कि कुछ सदस्य इस कार्य को गम्भीरता से नहीं लिये और इस पर जो खर्च हुआ वह समिति द्वारा किये गये कार्य से मेल नहीं खाता।

(ग) इन कार्यों को करने के लिए रेलों की अपनी व्यवस्थाओं के अलावा, विभिन्न परामर्श समितियों के सदस्य इस मामले में रेलों की सहायता करते हैं और ये व्यवस्थाएं पर्याप्त समझी जाती है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को दी गई रियायतें

1153. श्री एस०एम० बनर्जी: : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को जनवरी, 1973 में कुछ रियायतें दी गई है; और यदि हां, तो वे रियायतें क्या हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों के साथ इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ छूट देने के साथ-साथ 16 जनवरी 1973 को अपने कर्मचारियों के साथ एक समझौता किया है। समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

(1) आयोग अपने कर्मचारियों को तीसरी अन्तरिम सहायता उन्हीं शर्तों के आधार पर देगा जैसेकि भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई हैं।

(2) अंतरिम बोनस/अनुग्रह पूर्वक अदायगी के निर्धारण हेतू कर्मचारियों की 1970-71 तथा 1971-72 की आय में अंतरिम सहायता को शामिल किया जाएगा और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, आय में अन्तरिम सहायता सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप 1970-71 तथा 1971-72 की इस प्रकार बकाया अंतरिम बोनस/अनुग्रह पूर्वक अदायगी का भुगतान करेगा।

(3) जब तक वेतनों के संशोधन के बारे में कोई निर्णय नहीं हो जाता, यूनियन वेतनों में संशोधन करने की मांग के बारे में (जिसके लिए बात-चीत चल रही है), कोई आंदोलन या प्रदर्शन या नियमानुसार कार्य या हड़ताल या अन्य किसी प्रकार का कदम जिससे कि औद्योगिक, शांति या आम कार्य आदि में हानि पहुंचे न उठाने के लिए सहमत हो गई है। उन कर्मचारियों को जिन्होंने (इस बारे में) आंदोलन/हड़ताल में भाग लिया हैं किसी प्रकार से दण्डित नहीं किया जाएगा तथा उनकी आंदोलन/हड़ताल में भाग लेने के कारण ड्यूटी से गैर-हाजिरी को जमा अवकाश स्वीकार कर नियमित किया जाएगा।

(4) तीसरी अन्तरिम सहायता की मात्रा को जो आयोग के कर्मचारियों को उक्त मद (1) के अनुसार दी जाएगी वेतनमानों, आदि के संशोधनों को अन्तिम रूप देने के समय पर ध्यान में रखा जाएगा।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्ज लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया मांग पत्र

1154. श्री एस० एम० बनर्जी: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्युटिकल्ज लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत किये गये मांगपत्र पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) ऐन्टीबांटिक परियोजना (ऋषिकेश) कर्मचारी संघ, वीरभद्र द्वारा आई० पी० एल 1 के प्रबन्धक को दिया गया मांग पत्र संघ और प्रबन्धक मंडल के बीच बातचीत हो रही है।

अलाभकर रेलवे लाइनों को लाभकर बनाने की योजना

1155. श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा था कि रेलवे को अलाभकर रेलवे लाइनों पर होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए उनका भी योगदान होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उन राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है जिसके क्षेत्र से ये रेलवे लाइन गुजरती है; और

(ग) क्या इन रेलवे लाइनों को बन्द करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) अलाभकर रेलवे लाइनों के संचालन में होने वाली हानि के एक अंश को पूरा करने के लिए अभी तक किसी भी राज्य सरकार से अनुरोध नहीं किया गया हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

भारतीय तेल निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात को ऊंची दरों पर प्राकृतिक तथा अवशिष्ट ईंधन की सप्लाई

1156. श्री वेकारिया :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात को प्राकृतिक तथा अवशिष्ट ईंधन की सप्लाई ऊंची दरों पर कर रहे हैं।

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन पेश किया हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि० तथा अन्य उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की सप्लाई कर रहा है। पहले दो उपभोक्ताओं द्वारा जारी दिए जाने वाले मूल्य, मंत्रालय तथा गुजरात सरकार के बीच हुए एक समझौते के आधार पर निश्चित किए गए हैं। गुजरात में अन्य उपभोक्ताओं को सप्लाई की जा रही है प्राकृतिक गैस के दाम आपसी बातचीत के आधार पर निश्चित किए जाते हैं।

कोयाली रिफाइनरी द्वारा उत्पादित अवशिष्ट ईंधन तेल (आर एफ ओ) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा गुजरात के 2 बिजली घरों को सप्लाई किया जा रहा हैं। ये हैं :—

(1) अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कंपनी लि0

(2) गुजरात इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड (जी० ई० बी०) का धुबारन थर्मल पावर स्टेशन।

अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कं० लि० को सप्लाई इंडियन आयल कारपोरेशन तथा अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कंपनी के बीच हुए एक वाणिज्यक समझौते के आधार पर की जा रही हैं। पश्चायुक्त को सप्लाई निम्नलिखित प्रबंधों के अन्तर्गत की जा रही हैं :—

(1) तदर्थ आधार पर, और

(2) ट्राम्बे को की जाने वाली आर० एफ० ओ० सप्लाई का धुबारन को भेजकर।

पूर्वोक्त सप्लाई के बारे में इंडियन आयल कारपोरेशन तथा गुजरात इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के बीच दामों पर हुए मतभेद को दोनों पक्षों द्वारा पंचनिर्णय के लिए भेजा जाता है। पश्चायुक्त सप्लाई के बारे में दाम सम्बन्धित पार्टियों द्वारा आपस में निश्चित कर लिए हैं।

गत तीन वर्षों में ढुलाई के दौरान माल की चोरी अथवा उसके क्षतिग्रस्त होने की घटनायें

1157. श्री बेकारिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा जोनवार कितने दावे ऐसे किये गये जिनमें ढुलाई के दौरान माल चौरी चला गया था अथवा खराब हो गया था;

(ख) इन में से कितने मामलों में निर्णय किया जा चुका है; और

(ग) प्रत्येक खण्ड में कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी4295/73]**

गुजरात मिल और उद्योग महासंघ द्वारा राज्य में कोयले की कमी को दूर करने की मांग

1158. श्री बेकारिया:

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात मिल और उद्योग महासंघ ने उनसे अनुरोध किया था कि कोक के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे वेगन देकर राज्य में कोक की कमी की समस्या को हल किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों ने इस मामले में क्या कार्यवाही की हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात के लिए हार्ड कोक के लदान के लिए दिसम्बर, 72 में 551 मालडिब्बे तथा जनवरी, 73 में 792 माल डिब्बे आबंटित किये गये थे। जिन दिनों उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी उन दिनों गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्रों के लिए होने वाला लदान बुरी तरह प्रभावित हुआ लेकिन बाद में महीने के दौरान स्थिति सुधर कर संतोषजनक हो गयी ।

गुजरात सरकार द्वारा हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड, भोपाल से टरबाइनों और ट्रांस्फार्मरों की खरीद

1159. श्री बेकारिया :

श्री डी०पी० जदेजा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड भोपाल से टर्बाइन और ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए गुजरात सरकार को बाध्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके क्या कारण बताये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) और (ख) विदेशी मुद्रा बचाने तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए टर्बाइनों और जनित्रों जैसे उत्पादन संयंत्र के आयात पर पाबंदी लगाई हुई है। सभी राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता हैवी इलैक्ट्रीकल (इंडिया) लिमिटेड भोपाल जैसे स्वदेशी निर्माताओं से पूरी करने की सलाह दी गई है। ट्रान्सफार्मरों के संबंध में हैवी इलैक्टरीकल्स (इंडिया) लिमिटेड विद्युत प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने में अन्य स्वदेशी निर्माताओं के साथ मुकाबला करते हैं। केन्द्रीय सरकार केवल हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड से ही क्रय करने पर बल नहीं दे रही हैं।

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने की स्थापना

1160. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच इस बारे में कोई निर्णय ले लिया है कि राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना किस स्थान पर लगाया जायेगा ।

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा सुझाए गये विभिन्न स्थानों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसयान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) पाइराइटस तथा राक फास्फेट जैसे मूल कच्चे माल की लाभप्रद उपलब्धी तथा आवश्यक सुविधाओं, जिनके बारे में अध्ययन किये जा रहे हैं, पर निश्चित ब्यौरे प्राप्त हो जाने पर इस विषय पर निर्णय लिया जायेगा । मैसर्ज आर टी जैड, कन्सल्टेन्टस, ने सलाहीपुर के पाइराइटस भंडारों पर संभाव्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह मैसर्ज पाइराइटस/फास्फेटस एण्ड कैमिकल्स जिन्हें इन खानों के समुपयोजन का काम सौंपा गया है के विचाराधीन है । राजस्थान के राक-फास्फेट भंडारों पर विश्व बैंक की संभाव्य रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

थीन बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

1162. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थीन बांध का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व वहां से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में राज्य द्वारा योगदान देने के सम्बन्ध में बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और पुनर्वास हेतु इस परियोजना के लिए क्या केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) और (ख) थीन बांध परियोजना पर विचार-विमर्श करने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हाल ही में हुई थी जहां अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना द्वारा विस्थापित किए जाने वाले लोगों के पुनर्वास के प्रश्न पर विचार किया गया था । यह स्वीकार किया गया था कि विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास का कार्यभार सभी लाभान्वित राज्यों द्वारा, प्रत्येक को मिलने वाले सिंचाई और विद्युत लाभों के अनुसार वहन किया जायेगा ।

किसी रेलवे लाइन को अलाभकर मानने का मापदण्ड

1163. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ शाखा रेलवे लाइनों को बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि उन्हें अलाभकर समझा जाता है तथा उन राज्यों से इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया है जहां ये शाखा रेलवे लाइनें हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे शाखा रेलवे लाइनें कौन सी हैं जो अलाभकर हैं तथा जिन्हें बन्द किया जाना है; और

(ग) क्या किसी विशेष शाखा रेलवे लाइन को अलाभकर बताते हुए मण्डल मुख्यालय के रख रखाव पर होने वाले ऊपरी खर्च पर सानुपातिक विचार किया जाता है और यदि नहीं तो रेलवे लाइन को अलाभकर घोषित करने का माप दण्ड क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) और (ख) जिन तीन अलाभकारी शाखा लाइनों को बन्द करने का विचार किया जा रहा है और जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए लिखा गया है, के नाम हैं पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की लाटागुडी-रामशाई, पश्चिम रेलवे की कुंकावाव-डेरडी और मध्य रेलवे की ग्वालियर-

शिवपुरी शाखा लाइन। लाटागुडी-रामशाई लाइन के सम्बन्ध में अलाभकारी शाखा लाइन समिति ने लिखा है कि इस लाइन का कोई उपयोग नहीं है। कुकावाव-डेरडी लाइन के बारे में उक्त समिति ने यह बताया है कि इस लाइन को जनता को असुविधा पहुंचाये बिना बन्द किया जा सकता है। ग्वालियर-शिवपुरी लाइन को बन्द करने के प्रश्न पर, इस शाखा के समानान्तर चलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के प्रस्ताव के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है।

(ग) किसी शाखा लाइन की वित्तीय सक्षमता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जाता है:-

(1) शाखा लाइन विशेष की आमदनी।

(2) मार्ग छोटा हो जाने या यातायात परावर्तन के फलस्वरूप जो भी हानि होती हो उसे घटाकर शाखा लाइन के कारण मुख्य लाइन को होने वाली अतिरिक्त आमदनी।

(3) शाखा लाइन विशेष पर आने वाला खर्च।

(4) मुख्य लाइन पर उत्पन्न यातायात की ढुलाई के लिए अतिरिक्त खर्च। लेकिन उन शाखा लाइनों के मामले में जिनकी लम्बाई 30 मील (48 किलोमीटर) से अधिक हो, मूल रेलवे के प्रशासनिक खर्च का एक अंश भी विचार करते समय शामिल कर लिया जाता है। यह रकम सुनिश्चित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उस शाखा लाइन पर कितना यातायात हो रहा है।

बम्बई में गहरे समुद्र में तटदूर छिद्रण कार्य में विलम्ब

1164. डा० रानेन सेन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी फर्म मित्सुविशि द्वारा चलता फिरता प्लेटफार्म समय पर सप्लाई न किये जाने के कारण बम्बई में गहरे समुद्र में तटदूर छिद्रण कार्यक्रम में विलम्ब हो गया है;

(ख) क्या प्लेटफार्म की सप्लाई होने में अभी और विलम्ब होने की सम्भावना है क्या बम्बई में गहरे समुन्द्र में तटदूर क्षिद्रण कार्य आरम्भ करने में हुए विलम्ब से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बहुत धनराशि की हानि उठानी पड़ी है;

(ग) क्या इस विलम्ब की निकटवर्ती क्षेत्रों में तटदूर छिद्रण सम्बन्धी अन्य प्रस्तावित कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिस से बम्बई में गहरे समुन्द्र में तटदूर छिद्रण कार्यक्रम आरम्भ करने में और विलम्ब न हो ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) "बम्बई बोर्ड" और स्वम्भात की खाड़ी के साथ संलग्न अरब सागर में अन्य संरचनाओं पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्वेशी व्यधन के कार्यक्रम के निष्पादन में उस सीमा तक देरी होगी जिस समय तक जापान की मित्रसुविशी फर्म से स्वत: प्रणोदित जैक-अप व्यधन पोत (अर्थात सागर सम्राट) की प्राप्ति में देरी होगी। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सभी प्रारम्भिक कार्यवाहियां एवं आरम्भिक उपायों को पूरा कर लिया था ताकि मित्रसुविशी के साथ हुए समझोते के अनुसार जापान में "सागर सम्राट की यथा समय सपुर्दगी से पूर्व शोर बेस स्पोर्ट के निर्माण प्राप्ति आदि सहित 'बम्बई हाई' क्षेत्र में जनवरी, 1973 तक व्यधन कार्य शुरू किया जा सके। अत: "सागर सम्राट की देरी से प्राप्ति की प्रतीक्षा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को परियोजना के ढांचे को बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप में कुछ व्यय करना पड़ा है। सागर सम्राट द्वारा इस समय कई परीक्षण किये जा रहे हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों के परामर्श से तथा उनकी सहायता से समुद्री परीक्षणों के परिणामों का सतर्कता से अवलोकन एवं जांच कर रहा है और पिछली समस्याओं को हल करने तथा सागर सम्राट के शीघ्रता से प्रेषण करने के लिए आयोग जापान की मितसुबिसी के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

पश्चिम बंगाल की डेल्टा सुन्दरवन परियोजना

1166. डा० रानेन सेन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खारे पानी से भूमि से एक बड़े क्षेत्र को स्थायी रूप में जलमग्न रहने से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को डेल्टा सुन्दरवन परियोजना को अनुमोदन देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) परियोजना का कार्य कब से आरम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):(क) से (ग) सुन्दरबन डेल्टा परियोजना एक बहुत बड़ी और संशिलस्ट परियोजना है । अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केवल प्रारम्भिक अनुसंधान कार्य ही किया गया है । उन्हें सलाह दी गई है कि विस्तृत अनुसंधान कार्य करें और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

जामनगर-बेदी रेल लाइन पर दुर्घटनाएं

1167. श्री डी० पी० जदेजा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामनगर—बेदी रेल लाइन पर गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी दुर्घनाएं हुई ; और

(ख) इन में कितने व्यक्ति मारे गये तथा उनके सम्बन्धियों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जामनगर–बेदी लाइन पर टक्कर, पटरी से उतरने, समपार पर दुर्घटनाएं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों के अन्तर्गत हुई गाड़ी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वर्ष-वार स्थिति नीचे बतायी गयी है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1969–70	कोई नहीं
1970–71	कोई नहीं
1971–72	(समपार की दुर्घटना)
1972–73 (जनवरी 73 तक)	कोई नहीं

(ख) इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति मारे गये । क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं थी इस लिए उसका भुगतान नहीं किया गया । ये तीन व्यक्ति सड़क वाहन से यात्रा कर रहे थे ।

गुजरात तेल-शोधक कारखाने का विस्तार

1168. श्री डी० पी० जदेजा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां, इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) कोयाली शोधनशाला के विस्तार पर भारतीय तेल निगम द्वारा तैयार सम्भाव्य रिपोर्ट में 7.67 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा को मिलाकर 28.08 करोड़ रुपये की लागत पर शोधनशाला की क्षमता का 7.3 मिलियन मीटरी टन तक विस्तार करने का विचार है ।

जोड़े जाने वाले प्रस्तावित प्रमुख एकक निम्नलिखित है :—

(1) एक नया डिस्टीलेशन यूनिट ।

(2) दो विद्युत डीसाल्टर्स;

(3) एल०पी०जी० नैफ्था मेरोक्स शोधन यूनिट ;

(4) नैफ्था पूर्व शोधक;

(5) मिट्टी के तेल मेरोक्स शोधन यूनिट ;

(6) बिटूमैन और लाईट डीजल तेल के उत्पादन के लिये एक वैक्यूम कालम;

(7) एक बिटूमैन यूनिट; और

(8) एक विसब्रेकर ।

विस्तार में कच्चे तेल के अतिरिक्त आयातित तेल के शोधन का विचार है । आयातित तेल कच्छ की खाड़ी में एक अतटीय टर्मिनल पर प्राप्त करके एक पाईप लाईन द्वारा कोयाली ले जाया जायेगा । आयातित तेल को मथुरा ले जाने वाली मुख्य लाईन से कोयाली तक एक ब्रांच लाईन निकालने का प्रस्ताव है । कोयाली तक ब्रांच लाईन पर 8.25 करोड़ रुपयें की लागत का अनुमान है ।

साबुन उद्योग में प्रयोग के लिए डिटरजेंट एलकाइलेट का निर्माण

1169. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या साबुन उद्योग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सिंथैटिक डिटरजेंट के निर्माण में डिटरजैंट एकाईरेट इस्तेमाल किया जाता है । और पोलिस्टर स्टेपेल फाइबर और फिलामेंट यार्न के निर्माण में एथीलीन ग्लाइकोल इस्तेमाल होता है;

(ख) क्या इनके आयात पर भारी धनराशि व्यय की जा रही है क्योंकि उन का भारत में निर्माण नहीं होता और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष वार इसके आयात पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ग) उनके देश में निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) गत तीन वर्षों में किये गये आयात का मूल्य इस प्रकार हैं :

(लाख रुपयों में)

	1969-70	1970-71	1971-72
डेटरजेन्ट एलकाइलेट (एलकाइल वेन्जीन तथा डोडेसाइल वेन्जीन)	68.24	104.25	159.57
ईथाइलीन गलाइकोल	13.22	9.13	13.18

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 10,000 मीटरी टन ईथाइलीन गलाइकोल की क्षमता का एक यूनिट पहले से ही है । भारतीय पैट्रो-रसायन निगम गुजरात में नेफ्था क्रेकर के अनुप्रवाही यूनिट के रूप में प्रतिवर्ष 20,000 मीटरी टन का संयंत्र स्थापित कर रहा है ।

भारतीय पैट्रो-रसायन निगम गुजरात में नेफ्था क्रेकर के अनुप्रवाही यूनिट के रूप में प्रतिवर्ष 30,000 मीटरी टन का डेटरजेन्ट एल्काइलेट यूनिट भी स्थापित कर रहा है । सरकारी क्षेत्र के इन दोनों संयंत्रों के 1975 में चालू हो जाने की आशा है ।

धनबाद रेलवे स्टेशन से पाटलीपुत्र एक्सप्रैस के छूटने के समय में परिवर्तन

1170. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि धनबाद के बहुत से यात्री पाटलीपुत्र एक्सप्रैस को पकड़ नहीं पाते क्योंकि यह गाड़ी वहां से बहुत तड़के की प्रातः लगभग पांच बजे चल पड़ती है और उन यात्रियों को विवश होकर बसों अथवा टैक्सियों द्वारा अपनी यात्रा करनी पड़ती है ।

(ख) क्या धनबाद से पटना तक इस गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम होती है, और यदि नहीं तो उन यात्रियों की औसत संख्या कितनी है; और

(ग) इस विचार से क्या पाटलीपुत्र एक्सप्रैस के धनबाद से चलने के समय में एक अथवा डेढ़ घंटे की वृद्धि करने का विचार है ताकि झरिया, धनबाद कर्कन्द तथा कटरास के यात्री इस गाड़ी को पकड़ सकें ।

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं, रास्ते के विभिन्न खण्डों पर 25 अप/26 डाउन पटलीपुत्र एक्सप्रैस का उपयोग 39% से 116% तक होता रहा है ।

(ग) पटना जंक्शन पर गाड़ी को प्लेटफार्म पर लेने की कठिनाइयों के कारण इस समय 25 अप के छूटने का समय एक या डेढ़ घंटा सरकाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

रेल वैगनों की मांग और सप्लाई

1171. श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक रेलों में वैगनों की अत्याधिक कमी के क्या कारण हैं जिससे माल यातायात पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) वैगनों की वास्तविक मांग और सप्लाई कितनी है और वैगनों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार के समक्ष क्या प्रस्ताव है;

(ग) गैर-सरकरी क्षेत्र से वैगन प्राप्त करने के मामले में रेलवे को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) रेलवे वर्कशापों में वैगनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) क्षेत्रीय रेलवे में माल-डिब्बों की अत्यन्त कमी का मुख्य कारण यह था कि देश के विभिन्न भागों में आन्दोलनों और गाड़ियों के संचालन में हस्तक्षेप के कारण बहुत बढ़ी संख्या में माल डिब्बे रुके रहे । गर्मी के महीनों में पूर्वी क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती कुछ उपायोगकर्त्ताओं द्वारा माल डिब्बों को रोक रखने, अगस्त में पश्चिम रेलवे में लाइनों की टूट-फूट और सितम्बर में दक्षिण रेलवे में लोको कर्मचारियों की हड़ताल का भी संचलन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा और मालडिब्बों की उपलब्धता घट गयी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–4296/73]** जिसमें माल डिब्बों की मांग और सप्लाई की स्थिति बतायी गयी है माल डिब्बों का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :--

(1) माल डिब्बों के लिए आर्डर काफी समय पहले दिये जाते हैं ।

(2) देशी साधनों से उपलब्ध इस्पात और पहियों के सेटों की कमी को रेल प्रशासन, बढ़े हुए उत्पादन की पूर्ति के लिए, आयात द्वारा पूरा करते हैं ।

(3) सेण्टर बफर कपलर, रोलर वियरिंग धुरा बक्से, आदि माल डिब्बों के महत्वपूर्ण पुर्जों की, उत्पादन के अनुरूप पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है ।

(4) रेल कारखानों में माल डिब्बों के उत्पादन के लक्ष्य बढ़ा दिये गये हैं ।

(ग) निजी क्षेत्र से माल डिब्बे प्राप्त करने के मामले में रेलों को जिस मुख्य कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसका कारण यह है कि निजी क्षेत्र में माल डिब्बे का उत्पादन उत्तरोत्तर घट रहा है । पहले निजी क्षेत्र में रेलों के लिए मालडिब्बे बनाने वाली 16 फर्में थीं । इनमें से तीन बन्द हो चुकी है और अन्य पांच में उत्पादन असन्तोषजनक रहा है । उत्पादन बढ़ाने के लिए रेलें माल डिब्बा निर्माताओं को हर सम्भव सहायता दे रही हैं।

(घ) रेल कारखानों में माल डिब्बों के निर्माण के काम को तीन यूनिटों में युक्तियुक्त ढंग से बाँट दिया गया है । ये यूनिट हैं—उत्तर रेलवे का अमृतसर कारखाना, दक्षिण रेलवे का गोल्डन राक कारखाना और पूर्वोत्तर रेलवे का समस्तीपुर कारखाना । अन्य रेल कारखानों में माल डिब्बे बनाने का काम शुरू करने का कोई विचार नहीं है । तथापि, इन तीन कारखानों में उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाकर 1973-74 में चौपहिया डिब्बों के हिसाब से, 4000 माल डिब्बे किया जा रहा है ।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना के लिए त्रिपुरा को बिजली की आवश्यकता

1172. श्री वीरेन दत्त : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा को कुल कितनी बिजली की आवश्यकता होगी;

(ख) इसमें से कितनी गुमती पनबिजली परियोजना तथा कितनी आसाम ग्रिड से पूरी की जायेगी;

(ग) क्या त्रिपुरा में समेकित गुमती असाम स्रोत से बिजली की सप्लाई की कोई सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में त्रिपुरा की कुल विद्युत आवश्यकता लगभग 20 मेगावाट हो जाने की संभावना है ।

(ख) गुमती जल विद्युत परियोजना से लगभग 4 मेगावाट से 5 मेगावाट अधिकतम की मांग को पूरा करने की संभावना है और असम राज्य बिजली बोर्ड के पांचवीं योजना के अंत में लगभग 14 मेगावाट विद्युत सप्लाई करने की संभावना है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यह आशा की जाती है कि गुमती विद्युत और असम थोक विद्युत के स्रोत को आपस में जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय पारेषण लाइन 1974-75 तक पूर्ण हो जाएगी ।

त्रिपुरा में छिद्रण कार्य

1173. श्री वीरेन दत्त: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अगले पांच वर्षों में तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिये छः अन्य स्थानों पर छिद्रण कार्य करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) देश में अपने परिचालनों के सघनीकरण के अंग के रूप में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आने वाले वर्षों में त्रिपुरा में तेल अन्वेषण क्रियाओं को भी बढ़ाने का विचार कर रहा है । इस विस्तार के आकार पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है और न ही संक्षिप्त लागत अनुमान लगाये गये हैं ।

डीजल कर्मचारियों द्वारा मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर, पूर्वोत्तर सीमांत, रेलवे को दिया गया ज्ञापन

1174. श्री वीरेन दत्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल कर्मचारियों ने 7 अक्तूबर, 1972 को मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ख) उस पर अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, मालीगांव स्थित रेल कर्मचारियों की गैर मान्यता प्राप्त संयुक्त समिति का संयोजक होने का दावा करने वाले एक क्लर्क ने 7-10-72 को मुख्य यांत्रिक इंजीनियर को एक ज्ञापन दिया था ।

(ख) ज्ञापन में उल्लिखित जैसे मुददे समय-समय पर मान्यताप्राप्त श्रमिकों संगठनों द्वारा उठाये जाते हैं और आमतौर पर विभिन्न स्तरों पर वार्तातंत्र की बैठकों में बातचीत के जरिये तय किये जाते हैं ।

रूसी विशेषज्ञों के परामर्श के पश्चात बारामूरा (त्रिपुरा) में छिद्रण कार्य पुनः आरम्भ किया जाना

1175. श्री बीरेन दत्त: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारामुरा (त्रिपुरा) में छिद्रण कार्य को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या दिसंबर, 1972 और जनवरी, 1973 में रूसी विशेषज्ञ वहां पर गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त होने के पश्चात छिद्रणकार्य पुनः आरंभ कर दिया गया है; और

(घ) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क), (ग) और (घ) 19 दिसम्बर, 1972 को जब बारामूला में कुआं नं0 1 में 1500 मीटर तक गहराई पहुंची थी ड्रिल स्ट्रिंज फंस गई परन्तु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तकनीकीविदों के प्रयत्नों के फलस्वरूप ड्रिल स्ट्रिंज छुड़ाई गई और जनवरी 1973 तक कुआं साफ हो गया। तब से लेकर 14 3/4' केसिंग खुदाई के पुनः आरम्भ करने से पूर्व कुएं में उतारी गई है और कुछ अन्य क्रियाएं, जो आवश्यक समझी जाती हैं भी पूरी की जा रही हैं।

(ख) जी हां।

Major and Medium Inter-State Irrigation Projects in M. P.

1176. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) the names of major and medium irrigation projects of Madhya Pradesh on which the Central Government have taken final decision and the names of the projects under consideration of the Central Government as also the names of the projects pending consideration due to dispute among the concerned State Governments; and

(b) the time by which final decision is expected to be taken on all the projects, separately?

Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) & (b) Sind and Rangwan canal medium irrigation projects have been accepted. The Pairi project has been considered acceptable by the Advisory Committee of the Planning Commission.

The Hasdeo (Bango) major project is under examination.

Bargi, Narmadasagar and Sukta major projects and Bichhia tank medium project & have been held up on account of the Narmada dispute. It is expected that all the differences amongst the States will be settled soon.

It is also expected that a settlement will be reached amongst the States on the Sone waters soon, where after the clearance of Bansagar major project can be considered.

The upper Wainganga major project and the Nahlesara and Waghya nala medium projects are located in the Godavari basin and their consideration would have to await the award of the Godavari Tribunal.

Reduction in Supplying of Wagons for Transportation of Wheat and Maize in Rajasthan

1177. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the quota of 16 thousand tonnes of wheat and 20 thousand tonnes of maize out of the share of Rajasthan State due from the Centre has lapsed due to shortage of Railway wagons while famine conditions prevail everywhere in the State; and

(b) if so, the reasons for reducing the number of Railway wagons in the famine affected areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Not to the knowledge of this Ministry.

(b) Does not arise. The programme for movement of wheat and maize made by Food Corporation of India for Rajasthan had been met in full in December 1972 and January 1973.

राजस्थान में कोटा जंक्शन और चित्तौड़गढ़ जंक्शन के बीच बूंदी जिला होकर रेल संपर्क

1178. श्री लालजी भाई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा जंक्शन को बरास्ता बूंदी जिला चित्तौड़गढ़ जंक्शन से मिलाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Starting of Chetak Express from Sarai Rohilla

1179. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the reasons why Udaipur Delhi Chetak Express starts from and terminates at Sarai Rohilla stations ; and

(b) the reasons why it cannot be started from and terminated at Delhi in the interest of the passengers?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) For want of requisite terminal facilities at Delhi Main station, it is not operationally feasible to extend 15 Up/16 Dn Chetak Express to and from Delhi Main.

हुबली और मारवाड़ के बीच ब्राड गेज लाइन

1180. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली और मारवाड़ के बीच ब्राड गेज लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे तात्कालिक अभाव कार्य के रूप में लेने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) सर्वेक्षण संबंधी काम पूरे हो चुके हैं और रिपोर्टों की प्रतीक्षा है ।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच पूरी हो जाने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के संबंध में कोई विनिश्चय किया जा सकेगा ।

दिल्ली डिविजन (उत्तर रेलवे) के कुछ स्टेशनों पर भर्ती सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों को टिकट कलक्टरों के रूप में नियुक्त करना

1181. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या रेल मंत्री दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के कुछ स्टेशनों पर गैर योग्यता प्राप्त टिकट कलक्टरों की नियुक्ति के बारे में 4 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1919 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयन संबंधी कार्यवाही को अब अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भर्ती सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की अभी तक नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी हां, 29-11-72 को 22 व्यक्तियों के एक अनन्तिम पैनेल की घोषणा की गयी थी ।

(ख) पैनेल में रखे गये 22 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों को पहले ही आवश्यक प्रशिक्षण के बाद चालू पदों पर नियुक्त कर दिया गया है और शेष व्यक्तियों को भी अपेक्षित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद शीघ्र ही नियुक्त कर दिया जायेगा ।

Criteria Adopted in Introducing a Shuttle Train on a Section :

1182. Dr. Laxminarayan Pandaya: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the criteria adopted by Government in regard to introduction of shuttle trains in addition to the normal trains on a section;

(b) the names of places in Madhya Pradesh (Western Railway where demands for running new trains or shuttle trains have been made; and

(c) the reaction of Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The introduction of shuttle trains is generally decided on the basis of offering of traffic in train-loads on a section which cannot be normally cleared by existing train services, subject to the availability of line capacity, terminal facilities, rolling stock etc.

(b) (i) Guna-Bina (Broad Gauge).

(ii) Khandwa-Mhow/Indore (Metre Gauge) and additional express train between Khandwa-Ajmer.

(c) Introduction of an additional train on the Guna-Bina section is at present operationally not feasible for want of requisite terminal facilities at Guna. Introduction of an additional train on Khandwa-Mhow/Indore and Khandwa-Ajmer section is neither justified on traffic considerations nor operationally feasible due to lack of adequate line capacity enroute.

Authenticated Hindi Translation of Acts.

1183. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Acts whose authenticated Hindi translation has been prepared during the last three years; and

(b) the number of Acts which have been translated into other languages?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) During the period 1st January, 1970 to the 31st December, 1972, translations of 115 Central Acts have been published in the Officials Gazette under the authority of the President under section 5(1)(a) of the Official Languages Act, 1963. During the above period 127 Central Acts (4 in Assammese, 16 in Gujarati, 8 in Marathi, 56 in Oriya and 43 in Urdu) have been translated into other languages.

राज्यों में रेल परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए शर्त लगाना

1184. श्री ई०बी० चिखे पाटिल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों में नई रेल परियोजनाएं आरम्भ करने से पूर्व कोई शर्त लगा दी है जहां से इस कार्य के लिये अनुरोध प्राप्त होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को आरम्भ करने से पूर्व क्या शर्त लगाई गई है; और

(ग) क्या किसी राज्य ने अब तक इस शर्त को माना है और यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) और (ख) विकास के प्रयोजन से अपेक्षित नयी रेलवे लाइनों के निर्माण पर निम्नलिखित आधार पर एक नए दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है, जिसका संकेत 20 फरवरी, 1973 को 1973-74 के लिये रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय रेल मंत्री ने अपने भाषण के पैरा 41 में किया है :—

(1) लाइन के निर्माण की अवधि में और उसके पूरी हो जाने तथा यातायात के लिए खुल जाने के बाद कुछ निर्दिष्ट वर्षों तक सामान्य राजस्व को लाभांश की दायिता से पूर्ण या आंशिक छूट;

(2) भूमि देकर और निर्माण-कार्य के लिये निःशुल्क श्रम की व्यवस्था करके निर्माण की लागत कम करने में राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारियों का सहयोग ;

(3) नव-निर्मित लाइन के लिये लागू किराये और माल भाड़े के ढांचे में उपयुक्त ऊर्ध्वगामी समायोजन जिसे आम भाषा में 'प्रभार्य मील दूरी में स्फीति' कहा जाता है; और

(4) विभिन्न आधार पर मालभाड़ा लगाना ताकि मानक किराये और भाड़े की अधिक-दूरी कम-किराया वाली संरचना के विरुद्ध संतुलन बनाया जा सके ।

पहले कुछ विशिष्ट मामलों में यह सुझाव आया था कि राज्य सरकारें निःशुल्क जमीन उपलब्ध करें; अपने महत्वपूर्ण सड़क-पारों पर लाइन के ऊपर/नीचे पुल बनाने का आग्रह किये बिना प्रारम्भ में समपारों के निर्माण की अनुमति दें; और रेलों से अलाभकर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिये सड़क परिवहन को नियमित करें आदि ।

(ग) इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ पत्राचार हो रहा है । इस समय विचाराधीन नये दृष्टिकोण से आगे जो मुद्दे उठ रहे हैं उन पर अभी कार्रवाई करनी है ।

देश में उपकरण निर्माताओं द्वारा विद्युत परियोजनाओं को उपकरणों की सप्लाई

1185. श्री ई०बी० विखे पाटिल: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपकरण निर्माताओं द्वारा समय पर उपकरणों की सप्लाई न करने के कारण केन्द्र द्वारा प्रायोजित कतिपय बड़ी विद्युत परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी सम्भारकों को दण्ड दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) देशीय निर्माताओं द्वारा बृहत संयंत्र और उपस्कर की समय पर सप्लाई न करने के कारण, जो उनकी क्षमता से बाहर थे बदरपुर ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन में कुछ देर हुई है ।

(ख) और (ग) उपस्कर की सप्लाई में देरी या उपस्कर के सप्लाई न करने के लिये जुर्माना लगाने के लिए ठेकों में कोई प्रावधान नहीं है । ठेकों में केवल निर्धारित हानियों का प्रावधान किया गया है जिसको तब लागू किया जाता है जबकि उपस्कर के सप्लाई न करने/देर से सप्लाई करने के कारण परियोजना को काफी हदतक हानियां उठानी पड़ती हैं ।

उड़ीसा में रेंगाली बाढ़ नियंत्रण परियोजना

1186. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 और 1973-74 में केन्द्रीय सरकार तथा उड़ीसा सरकार ने रेंगाली बाढ़ नियंत्रण परियोजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की है ; और

(ख) परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि रंगाली परियोजना के लिये प्रारम्भिक कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए अपने अनुपूरक बजट में 1972-73 के लिये एक करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। 1973-74 के लिये 4.75 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है।

योजना आयोग द्वारा परियोजना स्वीकृत होने के पश्चात केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ख) रंगाली परियोजना में 4900 मिलियन घन मीटर (4 मिलियन एकड़ फुट) की एक सकल संचय क्षमता के साथ बांध का निर्माण परिकल्पित है जिस को बाढ़ नियंत्रण और 100% भार अनुपात पर 60 मिलियन वाटस की विद्युत उत्पादन के लिए समुपयोजित किया जाएगा। बांध की अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपये है।

बांध के अनुप्रवाह में ब्राह्मणी पर वर्तमान तटबंधों को ऊंचा और सुदृढ़ किया जाना तथा बांध से बीच के दर्जे की बाढ़ के जल निकासों के लिये प्रावधान रखने हेतु जहां पर आवश्यक हो नए तटबंधों का निर्माण करना प्रस्तावित है। तटबंध-स्कीम की अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपये है।

समग्र स्कीम से लगभग 1.4 लाख हैक्टेयर (3.56 लाख एकड़) क्षेत्र को और 9 लाख की जनसंख्या को लाभ होने की प्रत्याशा है।

उड़ीसा में भीमकुण्ड परियोजना

1187. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भीमकुण्ड परियोजना को पूरी तरह केन्द्रीय परियोजना बनाने के लिये राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) इस परियोजना का कार्य आरम्भ करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या इस परियोजन के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई राशि रखी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) भीम कुण्ड परियोजना योजना आयोग द्वारा अभी कार्यान्वयनार्थ स्वीकृत होनी है। योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये केन्द्र ने स्कीम की जांच अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि उड़ीसा सरकार से कुछ अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना पर प्रारंभिक कार्य आरम्भ कर दिए गये हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार ने कहा है कि अनुपूरक बजट में 1972-73 के लिये 1 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। केन्द्र ने अभी तक परियोजना के लिये कोई धनराशि मुक्त नहीं की है क्योंकि इस पर परियोजना की स्वीकृति के पश्चात विचार किया जाना है।

उड़ीसा में तल्चर उर्वरक परियोजना का निर्माण

1188. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तल्चर उर्वरक परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है और क्या मूल प्राक्कलनों को पुनरीक्षित किया गया है और यदि हां तो पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिये कितना समय निश्चित किया गया है और क्या इसके निर्धारित समय के अन्दर ही पूरा किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) तालचर उर्वरक कारखाने में डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्य का मुख्य भाग संयंत्र की मुख्य इमारत के सिविल निर्माण कार्य का लगभग 43 प्रतिशत भाग मुकम्मल हो गया है । संयंत्र के लगभग 94 प्रतिशत भाग के लिये आदेश दिये जा चुके हैं जिस में से अब तक लगभग 13 प्रतिशत स्थल पर प्राप्त हो गया है । देशीय संसाधनों से प्राप्त किये जाने वाले उपकरणों के लगभग 78 प्रतिशत के लिये आदेश दे दिये गये हैं । मुख्य संयंत्र के यूरिया संयंत्र में लगभग 40 प्रतिशत बुनियादी कार्य मुकम्मल हो गया है । मैसर्स नेशनल कोल डैवेलपमेन्ट कारपोरेशन (एन०सी०डी०सी०) द्वारा की जाने वाली कोयले की सप्लाई तथा उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाने वाली बिजली की सप्लाई के लिऐ ठेकों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । कच्चे पानी की लाइनें बिछाने के लिये राज्य सरकार ने ठेका दे दिया है ; पम्पिंग स्टेशन तथा पाइपलाइन की रूप रेखा को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) 31-12-72 तक इस परियोजना पर 1623 लाख रुपये का कुल खर्च हुआ था । प्रारंभ में इन परियोजना पर 7049.26 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान था; अप्रैल 1971 में ये अनुमान बदल कर 9459.75 लाख रुपये कर दिये गये थे ।

(ग) निर्माण कार्य के मुकम्मल किये जाने का प्रारंभिक कार्यक्रम जनवरी 1975 था । निर्माण कार्य के मुकम्मल होने में लगभग 6 महीनों का विलम्ब हो जाने की आशा है । संयंत्र तथा मशीनों के लिये विदेशी ऋणों को जुटा पाने में लगा समय इस का मुख्य कारण है ।

नंगल उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता

1189. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल उर्वरक कारखाने की अधिकतम उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इसका वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उत्पादन तकनीकी को इलक्ट्रोफिसिस से ईंधन तेल के प्रयोग में बदलने के लिये विशेषज्ञों को परामर्श लेने का है और यदि हां, तो उस पर अनुमानित कितना व्यय आयेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) (i) स्थापित क्षमता 79,500 मीटरी टन प्रति वर्ष नाइट्रोजन

(ii) पुर्वानुमानित उत्पादन 1972-73 में : 53,400 मीटरी टन नाइट्रोजन

(ख) सरकार ने नांगल विस्तार प्रायोजना को ईंधन तेल सम्भरण के आधार पर कार्यान्वयन करने का निर्णय किया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वित हो जाने पर, वर्तमान यूनिट की बिजली की आवश्यकताओं में पर्याप्त कमी हो जाएगी। प्रायोजना पर लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें लगभग 39 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अंश सम्मिलिति है ।

उत्तर प्रदेश में बिड़ला बंधुओं को वाणिज्यिक दरों पर बिजली की सप्लाई

1190. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1959 में बिड़ला बन्धुओं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए करार को अपनी अनुमति दे दी थी जिसके अंतर्गत मिर्जापुर स्थित उनके कारखाने को 25 वर्ष तक 55 मैगावाट बिजली उस दर पर सप्लाई की जायेगी जो उत्पादन लागत से भी कम है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार का पाठ क्या है और अनुमति किन आधारों पर दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को यह परामर्श देने का है कि वह इस करार को समाप्त कर दे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा):(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी फार्मस्यूटिकल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

1191. श्री ज्योतिर्मय वसु :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार प्रत्येक विदेशी फार्मस्यूटिकल कम्पनी की प्रदत्त पूंजी, उत्पादन, और कुल लाभ कितना था ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार प्रत्येक कम्पनी ने प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कितना रुपया बाहर भेजा; और

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक हित में इन विदेशी फार्मस्यूटिकल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) एक विवरण पत्र जिसमें 50% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली औषधों तथा फार्मास्यूटिकलस का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निर्माण करने वाली फर्मों जैसा कि कम्पनियों ने बताया है की गत तीन वर्षों के दौरान अभिव्रत्त पूंजी, बिक्री, करों को मिलाकर शुद्ध लाभ तथा विदेशों में भेजे गये धन का उल्लेख है संलग्न, है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—4297/73]**

(ग) जी नहीं । यूनिटों की बड़ी संख्या उनके परिचालनों के परिसार आदि पर विचार करते हुए, सरकार औषध उद्योग अथवा विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं समझती । 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत अनुसूची 'बी' उद्योग होने के कारण दोनों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है ।

भारतीय औषध उद्योग में विदेशी प्राद्योगिकी

1192. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेंटर फार स्टडीज इन साइन्स पालिसी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के श्री बी०बी० रंगाराव द्वारा लिखित फारेन टैक्नालिजी इन इंडियन फारमेंस्यूटिकल इंडस्ट्री नामक लेख जो 11 दिसम्बर, 1972 और 13 दिसम्बर, 1972 को नई दिल्ली में (इंटरनेशनल सैमिनार आन टैक्नालाजी ट्रान्सर) में पढ़ा गया था ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस लेख का गहन अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की टिप्पणियां क्या हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):(क) जी हां ।

(ख) इस लेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) यद्यपि इस उद्योग के विकास के प्रारम्भिक चरणों में, भारत में प्रपुंज औषधियों, जिन पर सूत्रयोग आधारित थे, के भौतिक विनिर्माण को प्रारम्भ करने में कुछ समय का विलम्ब था; इन औषधियों को सरकार द्वारा अपनाए गए उत्तरोत्तर उपायों के माध्यम से हाथ में लिया गया है । पपुंज औषधियों के विनिर्माण के लिये अपेक्षित कच्चे माल के लिये आयात प्रार्थना-पत्रों की जांच करते समय, पर्याप्त सावधानी बरती गई है ताकि स्थानीय उत्पादन

से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त भारत में विदेशी गौण कम्पनियों द्वारा उनके सहयोगियों को दिए जा रहे अधिक मूल्यों को कम करने के लिये, अधिकाधिक प्रपुंज औषधियों और मध्यवर्ती पदार्थों के आयात को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रद्द किया जा रहा है। 1970 में लागू किए गए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश में मूल्य संरचना में युक्तिकरण-आवश्यक औषधियों के मूल्यों, और औषधियों के मूल्यों (जो गत समय में सामान्यता अधिक रहे) में कमी लाना तथा अन्य वस्तुओं में लाभप्रदता को कम करना निहित है।

भारतीय तथा सरकारी क्षेत्रीय उद्योग के समस्त उत्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय भी अपनाए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में बिजली सप्लाई के गैर सरकारी लाइसेंसों को समाप्त करना

1193. श्री ज्योतिर्मय बसू: : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** 21 नवम्बर, 1972 के पश्चिम बंगाल में बिजली सप्लाई के गैर-सरकारी लाइसेंसों को समाप्त करने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1103 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनपर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस बारे में प्रस्तावित अध्यादेश अथवा विधेयक में सी० ई० एस० सी० सहित सभी गैर-सरकारी बिजली उपक्रमों को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युतमंत्रालम में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से एक अध्यादेश जिससे कि मैनेजमेण्ट आफ प्राइवेट लाइसेंसी अंडरटैकिंग का राष्ट्रीकरण किया जा सके, के प्रख्यापन के संबंध में कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्थित रेलवे लोको रिपेयरिंग शाप में बेकार पड़े संयंत्र और मशीनें

1194. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्थित रेलवे लोको रिपेयरिंग शाप में लाखों रुपये मूल्य के संयंत्र और मशीनें 1966 से बेकार पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कुछ कदम उठाए गये हैं तो वे क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल०एन० मिश्र): (क) और (ख) न्यू जलपाईगुड़ी के रेल इंजन मरम्मत कारखाने में 1966 से कोई मशीन और संयंत्र खाली नहीं रहा है। लगभग 33,000 रुपये की लागत के केवल एक पुराने बिजली प्रेरण टाइप के टायर हीटर को राज्य बिजली बोर्ड से बिजली न मिल पाने के कारण चालू नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार से बिजली मिलते ही बिजली प्रेरण टाइप के टायर हीटर को चालू किर दिया जायेगा।

बड़ौदा के निकट पैट्रो रसायन कारखाना समूह

1195. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन पैट्रो-केमीकल कारपोरेशन द्वारा बड़ोदा के निकट एक पैट्रोरसायन कारखाने की स्थापना किए जाने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस उद्योग समूह की कई परियोजनाओं का कार्य दोषयुक्त योजना और कार्य सम्पादन के कारण समय से पीछे हो रहा है; और

(ग) इन विभिन्न परियोजनाओं के पूरा किए जाने की मूल नियत तिथि क्या थी और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) एरोमैटिकस परियोजना का डी० एम० टी० यूनिट यन्त्रवत मुकम्मल किया गया है और इसके चालू होने के पूर्व परीक्षण आरंभ हो गये है। परीक्षण उत्पादन के मार्च, 1973 तक शुरू होने की आशा है। एरोमैटिकस परियोजना का जाइलीन्ज भाग कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था में है और मार्च 1973 के अन्त तक यन्त्रवत मुकम्मल किया जायेगा और मई 1973 में परीक्षण उत्पादन के आरम्भ हो जाने की आशा है।

नेफथा क्रैकर की विस्तृत इंजीनियरी इस समय जारी है। मुख्य उपकरणों देशी तथा विदेशी के लिए आदेश दिए गये हैं और सिविल निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

अनुप्रवाही यूनिटों-पोलिप्रोपाइलीन एक्रिलोनिट्राइल, ईथाइलीन गलाइकोल, डिटरजेन्ट एल्किलेट तथा सिन्थैटिक रबर-के लिए विदेशी सहयोग करारों का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है और निगम द्वारा कार्यान्वित किये गये हैं।

पोलिथीलीन तथा एक्राइलिक फाइबर के सहयोग करार सरकार के विचाराधीन हैं और इन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

(ख) और (ग) : सूचना इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	परियोजना	पूरा होने की अनुसूचित तारीख	पूरा होने की अनुमानित तारीख
1.	एरोमैटिक प्रोजेक्ट (डी० एम० टी० यूनिट)	मई, 1972	यन्त्रवत सम्पूरण जनवरी, 1973
2.	एरोमैटिक्स प्रोजेक्ट (जाइलीन्ज यूनिट)	मई, 1972	मार्च, 1973
3	नेफथा क्रैकर	दिसम्बर, 1974	अप्रैल, 1975
4.	अनुप्रवाही यूनिट	जनवरी-जून, 1975	मई-नवम्बर, 1975

निम्नलिखित कारणों से एरोमैटिकस परियोजना में कुछ विलम्ब हो गया है:—

(क) प्रेषण कार्यक्रमों को पूरा करने में देशीय विनिर्माताओं की अयोग्यता। इसका मुख्य कारण यह था कि विनिर्माताओं को आयोजित सयम सूची के भीतर निर्माण के लिए आयातित सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी और कुछ सीमा तक इसका कारण यह भी था कि पैट्रो-रसायन उद्योग के लिए मुख्य उपकरणों का निर्माण उन्होंने पहली बार किया था।

(ख) विश्व मार्किट में निकल तथा इस्पात की कमी और इसके परिणाम स्वरूप इसके आयात में विलम्ब।

(ग) स्थल का निर्माण करने वाले ठेकेदार के व्यक्तियों की हड़ताल। ओलिफिन्ज परियोजना तथा अनुप्रवाही युनिटों की परियोजना सूची में निम्नलिखित कारणों से थोड़ा सा विलम्ब होने की संभावना है :—

प्रारंभिक कार्यक्रम मुख्य इंजीनियरिंग ठेकों के कार्यान्वयन के लिये विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के किसी निश्चित मूल्यांकन पर आधारित था। इन परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा का आयोजित समय सूची के भीतर जुटा पाना संभव नहीं हो सका।

इन दोनों परियोजनाओं तथा समेकित अनुप्रवाही परियोजनाओं का कार्यक्रम तदनुसार पीछे हटाना पड़ा था और वर्तमान मूल्यांकनों के आधार पर मुकम्मल किये जाने की तारीखों का संकेत उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

पटना में गंगा पुल का निर्माण

1196. श्री हरी किशोर सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटना स्थित गंगा-पुल को रेल-व-सड़क पुल बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहमद शफी कुरैशी): (क) और (ख) इस संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस समूचे विषय पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे की ढुलाई क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव

1197. डा० हरि प्रसाद शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की वर्तमान 20 करोड़ 40 लाख टन की ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर अगामी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30 करोड़ टन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का खण्ड-वार सारांश क्या है;

(ख) वार्षिक आवश्यकताओं की तुलना में रेलवे की ढुलाई क्षमता इस समय कितनी कम है; और

(ग) चौथी योजना के अंत तक इस कमी को कहां तक पूरा कर लिये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए यातायात सम्बंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये योजना आयोग के तत्वाधन में रेलवे बोर्ड में कार्यकारी दल का गठन किया गया है । इस दल में विभिन्न उपयोगकर्त्ता मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं । इस कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना के अन्त तक लगभग 3350 मीटरिक टन प्रत्याशित भाड़ा यातायात होने का अनुमान लगाया है । योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही उसके लिए लक्ष्य और अपेक्षित निर्माण कार्य को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(ख) यदि कार्य की सामान्य स्थिति वनी रही तो कुछ नाजुक खण्डों को छोड़कर रेलवे की संचलन क्षमता में कोई कमी नहीं हुई है । इन नाजुक खण्डों में दोहरी लाइन आदि विछाकर लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में पैट्रोल की कमी

1198. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में पैट्रोलियम की गंभीर कमी का अनुभव किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, नई दिल्ली में कितने पैट्रोल-पम्पों पर पैट्रोल का स्टाक खत्म हो गया था और इस कमी के क्या कारण थे; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) दिल्ली में जनवरी महीने के अन्तिम दिनों में विदेशी तेल कम्पनियों के पैट्रोल पम्पों पर मोटर सिपरिट की कमी हो गई थी । इस उत्पाद की कमी आरम्भ में ऐशिया औद्योग मेले आदि के कारण मांग में आशा से अधिक तेजी आ जाने के कारण हुई । दिल्ली में 210 में से 60 पैट्रोल पम्पों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव पड़ा । ज्योंही इसका पता चला अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सप्लाई की गई और स्थिति सामान्य हो चुकी है ।

अधिक सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना का चयन

1199. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिए योजना आयोग ने हाल ही में 20 राष्ट्रीय परियोजनाओं का चयन करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो चुनी गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और क्या उक्त परियोजनाओं का चुनाव करते समय पिछड़े क्षेत्रों तथा वहां के लगातार सूखे की स्थिति से उत्पन्न संकट को मानदण्ड माना गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं से कितने क्षेत्र को लाभ होने की आशा है तथा इनसे प्रत्येक क्षेत्र में अनुमानतः कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) से (ग) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान नहर परियोजना के लिए धन का नियतन

1200. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना के लिए चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य निधियों से वस्तुतः कितने धन का नियतन किया गया है तथा आगामी वर्ष के लिए कितनी राशि नियत करने का विचार है;

(ख) क्या इस परियोजना का पहला चरण निर्धारित समयावधि से पांच वर्ष पीछे है; और

(ग) इस विलम्ब के फलस्वरूप इस परियोजना को लागत में कितनी वृद्धि हो गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा): (क) चालू वर्ष तथा अगले वर्ष के दौरान राजस्थान नहर परियोजना के लिए किए गए/प्रस्तावित केन्द्रीय गैर-सरकारी योजना और राजस्थान राज्य-योजना प्रावधान निम्न प्रकार हैं :—

	केन्द्रीय गैर-योजना सहायता	राज्य योजना प्रावधान
	(करोड़ रुपयों में)	
1972–73	3.50	7.50
1973–74	1.97	11.00

(ख) और (ग): मूलरूप परियोजना केवल लगभग 6.82 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 66 करोड़ रुपये की लागत पर 1957 में स्वीकृत की गई थी। तब से परियोजना में कुछ मुख्य परिवर्तनों जिनमें सिंचाई क्षेत्र में 11.5 लांख हैक्टेयर तक वृद्धि शामिल है, करने का निर्णय किया गया जिससे परियोजना में संशोधन की आवश्यकता हुई। संशोधित परियोजना (1970) पर 208 करोड़ रुपये (119 करोड़ रुपये एक चरण तथा 89 करोड़ रुपये चरण दो के लिए) लागत आने का अनुमान है। परियोजना पर कार्य अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है। चरण-एक का पोंग बांध के समकालिक काफी हद तक 1973-74 में पूर्ण होने की प्रत्याशा है। चरण-दो पर पांचवीं योजना में कार्य शुरू किया जाएगा।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance

आंध्र प्रदेश के सूर्यपेट नगर में विषैली शराब पीने के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ;

"आंध्र प्रदेश के सूर्यपेट नगर में विषैली शराब पीने से कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार"

एक माननीय सदस्य : वक्तव्य परीचलित नहीं किया गया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं समझता हूं कि वकतव्य परीचलित नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि सदन में आने से पूर्व भी मैं टेलीफोन पर तथ्य जानने का प्रयास कर रहा था अन्यथा मैं बक्तव्य परिचलित करवाने के लिए स्वयं बहुत चिंतित था।

श्रीमान, सदन को सूचित करने में मुझे दुःख हो रहा है कि आन्ध्र प्रदेश के सूर्यपेट में जहरीली शराब के प्रयोग के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भारत सरकार को इस मामले में उपलब्ध तथ्य ये हैं कि 15 फरवरी 1973 को सूर्यपेट के एक राजमाल, उत्पादन ठेकेदार ने सरकारी गोदाम से सरकारी अरक की खेप प्राप्त की। यह संदेह है कि अवैध शराब जो जहां गुदम्बा कहलाती है प्राप्त की गई थी और शहर में शराव के छोटे तस्कर व्यापारियों तथा पड़ोस के गांवों में वितरण के लिए उसमें अरक मिलाई गई थी। उस मिश्रण को पीने के परिणामस्वरूप 516 व्यक्ति चिकित्सा के लिए अस्पताल गये। 104 व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया उनमें से 39 मर गए। कुल 72 व्यक्तियों के मरने की रिपोर्ट मिली है।

बीमार व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की गई थी। नलगोण्डा तथा हैदराबाद से सूर्यपेट के लिए डाक्टर तथा दवाईयां भेजी गई। चिकित्सा व स्वास्थ्य निदेशक और जिला चिकित्सा अधिकारी की देख-रेख में चिकित्सा की गई। कलेक्टर, पुलिस निरीषक तथा आवकारी आयुक्त घटनास्थल पर गये। दूषित अरक की प्राप्त के स्रोत की जांच की गई थी। सभी अरक की दूकानों को शील किया गया और रासायनिक जांच के लिए इन दुकानों तथा सरकारी डिपो से नमूने लिए गये हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिए गए हैं। अरक की दुकानों से संबंधित 6 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और दो आबकारी अधिकारी निलंबित किए गए हैं। आगे की जांच चल रही है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार ने, जो सूर्यपेट भी गंए आदेश दिया है कि इसकी जांच एक विशिष्ट पुलिस दल द्वारा करनी चाहिए। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को वर्तमान सीमाशुल्क तथा कानून के संचालन में बचाव के रास्तों का पता करने के लिए विशिष्ठ सन्दर्भ के साथ घटनास्थल पर जांच के लिए भेजा है। राज्य सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यौरो की भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पोस्टमार्टम जांच से आंतों में मेथिल अल्कोहल विद्यमान होने का पता लगा है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के जरूरतमन्द परिवारों को 500 रुपये प्रत्येक परिवार की दर से मुफ्त राहत देने के आदेश दिए हैं।

मामलों की जांच तथा चिकित्सा करने में राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता देने के लिए आल इण्डिया इन्स-टिच्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली के दो विशेषज्ञ आज सुबह हवाई जहाज से वहां चले गए हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : 1969 से लेकर आजतक ऐसी चार घटनाएं हो चुकी हैं और प्रत्येक में 50 से 100 तक व्यक्ति मरे हैं भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बावेजा समिति नियुक्त की गई थी। क्या इसका प्रतिवेदन राज्य सरकारों को दे दिया गया है और क्या उन्होंने कुछ कार्रवाही की है ? मेरी जानकारी यह है कि शराब में न केवल गुड़ुम्त ही नहीं मिलाई जाती है बल्कि फ्रेंचवारनिश भी मिलाई जाती है। इससे लोग अन्धे हो जाते हैं। एक म्युनिसिपल चेयरमैन भी इसके शिकार हुए हैं। यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। ऐसी बातों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाही की है। ऐसी शराब पीने वालों में अधिकांश संख्या खेतों और कारखानों में काम करने वालों की होती है। सरकार को शुद्व शराब सप्लाई करनी चाहिए और समय समय पर इसकी जांच होती रहनी चाहिए। इस घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है परंतु प्रति दिन एक अथवा दो व्यक्ति इस प्रकार मर जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बवेजा आयोग के प्रतिवेदन को सभी संसद सदस्यों में बांटा जाना चाहिए ताकि वे अपने राज्यों पर इसकी क्रियान्वति के लिए जोर दे सकें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बवेजा आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार दिल्ली में विभिन्न प्रकार की कार्यवाही की गई है। विभिन्न राज्य सरकारों को भी मार्गदर्शी सिद्धांत बताये गये हैं। परन्तु आयोग के प्रतिवेदन को राज्य सरकारों में नहीं बांटा गया है। नशीली वस्तुओं में नशीले तत्वों को कम कर दिया गया है। सप्ताह में एक अथवा अधिक दिनों तथा राष्ट्रीय तथा स्थानीय महत्व के दिनों को भी "ड्राई" दिवस घोषित किया गया है। बिक्री के समय में भी कमी की गई है। यदि किसी बस्ती की

दो तिहाई आबादी शराब की दुकान को बन्द करने की मांग करती है तो उसे बन्द कर दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति को बेची जाने वाली शराब की मात्रा में कमी। स्कूलों, कालेजों, राजपथों तथा अन्य स्थानों पर दुकानें खोलने पर पाबन्दी है। समाचार पत्रों में शराब की बिक्री के विज्ञापन देने पर भी पाबंदी है।

श्री हरि किशोर सिंह : प्रति दिन ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस मामले विशेष में लगभग एक हजार व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है और 71 व्यक्ति अभी तक मर चुके हैं। यह भी समाचार मिला है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले अनेक ड्राईवरों ने भी यह शराब पी थी। मालूम नहीं उनका क्या बना है। यह भी बताया गया है कि इस नगर में लाइसेंस प्राप्त 8 दुकानों को बन्द कर दिया गया है। परन्तु ऐसे समाचार भी हैं कि 20 ऐसी दुकाने शराब बेच रहीं हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं। यह भी बताया गया है कि यह सारी शराब एक ही थोक विक्रेता द्वारा बेची गई थी। क्या उस थोक व्यापारी की दुकान बन्द कर दी गई है क्या कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं? क्या किसी व्यक्ति से मरते समय कोई वक्तव्य लिया गया था? उत्पादन शुल्क तथा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि वह भी इसके जिम्मेदार हैं? अवैध रूप से शराब बनाने के लिए बहुत थोड़ी सजा दी जाती है। मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में सख्त सजा दी जानी चाहिए। क्या सरकार ने देश में अवैध रूप से बन रही शराब के बारे में कोई अनुमान लगाया है? इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस मामले की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: विषैली शराब से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के बारे में मैं पहले ही उपलब्ध आंकड़े बता चुका हूं। मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा कि वहां पर कितनी दुकानें लाइसेंस प्राप्त हैं और कितनी बिना लाइसेंस के हैं। सम्बन्धित सभी दुकानों को बन्द कर दिया गया है। अब तक छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दो उत्पादन शुल्क अधिकारियों, एक इन्स्पैक्टर और एक सब-इन्स्पैक्टर को निलम्बित कर दिया गया है। यह शराब पीने वाले अनेक व्यक्ति अभी जीवित हैं और जांच दल इन सब से पूछताछ करेगा।

जहां तक दण्ड बढ़ाने सम्बन्धी सुझाव का प्रश्न है हम इस पर विचार करेंगे। उच्च शक्ति प्राप्त न्यायिक जांच कराने के सुझाव पर भी विचार किया जायेगा। सिद्धांतरूप से हमें इसपर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी० वेंकटासुब्बाया (नन्दपाल): इस प्रकार की यह पहली घटना नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित नीति के अनुसार नीति बनाने तथा इसे क्रियान्वित करने की कभी भी परवाह नहीं की है। माननीय मंत्री ने कहा है कि शराब में नशीले पदार्थ को कम करने के लिए कार्यवाही की गई है। शराब पीने वाले लोग तेज शराब चाहते हैं। यही कारण है कि वे अवैध रूप से बनी शराब पीते हैं। यही कारण है कि अधिकारियों की साठगांठ से अवैध रूप से शराब बनाने वाली अनेक दुकानें खुल गई हैं। उत्पादन शुल्क इन्स्पैक्टरों के अतिरिक्त ठेकेदार भी अत्याधिक धन अर्जित कर रहे हैं। अतः इस बारे में भी जांच की जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश में स्पिरिट के परमिटों का दुरुपयोग हो रहा है। यह परिमट बहुत ही मामूली मूल्य पर दिये जाते हैं।

क्या सरकार ठेकेदारों को नीलामी की बोली देने तथा दुकाने चलाने की अनुमति न देने के प्रश्न पर भी गम्भीरता से विचार करेगी! सरकार स्वयं ऐसी दुकानें क्यों नहीं चलाती? वास्तविक दोषी व्यक्तियों को गिरफतार नहीं किया जाता है और निदोष व्यक्तियों को दण्ड दे दिया जाता है। यह सब घोटाला अधिकारियों की सांठगांठ से हो रहा है। उस क्षेत्र से गुजरने वाले अनेक ड्राइवरों ने भी शराब पी थी। मैं नहीं जानता उनमें से कितने व्यक्ति मरे हैं। माननीय मंत्री को सारे मामले की व्यापक जांच करानी चाहिए और कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी धटनाओं की पुनरावृति को रोका जा सके।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: दिल्ली में घटी घटना के बाद से दिल्ली के गांवों में दिल्ली प्रशासन द्वारा ही ऐसी दुकानें चलाई जा रहीं हैं। अतः माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा। मद्य निषेध की स्थिति में ऐसी घटनाएं घट सकती है हम ने राज्यों को यह कहा है कि कम नशीले तत्व की शराब बेची जाए ताकि व्यक्तियों पर इसका हानि-कारक प्रभाव न हो। लारी ड्राइवरों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री सेझियान (कुम्बकाणय): अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए दुःख में मैं भी स्वयं को सम्मिलित करता हूं। माननीय मंत्री ने मरने वालों की संख्या 72 बताई है परन्तु मेरे विचार में यह संख्या बहुत अधिक होगी। क्योंकि अनेक

व्यक्ति इसकी रिपोर्ट सरकार अथवा अस्पताल में दर्ज नहीं कराते । शराब व्यापार तथा शराब की दुकानों के लाइसेंस देने सम्बन्धी समूचे मामले की गम्भीरता से जांच की जानी चाहिए । अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली शराब की किस्म की जांच के लिए सरकार ने समूचे देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में क्या व्यवस्था कर रखी है । गिरफ्तार किये जाने वाले छः व्यक्तियों में थोक विक्रेता भी शामिल हैं अथवा नहीं । बिना लाइसेंस शराब बेचने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं ? क्या सरकार सारी स्थिति का गहन अध्ययन करेगी और ठीक स्थिति का पता लगाने का प्रयास करेगी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक राज्य का विषय है । इस सारे मामले का पुनर्विलोकन करना होगा । आंध्र में इस समय तनाव की स्थिति है । इस मामले में हमारी जिम्मेदारी है और हमने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को वहां पर भेजा है । केन्द्रीय जांच ब्यौरो जांच में सहायता करेगा । अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के दो डाक्टर भी वहां भेजे गए हैं यदि आवश्यक हुआ तो और सहायता भी दी जाएगी । सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि शराब के थोक विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है अथवा नहीं । इस बारे में मुझे जांच करनी है ।

दिल्ली में हरियाणा के अध्यापकों की गिरफ्तारी के बारे में
Re: Arrest of Haryana Teachers in Delhi.

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य बैठ जायें । **(अन्तर्बाधाएं)** श्री बनर्जी :

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): दिल्ली में हरियाणा के अध्यापकों की गिरफ्तारी के बारे में आपने ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा अन्य सूचनाओं को अस्वीकार किया है । इसका आधार आपने यह बताया है कि यह एक राज्य का विषय है । केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री नुरुल हसन ने चण्डीगढ़ में हरियाणा अध्यापकों की हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य दिया है । यदि यह एक राज्य विषय है तो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने इस बारे में क्यों वक्तव्य दिया है । इस पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

हरियाणा के अध्यापक कोठारी आयोग के फैसले को क्रियान्वित न किए जाने के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं । यह एक केन्द्रीय विषय है । अतः केन्द्रीय सरकार के मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय मंत्री स्वयं कोई वक्तव्य देना चाहें तो मुझे कोई आपति नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस बारे में आपने हमें पंजाब और हरियाणा के अध्यापकों के बारे में मामला उठाने की अनुमति दी थी । अतः मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने के लिए कहें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): क्या प्रत्येक भूलचूक के लिए यह सरकार उत्तरदायी नहीं है । क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के मामले में हरियाणा सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और उन्होंने इन सिफारिशों की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण बताए हैं ?

श्री पीलू मोदी (गोरा): मैं जानना चाहता हूं जनता में असंतोष के बारे में सरकार की क्या नीति है? लोगों की शिकायतों को सुनने के प्रति सरकार की नीति क्या है ?

फरीदाबाद के लड़कों को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ आश्वासन दिये थे । परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): The matter regarding Haryana teachers should be given a political colour. We should pay a serious consideration to the demands of the teachers and something should be done for them.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): सरकार ने अब तक यह तर्क दिया है कि यह राज्य सरकार का मामला है। परन्तु जब आज सुबह यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय मंत्री का सुझाव ठुकरा दिया है तब यह मामला इस सदन के अधिकार क्षेत्र में आया है। समाचार पत्रों में फोटो तथा समाचार प्रकाशित हुये हैं। मामला दुनिया के कानों तक पहुंचा है। सरकार के व्यवहार तथा विचारों के कारण विश्व के देश भारत को एक असभ्य देश के रूप में देखते हैं। निश्चय ही यह हमारे लिए लज्जा का विषय है।

श्री समरगुह (कन्टाई): कुछ लोगों ने ऐसी धारणा व्यक्त की है कि हरियाणा के शिक्षकों का मामला राज नीति से सम्बन्धित है। मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के बहुत से सदस्य शिक्षकों की बैठकों में जाते हैं और उनके हितों के समर्थक हैं। शिक्षकों के सम्बन्ध में हमने पहली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं उठाया है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के शिक्षकों के विषय में आप पहले कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत कर चुके हैं। प्रति दिन हजारों शिक्षक अपनी गिरफ्तारी देते हैं। वे कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघर्ष कर रहे हैं। आप को इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे देनी चाहिए।

Shri Sat Pal Kapur: The Haryana Government are not accepting the recommendations made by Kothari Commission the Ministry of Education in the Government of India should get the recommendations of Kothari Commission implemented by Haryana Government.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): इस स्थिति को इस प्रकार ही नहीं चलने देना चाहिए जबकि प्रति दिन हजारों शिक्षक दिल्ली में गिरफ्तार किये जा रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने दो दिन पहले कहा था कि मुझे आशा हैकि इस मामले पर शिक्षक के प्रतिनिधियों तथा हरियाणा सरकार के बीच बातचीत होगी। हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस मामले पर हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने शिक्षकों से बातचीत की है। वे शान्ति पूर्वक गिरफ्तारियां दे रहे हैं। क्या इस मामले में आये गतिरोध को संसद किसी प्रकार दूर नहीं कर सकती ?

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): Should we understand that the Government will not take note of teachers demands so long as they continue to Court-arrest in a peaceful manner? The Central Government is responsible to get the Kothari Commissions recommendations implemented. The Government should express their reactions to the demands of Haryana teachers.

श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या आपको संबंधित मंत्रियों से उत्तर मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय : सचिव ने अभी बताया कि उनको उत्तर मिल गए हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : तब कल इसको लिया जा सकेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मामले में विशेषाधिकार प्रस्ताव आधे घंटे में ही ले लिया गया था। परन्तु प्रधान मंत्री तथा उनके पुत्र के मामले में इतनी देर लग रही है।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे गये पत्र।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कल यह बात निश्चित हुई थी कि इस विषय पर अल्प सूचना प्रश्न दिया जायेगा। जैसे ही मुझे यह नोटिस प्राप्त होगा मैं इसे शिक्षा मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत कर दूंगा और उन्हें इस विषय पर सदन की भावनाओं से भी अवगत करा दूंगा। . . . . . **(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : शिक्षक जान बूझ कर धारा 144 का उल्लंघन कर रहे है। सदन में चर्चा कराने का यह तरीका नहीं है। संसद में इस प्रकार किसी मामले पर चर्चा नहीं हुई है। इस मामले का सीधा सम्बन्ध शिक्षा मंत्रालय से है। संसदीय कार्य मंत्री महोदय इस संबंध में वक्तव्य दे चुके हैं। कार्यमंत्रण समिति में मंत्री महोदय ने बताया है कि इस विषय पर अल्प सूचना प्रश्न लिया जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र: मैं मानता हूं कि यह मामला शिक्षा मंत्रालय का है । परन्तु यह तो बताइये कि शिक्षकों को जो मारा पीटा गया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे मामले मेरे पास भेज दीजिए । मैं उनको मंत्री को भेज दूंगा ।

श्री के० एस० चाबड़ा (पाटन) : श्री श्यामनन्दन मिश्र ने जो विशेषाधिकार का मामला उठाया था क्या मंत्री महोदय से आपको उत्तर प्राप्त हो गया है ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र
Papers Laid on the Table

जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव): मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं:—

(एक) जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4283/73]

5वें सामान्य निर्वाचिनों के सम्बन्ध में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रतिवेदन और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराजसिंह चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत में 1971-72 के 5वें सामान्य निर्वाचनों के सम्बन्ध में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन वर्णनात्मक और प्रति विम्बात्मक भाग—की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4284/73]**

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) (दूसरा संशोधन) नियम 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 दिसम्बर 1972, में अधिसूचना सा० सां० नि० 1624 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4285/73]**

(3) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1625 से प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4286/73]**

मद्रास उर्वरक लिमिटेड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1971-72 संबंधी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मद्रास की वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षत लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4287/73]**

कार्य मंत्रणा समिति
Business Advisory Committee
24वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक सेवा समिति
Public Accounts Committee
67वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): मैं स्वास्थ्य विभाग तथा पुनर्वास विभाग और योजना आयोग के संबंध में लोक लेखा समिति के 42वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 67वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बज कर 3 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha then reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy speaker *in the chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने नियम 377 के अन्तर्गत आपको लिखा है। सरकार द्वारा चुपचाप भारतीय रुपये का अवमूल्यन करना एक गम्भीर मामला है। हम चाहते हैं सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे। क्या आप वित्त मंत्री से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिए कहेंगे। क्या आप इसे आवश्यक नहीं समझते।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने आपकी बात सुन ली है। श्री प्रताप सिंह

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
Motion of Thanks on the President's Address

Shri Rudra Partap Singh (Bara Banki): The Government of India is following a traditional foreign policy of neutrality, good will and co-existence as laid down by A.I.C.C. Our Party has always been in favour of a policy of friendship peace and cooperation and our Government is also following the same policy. Our treaties of friendship with Russia and Bangla Desh and the glaring instances of effectiveness and success of our foreign policy not only in Asia but in the entire world.

Our Government is making tireless efforts to improve the strained relations with our neighbouring countries. Simla Agreement is a historic event in this regard. We hope that we would have better relations with Pakistan and China in future. We also hope to have a better response from China in this regard.

I appreciate the efforts made by the Government to strengthen the friendly relations with our neighbouring countries like Nepal and Bhutan. We hope that our relations with developing countries of Asia and Africa will be further strengthened. The Government of India desire America to pay attention to this Indian point of view and to have better relations with European countries.

After the historic elections of 1971 in which our Party got a massive mandate from the people, the Government made certain amendments in the constitution in order to enable themselve s to take steps for the removal of social and economic disparities. Nationalization of Banks, Abolition of the Privileges and Privy Purses of the former rulers and the 24th amendment to fix a limit to property are some of the steps in this direction. We hope that further amendments can also be effected to in order to achieve the goal of removing social and economic disparities. Natural calamities on one side and the capitalists, and Communal forces and certain foreign powers on the other side are hindering Government's objectives to have a society where there is no economic disparity and social injustice.

I may assure the House that the Government is firm to implement the assurances given to the people. I hope that we will be able to overcome the problems of unemployment, grains distribution and land distribution.

श्री दशरथदेव (त्रिपुरा-पूर्व): भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल पर यह आरोप लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश के झगड़ों के पीछे उनका हाथ है। परन्तु यह बात गलत है। कठिनाइयां पैदा करना स्वयं सरकार की ही नीति है। केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण अखंडता को खतरा पैदा हो गया है।

सरकार ने देश में सूखा की स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझा है। आज हमारे सम्मुख महंगाई, बेरोजगारी, खाद्यान्नों की कमी, भूख, सूखा आदि की अनेकों समस्यायें है। त्रिपुरा में खाद्यान्नों की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। यदि केन्द्र से कुछ ही दिनों में चावल नहीं पहुंचाया जाता तो वहां की राशन की दुकानें भी बन्द हो जायेंगी। 15 नवम्बर को 50,000 लोगों ने सत्याग्रह किया था जिसमें मांग की गई थी कि त्रिपुरा को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये और वहां सभी प्रकार की राहत उपलब्ध कराई जाये। 19 फरवरी को इस मांग के समर्थन में सम्पूर्ण त्रिपुरा में हड़ताल रही। परन्तु खेद का विषय है कि केन्द्र ने परिस्थिति को गम्भीर नहीं समझा है। खेद का विषय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी त्रिपुरा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में कोई बात नहीं कही गई।

पीछे भी त्रिपुरा में एक बार सूखा पड़ा था। तब लोगों ने जंगली फल खाकर निर्वाह कर लिया था परन्तु इस बार जंगली फल भी उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को वहां तुरन्त अनाज पहुंचाना चाहिये ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आदिवासी लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। सभी आदिवासी क्षेत्रों को क्षेत्रीय स्वायतता प्रदान की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए और इन्हें इन क्षेत्रों के विकास का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। हम भावात्मक एकता की बात करते हैं जब तक आदिवासी विकास कार्यों से सम्बद्ध नहीं होंगे तब तक हम उन्हें इस प्रकार की एकता के लिये सहमत नहीं करा सकते।

सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि वे लोगों की इच्छायें पूरी नहीं कर पाते हैं तो लोगों को अधिकार है कि वे ऐसी सरकार को समाप्त कर दें।

समाजवाद का वास्तविक अभिप्राय लोगों को अच्छी सुविधायें प्रदान करना, अच्छा भोजन उपलब्ध करना तथा रोजगार की सुरक्षा करना है। कांग्रेसी समाजवाद का अभिप्राय भूख बेरोजगारी लाठीचार्ज आदि से है सूखा की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि हम प्रकृति को नहीं बदल सकते। हम सरकार से ऐसा चाहते भी नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार पहले से ही सतर्क रहे और स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रबंध करे। कृषि सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान न कर सकने के कारण सूखा की स्थिति में लोग निःसहाय हो जाते हैं। यदि सरकार सिंचाई के अच्छे प्रबन्ध करती तो सूखा की स्थिति इतनी भयंकर न हो पाती।

Shri A.P. Sharma (Buxer): Shri A.K. Gopalan has said that if there is a growing trend of violence in the country, the Government of India and the Congress party are responsible for it. He has further alleged that if the CRP or the Police had not resorted to frequent firing, people

could not have been encouraged to resort to violence. But did the Government of West Eengal and Kerala belonging to Shri Gopalan's party not take the help of police during their rule in those states? It appears that Shri Gopalan have no constructive suggestions to offer and that is why he has criticised the Government for the sake of criticism.

Criticising the Congress party CPI leader Shri Inderjit Gupta said that some undesirable persons are getting into the Congress party. Who should be admitted into Congress is not to be decided by the opposition parties. Congress is a democratic institution and any one who believes in its principles can enter into it. I would like to request him that he should look to the principles of his party before he criticise the Congress.

The leader of Jan Sangh Party, Shri Atal Bihari Viajpayee has criticised the Government for taking over the grain trade. He has alleged that the Government is making its officialization in the name of nationalizing the trade. Shri Vajpayee appears to be concerned more with few traders not with millions of poor people. He should appreciate that millions of people, all over the country, have welcomed the move.

Our President, who has been a well known trade union Leader, has appealed to the workers and labour organizations not to lose sight of national interest. His experience that in the past wherever there has been any national crisis, the workers have always extended their cooperation. We should try to see that the difficulties of the workers are amicably solved so that they are not compelled to agitate.

श्री सी०टी० दण्डपाणी (धारापुरम): हमारी पार्टी के उप नेता श्री जी० विश्वनाथन ने बताया है कि किन कारणों से पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाग नहीं लिया। वास्तव में सर्वप्रथम हमारी पार्टी ने ही श्री गिरि को राष्ट्रपति पद के लिये समर्थन दिया था।

देश के 26 राज्यों में से 24 राज्यों में बिजली का संकट है। श्री सी० सुब्रहमण्यम तथा श्री मोहन कुमारमंगलम ने कहा है कि राज्य में बिजली संकट के लिये तमिलनाडु सरकार उत्तरदायी है। यह दोनों मंत्री द्रे०मु०क० की सरकार को गिराने के अपने प्रयत्नों में विफल रही है। उन्होंने राज्य सरकार के विरुद्ध श्रमिकों को उकसाया, कृषकों के आन्दोलन का नेतृत्व किया।

प्रधान मंत्री, परमाण ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : मैं समझती हूं कि यह राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है।

श्री जी० विश्वानाथन : राष्ट्रपति ने 'हिंसा' का उल्लेख किया हैं।

श्री सी०टी० दन्डपाणि : उन्होंने द्रमुक को विभाजित करने की चेष्टा की थी।

तमिलनाडु राज्य में आज बिजली का भारी संकट बना हुआ है। फरवरी से मई 73 तक 2712 मिलियन यूनिट की कुल आवश्यकता में कुल 1040 मिलियन यूनिट बिजली कम है। दक्षिण पश्चिमी मौनसून के विफल रहने के कारण न केवल तमिलनाडु अपितु केरल और मैसूर में भी बिजली की कमी हुई है। अब तक तमिलनाडु मैसूर और केरल से बिजली खरीदता रहा है। इन राज्यों से कम सहायता मिलने के कारण भी कमी आई है।

इन्नोर थर्मल पावर स्टेशन कोयले और पानी की कमी के कारण पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाया है। बेसित ब्रिज थर्मल स्टेशन भी पूरा कार्य नहीं कर पाया है।

यदि नेवेती में पिछले वर्ष जितना उत्पादन हो जाता तो राज्य इस विकट संकट का सामना कर सकता था। तमिलनाडु सरकार ने लिगनाइट के उपयोग से दो परमाणु ऊर्जा बिजली के जनरेटर तूतीकेरिन और मिटूर डैम में लगाने का प्रस्ताव किया है।

राज्य द्वारा बिजली उत्पादन की नौ अन्य योजनाएं केन्द्र के विचाराधीन हैं।

द्रमुक के 5 वर्ष के शासन में राज्य में 500 मैगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर द्रुमुक सरकार को इस प्रकार बचाने की क्या आवश्यकता है।

श्री सी०टी० दण्डपाणि : केन्द्र के दो मंत्रियों ने द्रमुक सरकार पर आरोप लगाये हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसा लगता है कि आपका सम्पूर्ण कार्य उन मंत्रियों के कारण विफल रहा है ।

श्री सी०टी० दण्डपाणि : खेद है कि वे मंत्री केन्द्र में सत्तारूढ़ हैं। बिजली की कमी देश-व्यापी है । मैं प्रधान मंत्री से तमिलनाडु द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं ।

हैंडलूम उद्योग में यार्न की कमी के कारण बुनकर भूखे मर रहे हैं जबकि यार्न बंगलादेश भेजा जा रहा है । राज्य सरकार को कोपरेटेविस को छोड़कर अन्यत्र यार्न खरीदना नहीं चाहिए । प्रधान मंत्री उन बुनकरों को सहायता देनी चाहिए ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : मैं सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

संतोष का विषय है कि अभिभाषण में आन्ध्र की घटनाओं का उल्लेख किया गया है । अच्छा होता यदि आसाम की स्थिति का भी इसमें उल्लेख होता ।

ब्रह्मपुत्र घाटी की घटनाएं लोकतंत्र को एक चुनौती हैं । आसाम में अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने की सुविधाओं से वंचित रखने स्थिति ने यह रूप लिया है ।

हमारे संविधान में अल्पमत के लिये अपनी भाषा संस्कृति और लिपि के संरक्षण की व्यवस्था की थी । इसके होते हुए भी आसाम के विश्वविद्यालयों ने उन सांवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन किया है ।

आसाम के शिक्षा विभाग ने गैर आसामी स्कूलों में हिन्दी/संस्कृत अरबी/फारसी/आदि के स्थान पर आसामी जारी करने के परिपत्र जारी किये हैं ।

संकीर्णता तथा हिंसापूर्ण वातावरण में घृणा फैल रही है । और संबद्ध वर्ग द्वारा जहाद की आवाज उठाई गई है ।

इस पृष्ठभूमि में बंगालियों का आर्थिक बायकाट किया गया है । गोहाटी और डिब्रुगढ़ के रेडियो स्टेशन बंगालियों मारवाड़ियों के विरुद्ध घृणा को बढ़ावा दे रहा है ।

खेद की बात है कि भारत सरकार ने इस बारे में कुछ कार्यवाही नहीं की है और लोगों को जान और माल की हानि उठानी पड़ रही है ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मल्लिार्जुन (मेडक) : आन्ध्र प्रदेश का बंटवारा अनिवार्य हो गया है । परन्तु तेलंगाना के निर्माण की कोई घोषणा नहीं की गई है ।

आन्ध्र द्वारा 1961 के श्वेत पत्र का उलंघन किया था अतएव पृथक तेलंगाना राज्य का आन्दोलन जोर पकड़ता गया । हमारे प्रधान मंत्री ने मुल्की नियमों को लागू करने का आश्वासन दिया था । इस प्रयत्न को भी आन्ध्र सरकार ने विफल कर दिया है । यह करना कि आन्ध्र के लोग भूमि सुधारों को लागू करने में भयभीत हैं और इसके लिए उन्होंने आन्दोलन शुरू कर दिया है, गल्त है । पृथकवादी आन्दोलन इसी लिये जोर पकड़ गया है कि लोग इसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं । मैं भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लोग जनमत द्वारा पृथक राज्य चाहते हैं । इस आधार पर टी०पी०एस० ने 10 स्थान प्राप्त किये हैं । लोकतंत्र में आप जनता की मांग को कैसे ठुकरा सकते हैं । एक ओर तो राज्य में सामान्य स्थिति बनाने के प्रयत्न जारी हैं और दूसरी ओर लोगों को उकसाया तथा भड़काया जा रहा है ।

तेलंगाना के लोग उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लड़ेंगे । मैं प्रधान मंत्री से जनता की मांग को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं ।

श्री एस०राम गोपाल रेडडी (निजामाबाद) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में विरोधी पक्ष को आन्ध्र में श्रीमती इन्दिरा सरकार की नीतियों के विरुद्ध सफलता पाने के लिये बधाई नहीं दी गई है ।

कई जमीदारों ने भूमि बंधक बैंकों से ऋण लिये हैं और उस बारे में सभी रिकार्ड जला दिये गये हैं ।

यह तेलंगाना और आन्ध्र के लोगों का संघर्ष है । वे लोग आन्ध्र प्रदेश को इसलिये बांटना चाहते हैं कि जिन लोगों को श्रीमती इन्दिरा गान्धी सन्तुष्ट नहीं कर पाई हैं उन्हें संतुष्ट किया जा सके ।

वे कहते हैं कि उन्होंने 1971 के निर्वाचन में विजय प्राप्त की है। मैं बताना चाहता हूं कि विधान सभा के चुनाव में हमें अधिकतम स्थान अर्थात 100 से 38 स्थान प्राप्त हुए हैं। 1972 के चुनाव में उनके बयालीस उम्मीदवारों में से 28 की जमानत जब्त हो गई है।

आन्ध्र राजपत्रित कर्मचारियों को मैंने बताया कि वे 5–6 वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : आन्ध्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे. . . . . .

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह मेरी अथवा आपकी सम्पति नहीं है। यदि उन्हें अपने लिये जनमत के समर्थन का इतना विश्वास है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने लोक सभा पद से त्यागपत्र देकर तेलंगाना प्रजा समिति के टिकट पर पुनः चुनाव लड़ें।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं चुनौती स्वीकार करता हूं।

श्री जी० विश्वनाथन : वे दोनों त्यागपत्र दे दें।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : राजा रामेश्वर राव की हैदराबाद की पृथक संस्कृति है और देश की सभी संस्कृतियां वहां पर हैं। क्या वे आन्ध्र की संस्कृति को स्थान नहीं दे सकते।

आज यदि आन्ध्र को दो भागों में विभक्त किया जाता है तो शीघ्र ही उसे तीन भागों में बांटना पड़ेगा। क्योंकि रायलसीमा और सरकार क्षेत्र को साथ रखने वाली शक्ति तेलंगाना ही है। केवल वहां के लोग इन्हें जोड़े रख सकते हैं।

श्री शमीम जम्मू और काश्मीर का विभाजन कभी नहीं चाहते थे। वह मेरे राज्य के विभाजन के पक्ष में क्यों हैं। द्र०मु०क० के सदस्यों को हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आन्ध्र का विभाजन किया जाता है तो तमिलनाडु का विभाजन क्यों नहीं। उस राज्य में 40 प्रतिशत आन्ध्रवासी रहते हैं।

Shri Ram Singh Bhai Sharma (Indore): I strongly support the motion of thanks to the President's address. Andhra Pradesh is not the only problem facing the country but there are various other problems before the nation.

We should not forget that our country is passing through serious crisis. The country has faced so many problems and had we not solved them what would have been the position? Three wars have been fought on our land. How difficult it is to re-habilitate the country after each war? The situation created by droughts, floods during the past 10 years should also not be forgotten?

Our republic has adopted secularism. If the Government is influenced in the safety of the country and removal of poverty from communists it is a good thing. The country which has suferred has build a history in 1971. That event has enabled Indians to move in the world with great pride.

The country which used to create communal trouble on our borders and in our country now started killing their own people. According to Indian tradition we are helping the suffering community and we should not forget that.

Members should understand the good intention of the Prime Minister. They should not suspect her capacity.

I support the nationalization of whole sale food grain trade. By nationalisation of food grains trade all the farmers of the country will get the same price for their products and the Government will be able to distribute it properly and equally to the costomers.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता, गरीबी समाप्त करने और विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास की व्यवस्था की गई हैं। वर्ष 1971 का हमारे इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इसी वर्ष बंगला देश बना तथा पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यह हमारे नेतृत्व की विजय थी।

इन नये पूर्वी राज्यों के निर्माण के बाद हमें उनमें आत्मनिर्भरता लाने और उनमें व्याप्त गरीबी दूर करने की ओर ध्यान देना है तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना में उनकी असमानता को समाप्त करना है ।

अन्य राज्यों के समान इन राज्यों की भी अपनी समस्याएं हैं । खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी तथा उद्योगों की कमी आदि की वहां समस्या है । देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके छोटे-छोटे भागों को आत्मनिर्भर बनाया जाये । ये राज्यों में प्राकृतिक रूप से सम्पन्न होने पर भी उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक आधार-भूत ढांचे का अभाव है । उसका विकास किया जाना चाहिए जिससे कि इन राज्यों में भी उद्योगों की स्थापना हो सके । राजनीति हित साधन की दृष्टि से राज्यों का निर्माण कर देने मात्र से समस्या हल नहीं होती, इन राज्यों का आर्थिक विकास करना नितान्त आवश्यक है तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं । इसके लिए हमें एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम बनाना चाहिए ।

मनीपुर में यदि सिंचाई के साधन हो जाएं तो पर्याप्त अन्न पैदा किया जा सकता है । अतः वहां की मुख्य समस्या सिंचाई के साधन हैं । सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर मनीपुर स्वयं में आत्मनिर्भर ही नहीं हो जायेगा वरन यह समस्त पूर्वी क्षेत्र के लिए वरदान हो जाएगा । सरकार ने इस क्षेत्र की पर्यटन सम्बन्धी क्षमता को नहीं समझा है ।

यह क्षेत्र बड़ा ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है । वहां बहुत से असामाजिक तत्व सक्रिय रहे हैं । अब उस भावना के कुछ अंश वहां विद्यमान हैं । अलग अलग राज्यों के गठन से वहां क्षेत्रीयता की भावना बहुत बढ़ गई है भ्रष्टाचार पनप रहा है । लोग इस सब से तंग आ चुके हैं । अतः इसके लिये गृह मंत्रालय को कोई रचनात्मक उपाय अपनाना चाहिए । अन्त में मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि इन पूर्वी राज्यों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि ये आत्म निर्भर ही न हों वरन सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकें ।

श्री वी० शंकर गिरी (दामोह) : राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने आपको आन्ध्र की वर्तमान स्थिति तक ही सीमित रखूंगा ।

मैंने अपने जीवन का खतरा मोल लेकर आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्र क्षेत्र का दौरा किया है । अपने इस दौरे में मैं पृथकतावादी विरोधी तथा कांग्रेसी नेताओं से मिला और उनसे अपील की कि बातचीत करने की पूर्वशर्त के रूप में वे इस आन्दोलन को समाप्त कर दें । परन्तु उनका उत्तर था कि यह अब उनके सामर्थ्य की बात नहीं है । अतः मैं सीधे जनता से मिला और लोगों से शान्ति की अपील की ।

मैंने देखा कि वहां लोगों में यह भावना व्याप्त है कि मुल्की नियम विधेयक से अपने ही राज्य में उनका स्थान गौण हो जायेगा । बड़ी ही खेदजनक स्थिति है । परिणामतः प्रथक्करण की मांग की जाने लगी है । इस स्थिति से बचा जा सकता था यदि विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य लोगों को सही-सही बात बताते । अभी भी मैं समझता हूं देरी नहीं हुई है । अतः मैं उन सदस्यों से अपील करता हूं जो अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं गए हैं कि वे वहां जाएं और लोगों को सही स्थिति का ज्ञान करायें । . . . . . (**व्यवधान**)

आन्ध्र क्षेत्र के लोगों में यह गलत धारणा है कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ अकेले राष्ट्रपति का शासन है जबकि यह केन्द्रीय सरकार का शासन, जो वह उस प्रदेश के संसद सदस्यों को मदद से चलाती है । अतः अब क्योंकि आन्ध्र केन्द्र के अन्तर्गत है अतः हमें उनकी शिकायतों को दूर करने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि कभी-कभी एक मामूली सी बात भी बड़ी खतरनाक बन जाती है और उसके बड़े भयंकर परिणाम निकलते हैं ।

आन्ध्रवासियों ने प्रधानमंत्री द्वारा पेश किये गये पंचसूत्री फार्मूले को पन्सद नहीं किया है पर इसका यह अर्थ नहीं कि उनका प्रधान मंत्री में विश्वास नहीं है । उनका उनसे प्रथक्करण को लेकर एक अस्थायी मतभेद हो सकता है ।

उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री तेलंगाना आन्दोलन के समय तो तेलंगाना प्रदेश में गई थी पर आन्ध्र क्षेत्र में नहीं आई । यह सौतेला व्यवहार क्यों । मैंने उन्हें समझाया कि समय मिलने पर अवश्य आयेंगी ।

इस समस्या के समाधान के लिये सबसे पहले दोनों पक्षों को हिंसा समाप्त कर देनी चाहिए तथा फिर केन्द्रीय नेताओं से परस्पर बातचीत के लिये उन्हें दिल्ली आना चाहिए ।

अन्त में मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह बिना किसी शर्त के आन्ध्र की इस समस्या से सम्बन्धित सभी नेताओं को स्पष्ट चर्चा के लिये दिल्ली बुलायें तथा इसे सर्वोपरि प्राथमिकता दें ।

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा है पर उसमें देश में व्याप्त तीन बड़ी समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है ।

सबसे पहली समस्या देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है । यह समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है । यह एक बड़े ही दुख: की बात है कि देश के बड़े से बड़े आदमी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं ।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*

ये पंचवर्षीय योजनाएं भ्रष्टाचार के चलते सफल नहीं हो सकती । जन साधारण को तब बड़ा दुःख होता है कि जिन्हें उन्होंने अधिकार दिए वे उनका उपयोग अपने हित साधन में ही कर रहे हैं देश के लिये नहीं ।

दूसरी बात है चीन से अपने सम्बंध सामान्य बनाने की । हम इस दिशा में सदैव प्रयत्न करते रहे हैं पर चीन ने कोई भी मौका हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का नहीं छोड़ा है । अभिभाषण में इस पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । इस एक तरफा प्रयत्न से इसमें सफलता मिलने वाली नहीं हैं ।

देश में व्याप्त बेरोजगारी की विषम समस्या के बारे में भी अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है । सरकार ने बार-बार इस सम्बन्ध में आश्वासन दिए हैं पर उस दिशा में किया क्या गया यह किसी को नहीं पता । बेरोजगारी का सामना करने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित की गई 20 करोड़ रुपये की धनराशि का क्या उपयोग हुआ ? प्रति वर्ष देश में लाखों स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र विश्वविद्यालय से बाहर आ रहे हैं पर उनके लिए कोई काम नहीं है । परिणामस्वरूप उनमें असन्तोष है और निष्कर्ष है हड़तालें, असंतोष आन्दोलन, आदि ।

हमारे नेताओं को इस सबकी ओर समुचित ध्यान देना चाहिए । झूठे आश्वासन देने के बजाये थोड़ा बहुत करना चाहिए । मूल्यों को कम करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए । भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि जनतन्त्र का यह सबसे बड़ा शत्रु है ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देने के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । विरोधी दल के सदस्यों को मैंने बड़े ध्यान से सुना है पर उन्होंने छात्र आलोचना करने के इस संबंध में कोई रचनामत्क सुझाव नहीं दिया है । निःसन्देह रूप से पिछले 25 वर्षों में देश ने प्रगति की है । इस सबके बावजूद भयंकर सूखा पड़ा है पर यह हमारे देश की ही समस्या नहीं है । एशिया के अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है । रूस को भी अमरीका से अनाज मंगाना पड़ रहा हैं ।

इस सूखे का कीमतों पर भी प्रभाव पड़ा हैं । पर सरकार अनाज की सप्लाई को ठीक रखने में समक्ष रही है इतनी कमी के बावजूद इस वर्ष हमारा निर्यात अभूतपूर्व रहा हैं और इस वर्ष यह आयात से भी अधिक होगा । यह पहला वर्ष है जब विदेशी मुद्रा का सन्तुलन भारत के पक्ष में रहा है । हमने अधिकतर तैयार माल का ही निर्यात किया है हमारे औद्योगिक उत्पादन में सत्तर प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की हमारी योजना कोरी कागजी कार्रवाई रही है क्योंकि अभी उन क्षेत्रों में यातायात के समुचित साधन नहीं हैं । अतः हमें उन क्षेत्रों में यातायात के साधनों का विकास करना चाहिए ।

गांवों का विद्युतीकरण बड़ा आवश्यक हैं । यदि यह हो जाये तो किसानों को पानी के लिये वर्षा पर ही निर्भर न रहना पड़े । जो रुपया अन्न राहत कार्यों पर खर्च किया जा रहा है यदि वह पहले ही गांवों के विद्युतीकरण पर खर्च किया जाता तो हमें यह दिन न देखना पड़ता ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि संचार और यातायात के साधनों के विकास को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके बाद गांवों में बिजली आदि लगाने का नम्बर आता है । इस प्रकार हम अविकसित क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं ।

Shri Shivkumar Shastri (Aligarh): Sir, unfortunately the most fundamental problem of students has all along been ignored for the past 25 years and there is no mention of this in the President's Address. Although Andhra, drought etc. are current problems and these are agitating our minds presently but student problem cannot be ignored.

Recent incidents of violence, looting, rape and other anti-social activities by students should cause concern among us and the Address should have voiced such concern. What is all the more alarming is that politicians express concern about them and make them tools also for their selfish end. Student union Election are as costly as Parliamentary elections.

Sir, I want to stress that the nation can be honest and hardworking only if our students have such qualities.

Recently, the Prime Minister and Education Minister had said that Education system needed a change, but no such proposal is under the consideration of educationists. If Government wants any change in the education system, it should cast a careful glance at ancient system of education. The teachers should have certain rights alongwith duties.

Secondly, I would mention the food situation. It was said many times by our Food Minister that not even a single grain would be imported after 1971, but the actual situation is very grave. We should no longer depend on rivers and other natural resources for irrigation. We are now being told that the coming harvest would be very good but I know the actual situation and it is none too good.

Thirdly, I would like to mention about the present law and order situation. In U.P, just a few miles from the Capital, no one can move out after dark and compare it with Pandhuji' conception of Independence. It is very deplorable state of affairs and we should pay special attetion to improve it.

श्री पी०एम० सैयद (लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदिवी द्वीपसमूह) : मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं । मैंने अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है और डी०एम०के० के श्री विश्वनाथन का भाषण भी सुना है जिन्होंने भारत सरकार की कटु आलोचना की है परन्तु उनके दल ने हाल के किसान आंदोलन में क्या किया है उसे वह भूल गए हैं । किसान आंदोलन में उन्हें शिकायत थी कि उन्हें केन्द्रीय मंत्री सर्व श्री कुमारमंगलम् और सुब्रह्मण्यम उकसा रहे हैं और इसका समर्थन प्रतिक्रियावादी शक्तियां कर रही हैं और जब इन्हीं शक्तियों ने आंध्र का आंदोलन चलाया तो उनका कहना है कि यह जनता का आंदोलन है ।

जैसा मैंने कहा है उन्हें जनसंघ का समर्थन प्राप्त है परन्तु जहां जनसंघ राष्ट्रीय एकता चाहता है वहां उनका दल पृथकता के पक्ष में हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं । मुझे श्री सैयद के इस कथन पर आपत्ति है । वह इस प्रकार सदन को गुमराह नहीं कर सकते । उन्हें ये शब्द वापस लेने के लिये कहा जाये ।

श्री पी० एम० सैयद : मेरी इस बात से तो उन्हें बहुत गुस्सा आया है परन्तु गुडालूर तालुके में क्या हो रहा है । **(अन्तर्बाधायें)**

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य को शान्ति से दूसरों की बातें सुननी चाहियें । आरोप तो दोनों ओर से लगाये गए हैं ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि: गुडालूर में केरल के कुछ लोगों ने लगभग 100 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया था और राज्य सरकार ने उन्हें बसाने के वैकल्पिक उपाय किए थे. . . . . .

सभापति महोदय : स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है । एक पक्ष द्वारा लगाये गए आरोप यदि दूसरा पक्ष सुन लेता है तो पहले पक्ष को भी सुन लेने चाहिये **(अन्तर्बाधायें)** । विपक्ष की बात बिना बाधा डाले जब इस ओर के सदस्य सुन लेते हैं तो विपक्ष को भी धैर्य से काम लेना चाहिये । **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री पी०एम० सैयद : नीलगिरि जिले के गुडालूर तालुके में यहां-वहां मलयाली आबादी हैं । डी०एम०के० ने अनौपचारिक रूप से एक परिपत्र जारी किया है कि उनके साथ पृथक व्यवहार किया जाएगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : यह झूठ है ।

श्री पी० एम० सैयद: श्री गोपालन ने आंध्र में दंगों को रोकने के लिये सेना आदि के प्रयोग की निन्दा की है परन्तु लगता है उनका संविधान में विश्वास नहीं है । वह तो अपने स्वार्थ के लिये गड़बड़ कराते हैं अब उनकी आंख लक्षद्वीप पर है और मार्क्सवादी कोजीकोड से कार्यवाहियां कर रहे हैं ।

सरकार की श्री मोदी द्वारा आलोचना करना तो समझ में आता है, परन्तु जनसंघ का डी०एम०के० का साथ देना समझ में नहीं आता । लगता है कि उनके मनोबल को बहुत धक्का पहुंचा है ।

देश में मूल्य वृद्धि के बारे में बताया गया है कि 1971 में 4 प्रतिशत के मुकाबले 1972 में यह वृद्धि 7.8 प्रतिशत हुई । इस से लगता है कि हमारा मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है । चूंकि अगामी वर्ष में भी खाद्य स्थिति खराब रहेगी । अतः सरकार को चाहिये कि जमाखोरों और काला बाजार करने वालों पर कड़ी नजर रखे ताकि मूल्य नियंत्रण में रहें ।

अन्त में मेरा सुझाव है कि ऐसे समाज विरोधी तत्वों के लिये कानूनी रूप से फांसी की सजा होनी चाहिये ताकि उनके कार्यों पर रोक लगाई जा सके ।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur): The Prime Minister and the President speak the language of conscience but some state Government and bureaucrates do not implement them properly.

I do not think any useful purpose would be served by Andhra's partition. In my opinion the pattern of Governance should be village level covering a block of 20,000,people, district level covering 25 lakhs and then at the Central level, the apex. Village Government should have judicial powers thus the High and Supreme Court should be abolished. No poorman can get justice from them. Thus Panchayati Raj should be founded. No body should have a palatial house. Every citizen should lead a simple life and should not smoke or drink. Tobacco needs five times more water than foodcrop.

In consider the upper houses orphanages. These should be abolished and Panchayati Raj should be established. The opposition do not give any constructive suggestion, on the other hand, they simply criticise Government to attrack votes.

With these words I support the motion of Thanks to President's Address.

Shri M.C. Daga (Pali): Sir, I take this opportunity to say something about the scarcity conditions in Rajasthan. There 140 lakh people are affected but we got only 61,000 tonnes of foodgrains against our demand for 160 thousand tonnes. When we asked for Rs. 75 crores as assistance we got only Rs. 2 crores on ad-hoc basis. Sir, our demand is absolutely just. How can we ask a labourer to be content with only 2 kilos of ration for one week when he has a family of eight to support?

The Centre sent three study team one after another and they reported that Rajasthan is facing acute scarcity conditions. Yet only Rs. 2 crores have been given. We are whiling away our time here in the Central Hall and there thousand of Adivasis are crying for food and work Empty assistances and speeches are no longer effective.

Disparities continue to plague the society and this is due to corruption and inert administration. Something drastic and positive will have to be done to achieve results.

In reply to a question it was stated that in 1971 Rs. 12,30,795 had to be paid as decrees against Government. This shows how much Government suffers due to officials collusion with contractors.

It is always said that continuous efforts are being made to bring efficiency in Administration but what is needed is drastic changes therein. People have now come to think that unless the Government machinery is dedicated to service and honest, no plan, however ambitious is might be, can be successfully implemented.

In conclusion I request that the demand for funds and food should be fully met so that relief may be provided to the famished people of Rajasthan.

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राष्ट्रपति का अभिभाषण दिखावामात्र नहीं है यह तो संविधान की एक आवश्यकता है और विपक्ष के जिन सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया है जनता ने इसे विरोध न समझ कर उनका अपमान माना है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मेरा अपना विचार है कि उन सदस्यों ने अपने मतदाताओं के साथ ऐसा कर के अन्याय किया है, और यदि मैं यह कहूं. . . . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र: उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने मद्रास विधान सभा में क्या किया था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी: मैं उनके आचरण की सराहना नहीं करती हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: हम यहां पर जनता के दुःख प्रकट करने के लिये भेजे गए हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: आप तो हर रोज अपनी बात यहां कहते हैं । इस समय तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए **(अन्तर्बाधायें)**

एक सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई रस अथवा रंग नहीं है परन्तु यह गलत है । अभिभाषण में इससे कहीं महत्वपूर्ण तत्व, सच्चाई निष्ठा और निश्चय विद्यमान है ।

गतवर्ष इसी समय हम युद्धरत थे और तब मैंने कहा था कि हमारी विजय की हमें भारी कीमत देनी होगी जो देश की प्रत्येक गतिविधि में कठिनाई के रूप में होगी परन्तु इन कठिनाइयों में सूखे से और वृद्धि हुई है परन्तु मुझे विश्वास है कि सरकार और जनता मिल कर यह विपदा भी झेल लेंगे जैसे कि 1971 में हमने किया । विपक्ष तो सदा निराशा-वादी ही रहा है परन्तु सरकार और जनता ने अपने दृढ़ संकल्प से सिद्ध कर दिया है कि बड़े से बड़े संकट का मुकाबला भी कैसे सफलतापूर्वक किया जा सकता है । इसलिये इन भाषणों का सरकार और उसकी नीतियों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और हमें विश्वास है कि भविष्य में भी हमें वैसे ही सफलता मिलेगी ।

गत 25 वर्षों में देश ने काफी मनोबल और आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है और इसीलिये मुझे विश्वास है कि देश 1973 की चुनौतियों का भी सामना कर लेगा ।

विपक्षी सदस्य यहां तो अत्याधिक मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार की बात करते हैं और बाहर तोड़-फोड़ की कार्य-वाहियों में भाग लेते हैं **(अन्तर्बाधायें)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र: ये कार्य तो आप करते रहे हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: कभी नहीं । अपनी विजय पर भी मुझे अभिमान नहीं था (अन्तर्बाधायें) मैं श्री मिश्र को याद दिलाना चाहती हूं कि चुनाव निर्धारित समयानुसार कराये गए थे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: आपने चुनाव में विपक्ष को धोखा दिया । आप हमारा अपमान करती रहीं । **(अन्तर्बाधायें)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी: वास्तव में पहली बार चुनाव समय से पूर्व सम्पन्न हुए हैं । हमने निर्णय किया था कि. . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या आप हम से चुनाव स्थगित करने की बात नहीं कर रही थीं ?. . . . . **(अन्तर्बाधायें)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी: यह विचार युद्ध के चलते किया गया था परन्तु युद्ध समाप्त होने पर चुनाव स्थगित करने का कोई कारण नहीं था ।

सरकार के समक्ष मार्ग इतना सुगम नहीं है कि तेजी से आगे बढ़ा जा सके--यह किसी के लिये भी संभव नहीं है । सरकार के समक्ष सब से प्रथम कार्य राहत जुटाना है जिसके लिये सभी जुटे हैं । राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र और त्रिपुरा में 48 लाख लोग 90,000 राहत कार्यों में जुटे हैं ।

सबसे बड़ी कठिनाई पानी की कमी के कारण है । कुएं खोदने के लिये ऋण और अनुदान देने का विशाल कार्यक्रम बनाया गया है इसके अन्तर्गत रिंग और पानी पहुंचाने के प्रबन्ध भी शामिल हैं । पशुओं और उनके लिये चारा आदि जुटाने के लिये 445 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

1973-74 के लिये विशेष खाद्य योजना बनाई गई है जिसके अधीन रबी और अगली खरीफ की फसल में वृद्धि करने के उपाय शामिल हैं । कभी कभी कहा जाता है कि एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य का अधिक ध्यान रखा जाता है । ऐसा नहीं है हमें सभी क्षेत्रों में लोगों की समान रूप से चिन्ता रहती है और उनकी कठिनाइयां दूर करने का हम प्रयास करते हैं ।

कहा गया है कि सूखा तो देश में सदा ही पड़ता है परन्तु इस वर्ष जो सूखा पड़ा है वह असाधारण है और जिन देशों ने कभी अन्न का आयात नहीं किया है वे भी इस से प्रभावित हुए हैं और उन्हें भी अन्न दूसरे देशों से मंगाना पड़ा है । संयुक्तराष्ट्र ने भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित देशों की सहायता के प्रयास किये हैं । हमारे प्रयत्नों के परिणाम से ही हमें इतने कठिन समय में बहुत कम मात्रा में अन्न का आयात करने की आवश्यकता पड़ी है ।

वर्षा पर आश्रित इलाकों में इस वर्ष मोटे अनाज के उत्पादन पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा है । हमारी विकासशील गतिविधियों के परिणामस्वरूप गेहूं के उत्पादन में प्रति वर्ष काफी वृद्धि होती रही है । देश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये इस समय एक विशेष दल योजना तैयार कर रहा है और पांचवी योजना में इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से आरम्भ करना सरकार के लिये संभव हो सकेगा ।

इस समय हमारे लिये चिन्ता का एक सबसे बड़ा विषय खाद्यान्नों के मूल्यों में निरन्तर हो रही वृद्धि है । कृषि उत्पादन में हुई कमी की स्थिति का अनुचित लाभ उठाया गया है और लोगों के मन में आरम्भ से ही अनाज की कमी की धारणा उत्पन्न करने के प्रयास किये गयें हैं जिनके फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर सट्टाबाजी तथा जमाखोरी को स्थान मिला है । आगामी फसल से गेहूं का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लेने की जो हमारी योजना है, उससे यह सभा अवगत है । इस योजना का उद्देश्य खाद्य अर्थव्यवस्था से उन कुछ कारणों को समाप्त करना है जो सट्टाबाजी तथा जमाखोरी को प्रोत्साहन देते हैं । यह सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार है, जिसका निहित स्वार्थ विरोध करेंगे और इसे असफल करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयास किये जायेंगे । लेकिन सरकार इसका दृढ़ता से सामना करने के लिये कटिबद्ध है । इस योजना के कार्यकरण को सफल बनाने के लिये राज्य सरकारों को सभी आवश्यक प्रशासनिक और संगठनात्मक सुविधायें प्रदान की जायेंगी ।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है । किन्तु जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कार्यक्रमों को कुचला नहीं गया है अपितु इसके विपरीत उन्हें आरम्भ करने में कुछ विलम्ब हुआ है । ये कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में पूरे जोर-शोर से कार्यान्वित किये जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगार बना दिया गया है । हम यह नहीं कहते कि हमने समूची समस्या हल कर ली है और न ही हम यह कहते हैं कि हम समूची समस्या हल कर लेंगे । हमने तो केवल यह कहा है कि यह शुरूआत है और इस विशेष कठिन स्थिति में थोड़ी सी प्रगति है । इस दिशा में गत दो वर्षों से किये गये मुख्य प्रयासों और अब तक की उपलब्धियों को भुलाया नहीं जा सकता है । आज से दो वर्ष पहले कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि हम बंगला देश की स्थिति का सामना नहीं कर सकते । लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है कि हमने इस चुनौती का सामना बड़ी दृढ़तापूर्वक किया है ।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, मंत्रियों के एक दल ने गत कुछ महीनों के दौरान इस समूचे प्रश्न पर विचार किया है और विभिन्न प्रकार से अध्ययन करने के पश्चात वर्तमान तापीय बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्रों से मई 1973 तक लगभग 500 मैगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने का ठोस कार्यक्रम तैयार किया है । अगले तीन महीनों में सभी बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्रों के लिये कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे और समन्वित तथा समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किये जायेंगे । चयन की गई विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ाई जायेगी जिससे वर्ष 1973 के अन्त तक लगभग 1300 मैगावाट अतिरिक्त बिजली और वर्ष 1974 के अन्त तक 1750 मैगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त की जायेगी । उर्वरकों के लिये भी समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

एक माननीय सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता की बात कही है। हमारी औद्योगिक नीति पूर्णतया स्पष्ट है। सरकारी निर्णय 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार लिये जाते हैं जिसमें सरकारी क्षेत्र के लिये तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये स्थान आरक्षित है तथा जिसमें दोनों के लिये अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिये भी क्षेत्र आरक्षित किया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों को दी जाने वाली प्राथमिकताओं में समय समय पर योजना और हमारे विकास कार्यों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन किया जाता है। जब किसी मिल अथवा खान का प्रबंध सुचारू ढंग से नहीं चलाया जाता अथवा इसे आधुनिक नहीं बनाया जाता अथवा पूंजी विनियोजन नहीं किया जाता तो लगातार उत्पादन तथा रोजगार और इन्हें आधुनिक बनाने की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिये सरकार इन्हें अपने नियंत्रण में ले लेती है और तब यह प्रचार बढ़ा-चढ़ा कर किया जाता है कि सरकार प्रत्येक वस्तु का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है।

जहां तक हमारा संबंध है हमारा समाजवाद राष्ट्रीयकरण का पर्याय नहीं है। जहां लोकहित के लिये राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक होगा वहां हम ऐसा करने से कभी संकोच नहीं करेंगे। किन्तु हम इस बात में विश्वास नहीं रखते कि किसी चीज को अपने हाथ में लेने के लिये हम उनका राष्ट्रीयकरण कर दें। मैं जिस समाजवाद की बात करती हूं उस का अर्थ यह नहीं हैं कि सब कुछ सरकार ही करेगी। हम वास्तव में सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहते हैं, जिससे करोड़ों लोग स्वयं उन्नति कर सकें।

विश्व में अनेक ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को सफल नहीं देखना चाहती। निश्चित ही वे लोग हमारे दृढ़-कथन तथा बड़ी खूबी से चुनौती का सामना करने की योग्यता से परेशान हैं। भारत केवल स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकता है और हमारे सफल कार्यों ने यह बात सिद्ध कर दी है। दिसम्बर 1971 से हमें एक प्रभावी शक्ति के रूप में नई बात कही जा रही है। मैंने इसे कभी भी प्रशंसा के रूप में नहीं लिया। मेरे विचार से हमारे पड़ौसी देशों और हमारे बीच संदेह पैदा करने का यह एक घृणित प्रयास है। भारत में हम लोग शक्ति की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। यदि भारत की अपनी कोई शक्ति है तो यह शक्ति सबसे पहले हमारी अपनी राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में ही प्रयोग की जायेगी और तदुपरांत इस शक्ति का प्रयोग अन्य देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों, की स्वाधीनता के समर्थन में किया जायेगा।

यह बड़े दुःख की बात है कि अभी भी कुछ देश भारत-विरोधी प्रचार में लगे हुए हैं। एक अन्य माननीय सदस्य ने बताया है कि यह शर्म की बात है कि हम कुछ ऐसे देशों के साथ मित्रता करने की बात करते रहते हैं जो हमारे मित्र नहीं बनना चाहते। प्रश्न यह नहीं है कि कौन मित्र नहीं बनना चाहता बल्कि यह है कि हमारे राष्ट्रीय हित में कौन सी बात है। हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते जो हमारे देश को कमजोर करे। हम सभी देशों से मित्रता रखना चाहते हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मित्रता की भीख मांगते फिरते हैं। हम तो सम्मान और समानता के आधार पर मित्रता चाहते हैं जो हमारे दोनों देशों के अनुरूप हो और लाभप्रद हो।

एक अन्य सदस्य युद्धबन्दियों के बारे में बहुत चिंतित हैं। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो हल न किया जा सके। न तो बंगला देश और न ही भारत ने इस समस्या के समाधान में अड़चनें पैदा की हैं। परन्तु भारत से यह आशा करना कि बंगला देश की सहमति के बिना वह युद्धबंदियों को रिहा कर दे तर्कहीन और अवास्तविक होगा। इसके साथ ही हम उन 4 लाख बंगाली नागरिकों और सैनिकों को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें नौकरियों से हटा दिया गया है और उन्हें कैम्पों में रखा गया है। आज का तथाकथित विश्वजनमत जो युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में चिंतित है इन निरीह लोगों के प्रति बिल्कुल चुप हैं। हम युद्धबन्दियों को अपने यहां नहीं रखना चाहते। वे हम पर बोझ है और उनसे हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती किन्तु कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं को समझना और उनका हमें सामना करना ही होगा।

अब मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या कानून और व्यवस्था और हिंसा से संबंधित प्रश्न, का उल्लेख करना चाहूंगी। यहां पर यह कहा गया है कि हिंसा में वृद्धि हुई है अथवा कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है क्योंकि हमने लोगों की इच्छाओं और आशाओं को बढ़ा दिया है। माननीय सदस्यों को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि यदि हम समाज में परिवर्तन लेना चाहते हैं तो इस परिवर्तन से उन लोगों को कुछ लाभ पहुंच सकते हैं जिन्हें पहले यह नहीं प्राप्त होते थे। दूसरा तरीका यह है कि हम यथास्थिति बनाए रखें जिसका अर्थ है कि जिनकी अब तक उपेक्षा की गई है उनकी उपेक्षा होती रहे।

आन्ध्र प्रदेश की समस्या का बड़ा लम्बा इतिहास है। वहां पर जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है वह वर्षों की घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है।

आन्ध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ है, उस बारे में मुझे बहुत चिन्ता है। जिन लोगों ने कष्ट सहे हैं और जिन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं उनसे मुझे पूरी सहानुभूति हैं। मैं जनता की भावनाओं का भी आदर करती हूं। आन्ध्र प्रदेश में लोगों में उत्पन्न गलतफहिमी के कारण पूरी स्थिति ने एक विभिन्न मोड़ ले लिया है।

इस प्रकार के उत्तेजित वातावरण में कोई निर्णय देना उचित नहीं होगा। चाहे हमारे उद्देश्य उदार हों और भावनायें कितनी ही उदार क्यों न हों किन्तु इनके फलस्वरूप भारी हिंसात्मक घटनायें हुई हैं। तोड़-फोड़ के कार्यों से रेलवे की संचार व्यवस्था में भी बाधा पहुंचाई गई है। हमें पता है कि वहां कुछ भय और तनाव की स्थिति थी। अनेक लोगों ने मुझ को लिखा है कि उनके साथ किस प्रकार का बल प्रयोग किया गया था। ये सब घटनायें वहां घटी हैं।

विद्यार्थियों और अराजपत्रित कर्मचारियों ने इस संघर्ष में मुख्य रूप से भाग लिया है और सब से अधिक हानि भी उन्हीं को हुई है। छात्रों की शिक्षा और अध्ययन का नुकसान हुआ है और अराजपत्रित कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को अन्य कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं। जनसाधारण को भी बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं। मुझे इन सब बातों का बहुत खेद है। किन्तु हमें बताया गया है कि यह सब इस कारण से हुआ है कि वहां पिछड़ापन है आर्थिक असमानता और कुछ लोगों को वहां दूसरे दर्जे के नागरिक समझा जाता है। इन सब बातों में से सम्भवतः कुछ बातें न्यायसंगत हो सकती हैं। किन्तु पिछड़ेपन को तो हमें अपने सब सब संसाधनों को एकत्रित करके ही दूर करना होगा न कि अलग होकर। सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट करने से तो देश में केवल गरीबी और पिछड़ापन ही बढ़ेगा। संघर्ष के दौरान संचार व्यवस्था आदि पहुंचाई गई क्षति को ठीक करने और उसकी पूर्ति करने में बहुत समय लगेगा। मैं नहीं जानती यहां प्राथमिकता देने के लिये अन्य परियोजनाओं की अवहेलना करना कहां तक उचित होगा।

जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि निर्णय उत्तावलेपन या किसी प्रकार के दबाव में आकर नहीं लिए जा सकते। इसके लिये शांति होनी आवश्यक है। समस्या के सब पहलुओं पर शांति से बातचीत करने की आवश्यकता होती है। अतः इस समस्या के सब पहलुओं और व्यक्त किए गए मतों पर उचित रूप से अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री एस०बी० गिरि (वारंगल) : हम आपकी घोषणा की शांति से प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोगों में बहुत असंतोष है इसलिये घोषणा अविलम्ब की जानी चाहिए।

श्री शीलू मोदी (गोधरा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है जिससे इस पर निर्णय लिया जा सके। क्या इसे आप पर ही छोड़ा जा सकता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वास्तव में इस समस्या को सरकार पर ही छोड़ा जाना चाहिए। सरकार ही इस पर कुछ निर्णय लेगी। वह भी तब जब वातावरण शान्त होगा और लोगों में उत्तेजना नहीं होगी।

छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने अध्ययन में लगे और सरकारी कर्मचारी विशेषकर अराजपत्रित कर्मचारी, जिन्हें कठिनाई हो रही है, अपने काम में लगे। (**अन्तर्बाधाय**)

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने शिक्षा या छात्रों के बारे में विस्तार से बात चीत या चर्चा नहीं की है। वस्तुतः हम सब इस सम्बन्ध में बहुत चिंतित हैं और सरकार इस बारे में काफी सोच-विचार कर रही है। यह समस्या इतनी आसान नहीं है, देश घट रही अन्य सब घटनाएं भी इस समस्या से मिली हुई हैं और उनका हल सरल नहीं है।

हम संसद में राजनीतिक खेल नहीं खेल रहे हैं। हम यहां राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि जिस पथ पर हमने चलने का निश्चय किया है, देश के अधिकांश लोगों ने भी उसे स्वीकार किया है। यह सच है कि इसमें कुछ कमियां है किन्तु हमने उन्हें ठीक करने का भी प्रयास किया है। हमारे कार्यक्रमों में कमियों और कठिनाइयों के होते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं।

संसद में देश के लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए न कि बेकार के उपदेश दिए जायें।

एक माननीय सदस्य ने दूसरे लोगों को बलि का बकरा बनाये जाने की बात की है। किन्तु जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मैं किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहती। मैं अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटती। किन्तु ऐसा सब कुछ तो विपक्षी दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिये और किसी नीति निर्धारण करने में अपनी असमर्थता को छिपाने के लिये दूसरों पर दोष रखकर उन्हें बलि का बकरा बनाने का प्रयास करते हैं।

जहां तक मैं जानती हूं मैं तो यही कहूंगी कि विपक्षी दल भारत में जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारे देश वासी निर्बल और इससे जनता की इच्छा शक्ति क्षीण होगी। जो सफलता जनता ने प्राप्त की है उसे भी विपक्ष कम आंकता है।

विश्व की परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। एशिया में भी जो परिस्थितियां हैं वे बहुत नाजुक हो रही हैं। जैसा कि मैं अपने दल की बैठक में कह चुकी हूं कि आज विश्व के अनेक भागों में चिरस्थापित मानदण्ड बदल रहे हैं। अब समय आ गया है जब समूचे भारत राष्ट्र को पूर्ण रूप से सतर्क रहना चाहिए ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अन्तर को समझा जा सके। हमें उस राष्ट्र जो सामाजिक रूप से बेहतर है आर्थिक रूप से अधिक दृढ़ है और नैतिक और बौद्धिक रूप से कहीं अधिक स्वतंत्र है, का स्वरूप अपने सामने रखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : वह तो मौन विपक्ष चाहती हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: मैं मौन विपक्ष नहीं चाहती। मैं अपने दल और विपक्षी दलों से अपील करती हूं कि वे समय की गम्भीर चुनौती को स्वीकार करें और जनता ने संसद में जो विश्वास व्यक्त किया है उसे सार्थक सिद्ध करें। हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से विश्वास और कठोर परिश्रम से ही इन कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। हमें जनता के विश्वास को नहीं खोना चाहिए।

अतः मेरा सब माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने संशोधनों को वापस ले लें और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 1 से 20, 47 से 57 और 233 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए
Amendment Nos. 1 to 20, 47 to 57 and 233 were put and negatived

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन मैं अपने संशोधन संख्या 21 पर मत-विभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिय रखा गया।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ :
The Lok Sabha divided

पक्ष में	**45**	**विपक्ष में**	**258**
Ayes	**45**	**Noes**	**258**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन संशोधनों को बता दें जिन पर वह मतदान चाहते हैं

श्री एम० सत्यनारायण राव : संख्या 199

श्री जगन्नाथ राव जोशी : संख्या 49

श्री ज्योतिर्मय बसु : संख्या 466

श्री श्यामनन्दन मिश्र : संख्या 306

श्री दशरथ देव : संख्या 105 और 109

श्री पी० के० देव : संख्या 91

श्री सेझियान : संख्या 447

श्री पी० एम मेहता : संख्या 204

श्री मधु दण्डवते : संख्या 71

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 199 मतदान के लिये रखा गया

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में	29	विपक्ष में	279
Ayes	29	Noes	279

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was negatived

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 49 नियम बाह्य है। मैं श्री दण्डवते का संशोधन संख्या 71 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 71 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 71 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी० के० देव का संशोधन संख्या 91 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 91 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 91 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दशरथ देव का संशोधन संख्या 105 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 105 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 105 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दशरथ देव का संशोधन संख्या 109 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 109 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 109 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चावड़ा का संशोधन संख्या 147 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 147 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 147 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भट्टाचार्य का संशोधन संख्या 166 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 166 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 166 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मेहता का संशोधन संख्या 204 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 204 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 204 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री योगेन्द्र झा का संशोधन संख्या 221 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided.

पक्ष में	36	विपक्ष में	250
Ayes	36	Noes	250

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मावलंकर का संशोधन संख्या 241 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 241 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 241 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मावलंकर का संशोधन संख्या 243 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में	**32**	**विपक्ष में**	**243**
Ayes	**32**	**Noes**	**243**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्यामनन्दन मिश्र का संशोधन संख्या 306 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में	**20**	**विपक्ष में**	**252**
Ayes	**20**	**Noes**	**252**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कत्तामुत्तु का संशोधन संख्या 383 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में	**39**	**विपक्ष में**	**242**
Ayes	**39**	**Noes**	**242**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सेझियान का संशोधन संख्या 447 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 447 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 447 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ज्योतिर्मय बसु का संशोधन संख्या 466 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided.

पक्ष में	**36**	**विपक्ष में**	**246**
Ayes	**36**	**Noes**	**246**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, my Amendments Nos. 414, 417, 419 and 425 may be put separately.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 414, 417, 419 और 425 मतदान केलिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए
The amendments Nos. 414, 417, 419 and 425 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए
The remaining amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री आर०के०सिन्हा द्वारा प्रस्तुत और श्री उलीकृष्णन द्वारा समर्पित मुख्य प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 19 फरवरी 1973 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार 28 फरवरी, 1973/9 फाल्गुन 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleventh of the clock on Wednesday, 28th February,1973/ Phalguna 9, 1894 (Saka).